वार्षिक रिपोर्ट

2021-2022

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2021–22 की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है । इस रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है।

इस रिपोर्ट में, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के परिदृश्य तथा अधिनियम के तहत इसके लिए अनिवार्य कार्यों के विशिष्ट संदर्भ के साथ भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी है।

(डॉ. पी. डी. वाघेला)
अध्यक्ष

दिनांकः नवम्बर, 2022

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य	**1 - 8**
भाग-**I**	**नीतियां और कार्यक्रम**	**9 - 52**
	(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा	
	(ग) प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(घ) भाग–**I** के अनुबंध	
भाग-**II**	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा**	**53 - 102**
भाग-**III**	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य**	**103 - 116**
भाग-**IV**	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय कार्य निष्पादन**	**117 - 182**
	(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	
	(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2021–22 के लेखापरीक्षित लेखे	
	(ग) भादूविप्रा के वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा	

दूरसंचार
और प्रसारण क्षेत्र
का परिदृश्य

परिदृश्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने वर्ष 2021–22 में दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों को विनियमित करने वाले एक वैधानिक निकाय के रूप में अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे किए हैं। भादूविप्रा के पास देश में इन क्षेत्रों के संतुलित विकास का पोषण करने का एक मिशन है ताकि भारत इस उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम हो सके। देश की डिजिटल क्रांति में यह हमेशा सबसे आगे रहा है और इसने दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे वे डिजिटल इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बन गए हैं। भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें सेवाओं का व्यापक विकल्प, किफायती टैरिफ और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए भारत भर में दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सम्मिलित है।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ वर्ष 2021–22 में भी जारी रहीं। हालांकि महामारी से प्रभावित होने के बाद भी, दूरसंचार क्षेत्र ने निर्बाध कनेक्टिविटी बनाए रखने और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, उद्योग ने आर्थिक गतिविधियों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में योगदान दिया है, जिसमें 'घर से काम/कहीं से भी काम', बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि शामिल हैं। महामारी के दौरान दूरसंचार नेटवर्क में एक पीढ़ीगत बदलाव लाया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी को सुगम, उच्च गति कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में यह नया प्रोत्साहन भविष्य में डिजिटल समावेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास के लिए भादूविप्रा द्वारा विभिन्न पहल की गईं। इस वर्ष ने दूरसंचार और ब्रॉडबैंड क्षेत्र में आगामी रुझानों को प्रदर्शित किया, क्योंकि भारत देश में 5जी सेवाओं का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है।

वर्ष के दौरान, लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, टैरिफ ऑफर की वैधता अवधि, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप, आईएमटी/5जी के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी, डेटा केंद्रों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचा, भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंज और टेलीविजन प्रसारण क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसे व्यापक विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर कई परामर्श प्रक्रियाएं शुरू की गईं। दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में सिफारिशों, विनियमों आदि को निर्धारित करने के लिए पारदर्शिता और एक सुपरिभाषित परामर्श प्रक्रिया हमेशा भादूविप्रा की पहचान रही है।

5जी प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, दूरसंचार का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है। 5जी के विकास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी आदि जैसे नए एप्लिकेशन/प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी। 5जी व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि यह एक अभूतपूर्व वेग और अपार मात्रा में डेटा उत्पन्न करेगा। 5जी से लगभग सभी उद्योग कार्यक्षेत्रों के लिए आर्थिक लाभ सृजित होने की संभावना है, जिससे उन्हें एक असाधारण विकास पथ पर गति मिलेगी।

सरकार 5जी के रास्ते में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए माहौल तैयार कर प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। भादूविप्रा द्वारा 'आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की

नीलामी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसके साथ, देश के हितार्थ विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए भारत–विशिष्ट 5जी उपयोग मामलों की पहचान, विकास और प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हितधारकों से परामर्श किया गया।

टेलीविजन एवं प्रसारण क्षेत्रों के लिए भादूविप्रा के नए नियमों/आदेशों ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों को चुनने की आजादी दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। सब्सक्राइबरों की सुविधा के लिए, भादूविप्रा ने एक 'ट्राई चैनल चयनकर्ता' ऐप और एक चैनल चयनकर्ता वेब पोर्टल पेश किया। ऐप और पोर्टल दोनों एपीआई के माध्यम से संबंधित डीपीओ प्लेटफॉर्म से डेटा लेने के लिए सब्सक्राइबरों को विश्वसनीय, मजबूत और पारदर्शी सिस्टम प्रदान करते हैं। पोर्टल कुल मासिक बिल को कम करने के लिए उपभोक्ता के चयन के आधार पर एक इष्टतम कॉन्फिगरेशन यानी चैनलों/बुके के संयोजन की भी अनुशंसा करता है। इसके अलावा, यह भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषा, शैलियों आदि की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की रुचि के आधार पर चैनलों/बुके के संयोजन का सुझाव देगा। ऐप और पोर्टल दोनों की मुख्य विशेषता डीटीएच/केबल ऑपरेटर को भेजे जाने से पहले सब्सक्रिप्शन का अनुकूलन करना है, ताकि सब्सक्राइबरों को पैसे का सर्वोत्तम मूल्य मिल सके।

भादूविप्रा के प्रयासों ने रहने, काम करने और खेलने के लिए एक डिजिटल दुनिया बनाने हेतु मोबाईल सेवा प्रदाताओं, उपकरण निर्माताओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं और इंटरनेट कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उद्योग ने डिजिटल भुगतान, आधार, ई–गवर्नेंस, ई–कॉमर्स, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा और ई–व्यापार जैसी अत्याधुनिक सेवाओं और ऐप्लीकेशन के साथ खुद को डिजिटल इंडिया के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में स्थापित किया है। दूरसंचार सेवाएं इन ऐप्लीकेशन के साथ–साथ बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती हैं, जो देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायक हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

I- दूरसंचार क्षेत्र

दूरसंचार क्षेत्र ने लोगों के अपने जीवन जीने के तरीके में काफी बदलाव किया है, नए तरीके बनाए हैं जिसमें लोग एक–दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और सामाजिक होते हैं। इंटरनेट डेटा सेवाओं तथा मोबाईल फोन के उपयोग की निरंतर वृद्धि ने एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन प्रदान करने के तरीके को बदल दिया है। भादूविप्रा ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका निभाई है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष आने वाले कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया। भादूविप्रा की पिछली सिफारिशों पर डीओटी से प्राप्त पिछले संदर्भों का उत्तर देने के अलावा सरकार को, ''विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने'' ''लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा'', ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के संवर्धन और अधिक ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए रूपरेखा'' और ''दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार'' जैसे मुख्य विषयों पर सिफारिशें की गईं। इस अवधि के दौरान विभिन्न दूरसंचार विनियमों में संशोधन भी जारी किए गए।

वित्तीय वर्ष 2021—22 के अंत में, 31 मार्च, 2021 को 1201.20 मिलियन सब्सक्राइबर आधार की तुलना में कुल दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1166.93 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 34.27 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च, 2022 को वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1142.09 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2021 को सब्सक्राइबर आधार 1180.96 मिलियन था, वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान 38.87 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च, 2021 को 20.24 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार की तुलना में 31 मार्च, 2022 को कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 24.84 मिलियन था, सब्सक्राइबरों की तुलना में 22.73ः की वृद्धि दर्ज की गई। 24.84 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से, 22.88 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 1.96 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं।

31 मार्च, 2022 को देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 824.888 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 825. 301 मिलियन था। 31 मार्च, 2022 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 788.295 मिलियन है जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 778.095 मिलियन था।

II- प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2021—22 प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र के लिए एक और व्यस्त तथा घटनापूर्ण वर्ष रहा है। पिछले दशक में केबल एंड सैटेलाइट (सी एंड एस) टीवी बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं।

भादूविप्रा ने 03 मार्च, 2017 को एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया। पूर्वोक्त नए विनियामक ढांचे को 29 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया था।

नया विनियामक ढांचा इस क्षेत्रा में सामंजस्यपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्थापित करने, समान अवसर देने, टीवी चैनलों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाने, हितधारकों के बीच मुकदमों को कम करने और छोटे मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को समान अवसर प्रदान करने में काफी सफल रहा। परिणामस्वरूप, हितधारकों के साथ—साथ प्रवेश बाधाओं में विवादों में स्पष्ट कमी आई। प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों को चुनने की आजादी दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

वर्ष 2021—22 के दौरान, ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना'', ''दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी' और 'केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' जैसे विषयों पर कई मुख्य परामर्श पत्र जारी किए गए। वर्ष 2021—22 के दौरान सरकार को कोई अनुशंसा नहीं दी गई क्योंकि ये परामर्श पत्र प्रक्रियाधीन थे।

वर्ष 2021—22 के दौरान प्रसारण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख संक्षेप में नीचे किया गया हैः

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। टेलीविजन सेवाओं में दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क के अलावा केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, हिट्स सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं शामिल हैं। उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में, टीवी जगत में लगभग 67 मिलियन केबल टीवी वाले परिवार[1], 3 मिलियन हिट्स ग्राहक[1] और 43 मिलियन[1] मुफ्त डीटीएच परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को बताया गया है कि मार्च, 2022 के अंत में 66.92 मिलियन

[1] FICCI EY Report (March 2022) titled "Tuning into consumer -Indian M&E rebounds with a customer-centric approach
[2] As reported to TRAI
[3] https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app

पे डीटीएच कुल सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, जैसा कि आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि मार्च, 2022 के अंत में 7,50,306 सब्सक्राइबर थे।

(ii) टीवी प्रसारण क्षेत्र में लगभग 350 प्रसारक शामिल हैं, जिनमें से मार्च, 2022 के अंत तक 42 पे ब्रॉडकास्टर[2] हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक सेवा प्रसारक– दूरदर्शन जो भारत में फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा प्रदान कर रहा है के अतिरिक्त, भारत में मार्च, 2022 के अंत तक 1764 (बहु प्रणाली प्रचालक (एमएसओ)[3], 1 हिट्स ऑपरेटर[2], 4 पे डीटीएच ऑपरेटर[2] और 20 आईपीटीवी ऑपरेटर[2] सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) में पंजीकृत थे। इसके अलावा, एमआईबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 01 जनवरी, 2022 तक, देश में कुल 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

(iii) वर्तमान में, मार्च, 2022 के अंत तक एमआईबी द्वारा लगभग 898 निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों[3] की अनुमति दी गई है, जिनमें से 248 एसडी पे टीवी चैनल[2] थे और 97 एचडी पे टीवी चैनल[2] थे।

(iv) भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2020–21 में रु. 68,500[1] करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹ 72,000[1] करोड़ का हो गया है, जिससे लगभग 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2020–21 में ₹ 43,400[1] करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 में ₹ 40,700[1] करोड़ रह गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2020 में ₹ 25,100[1] करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 31,300[1] करोड़ हो गया है।

(v) जैसा कि भादूविप्रा को निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित किया गया था, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा मार्च, 2022 के अंत तक 386[2] निजी एफएम रेडियो स्टेशन सक्रिय थे। जहां तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित आंकड़ों का संबंध है, एमआईबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए मार्च, 2022 के अंत तक जारी किए गए 467[2] लाइसेंसों में से 349[2] सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गए हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित विज्ञापन राजस्व वर्ष 2020–21 में ₹ 941.47[2] करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 1227.15[2] करोड़ हो गया है।

III- भादूविप्रा द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, भादूविप्रा ने या तो सरकार के संदर्भ में या डीओटी और एमआईबी को स्वतः संज्ञान लेकर देश में दूरसंचार सेवाओं तथा प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई सिफारिशें भेजी हैं। इस वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने डीओटी और एमआईबी दोनों के साथ काम किया है और इस अवधि के दौरान इनमें से कई सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। दूरसंचार विभाग/एमआईबी में भादूविप्रा की लंबित सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से और सभी सिफारिशों की स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने के लिए केंद्रीय कोष बनाने के लिए, भादूविप्रा ने एक रिक्मेन्ड ान स्टेटस पोर्टल विकसित किया है जिसे भादूविप्रा, डीओटी और एमआईबी द्वारा संयुक्त रूप से एक्सेस किया जा सकता है।

IV- अन्य प्रशासनिक पहल

सन् 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भादूविप्रा किराए के आवास के माध्यम से कार्य कर रहा है। दूरसंचार विभाग(डीओटी) के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) ने 26 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से नौरोजी नगर, नई

[1] FICCI EY Report (March 2022) titled "Tuning into consumer -Indian M&E rebounds with a customer-centric approach
[2] As reported to TRAI
[3] https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app

दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किए जा रहे एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में भादूविप्रा के लिए निर्मित कार्यालय स्थान की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 26 फरवरी, 2021 के आवंटन पत्र के तहत भादूविप्रा को निर्माण से जुड़ी भुगतान योजना के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में टॉवर–एफ (4थी, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल) में कुल 1,15,982 वर्ग फुट का सुपर बिल्ट–अप (85,545 कारपेट एरिया) क्षेत्र आवंटित किया है। साइट पर निर्माण जोरों पर है और कार्यालय की जगह भादूविप्रा को वर्ष 2023 की दूसरी छमाही तक सौंपे जाने की उम्मीद है।

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–I में दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2022 के द्वारा संशोधन किया गया है।

11 फरवरी, 2022 की इस अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार ने अनुसूची–I के हिस्से में संशोधन किया है और स्टाफ कार ड्राइवर के पद को चार ग्रेड में पुनर्गठित किया है, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर एवं डिस्पैच राइडर के पद को सम्मिलित किया है और परिचर के पद को नया पदनाम बहु–कार्य कर्मचारिवृन्द दिया गया है।

भाग - I

नीतियां
और
कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 34.27 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2021 को 1201.20 मिलियन के सब्सक्राइबर आधार की तुलना में समग्र दूरसंचार सब्सक्राइबर आधार 1166.93 मिलियन तक पहुंच गया। समग्र सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका–1 : समग्र सब्सक्राइबर आधार और दूरसंचार–घनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस+वायरलाइन)
कुल सब्सक्राइबर (मिलियन)	1142.09	24.84	1166.93
शहरी सब्सक्राइबर (मिलियन)	624.23	22.88	647.11
ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन)	517.86	1.96	519.82
समग्र दूरसंचार–घनत्व	83.07%	1.81%	84.88%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	130.17%	4.77%	134.94%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	57.85%	0.22%	58.07%
शहरी सब्सक्राइबरों का हिस्सा	54.66%	92.12%	55.45%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों का हिस्सा	45.34%	7.88%	44.55%
इंटरनेट सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	797.61	27.27	824.89
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या (मिलियन)	761.05	27.25	788.30

वायरलेस तथा वायरलाइन खंड में सब्सक्राइबर आधार का विवरण; मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) हेतु अनुरोध; दूरसंचार–घनत्व; इंटरनेट सब्सक्राइबरों और तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2021 को 1180.96 मिलियन के वायरलेस सब्सक्राइबर आधार की तुलना में 31 मार्च, 2022 की समाप्ति तक वायरलेस सब्सक्राइबर आधार 1142.09 मिलियन था। पिछले 5 वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या की स्थिति **चित्र–1** में दर्शाई गई है।

चित्र–1: मार्च 2018 से पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

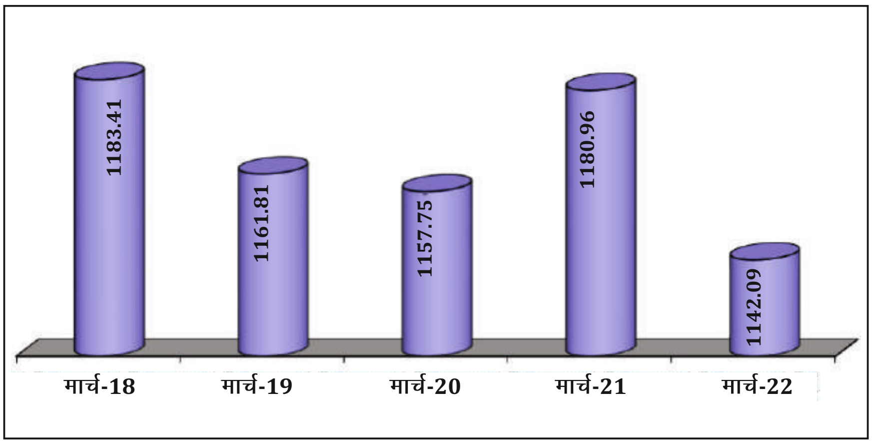

(ख) मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2021–2022 के दौरान, एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए 113.09 मिलियन सब्सक्राइबरों ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं को अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संख्या मार्च, 2021 के अंत में 576.67 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2022 के अंत तक 689.76 मिलियन हो गई । मार्च, 2022 के अंत में सेवा क्षेत्रवार संचयी पोर्टिंग अनुरोध **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : मार्च, 2022 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च, 2022 के अंत तक संचयी एमएनपी अनुरोध (सेवा क्षेत्रवार)				
	सेवा क्षेत्र	निम्नवत द्वारा संसाधित एमएनपी अनुरोध		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		अंचल–I	अंचल–II	
अंचल – I	दिल्ली	32,046,295	1,267,471	33,313,766
	गुजरात	46,031,045	605,847	46,636,892
	हरियाणा	22,461,826	465,120	22,926,946
	हिमाचल प्रदेश	3,067,616	49,487	3,117,103
	जम्मू और कश्मीर	1,480,205	68,118	1,548,323
	महाराष्ट्र	55,447,879	1,391,325	56,839,204
	मुंबई	26,785,091	624,860	27,409,951
	पंजाब	23,937,503	1,268,032	25,205,535
	राजस्थान	48,859,782	445,350	49,305,132
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	52,320,289	679,659	52,999,948
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	41,319,937	474,890	41,794,827
अंचल – II	आंध्र प्रदेश	545,780	50,990,315	51,536,095
	असम	268,717	4,689,893	4,958,610
	बिहार	1,748,579	32,901,685	34,650,264
	कर्नाटक	940,450	52,285,532	53,225,982
	केरल	346,010	18,085,055	18,431,065
	कोलकाता	253,855	13,867,655	14,121,510
	मध्य प्रदेश	1,030,963	49,430,842	50,461,805
	पूर्वोत्तर	41,600	1,686,294	1,727,894
	ओडिशा	204,256	13,032,693	13,236,949
	तमिलनाडु	439,923	49,293,142	49,733,065
	पश्चिम बंगाल	631,002	35,943,577	36,574,579
	कुल	**360,208,603**	**329,546,842**	**689,755,445**
	कुल (अंचल–I, अंचल–II)			

(ग) वायरलाइन सेवाएं

1.1.3 दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 24.84 मिलियन था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2021 को 20.24 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वर्ष 2021–22 के दौरान 22.73% की वृद्धि दर्ज की गई। 24.84 मिलियन वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से, 22.88 मिलियन शहरी सब्सक्राइबर हैं और 1.96 मिलियन ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या को **चित्र–2** में दर्शाया गया है।

चित्र–2 : पिछले 5 वर्षों के दौरान वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या

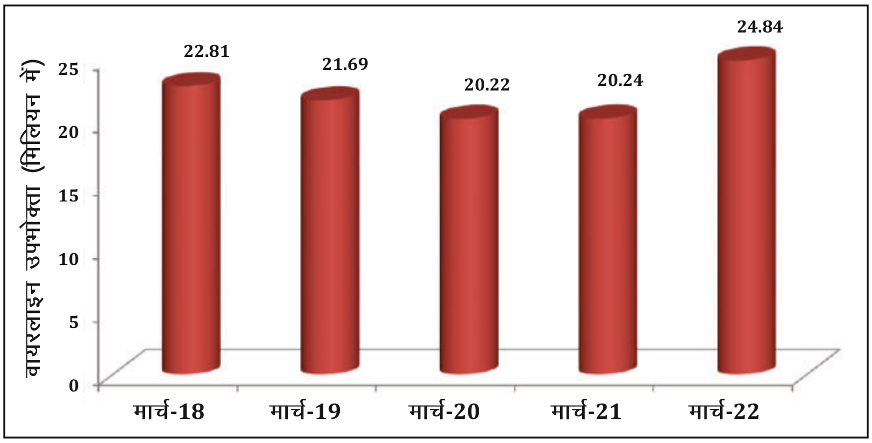

(घ) दूरसंचार–घनत्व

1.1.4 मार्च, 2022 के अंत में दूरसंचार–घनत्व 84.88% था, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 88.17% था, जिसमें 3.73% की कमी दर्ज की गई थी। मार्च, 2017 से दूरसंचार–घनत्व के रुझान को **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

चित्र–3 : दूरसंचार–घनत्व का रुझान

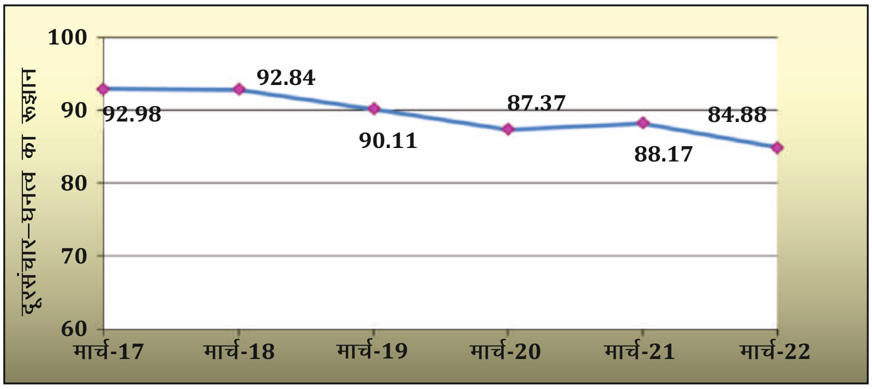

(ङ) इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

1.1.5.1 दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 824.89 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 825.30 मिलियन था। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 788.29 मिलियन है जबकि 31 मार्च, 2021 तक यह 778.09 मिलियन था।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा बताए गए सब्सक्रिप्शन का विवरण **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3 : इंटरनेट सब्सक्राइबर

(मिलियन में)

खंड			श्रेणी	इंटरनेट सब्सक्राइबर		वृद्धि प्रतिशत
				मार्च, 2021	मार्च, 2022	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	22.75	27.25	19.77%
			नैरोबैंड	3.25	0.03	-99.15%
			कुल	**25.99**	**27.27**	**4.92%**
ख.	वायरलेस	**फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)**	ब्रॉडबैंड	0.67	1.18	75.17%
			नैरोबैंड	0.01	0.01	8.32%
			कुल	**0.68**	**1.19**	**74.62%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डॉंगल)	ब्रॉडबैंड	754.67	759.87	0.69%
			नैरोबैंड	43.96	36.56	-16.83%
			कुल	**798.63**	**796.43**	**-0.28%**
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर			ब्रॉडबैंड	778.09	788.29	1.31%
			नैरोबैंड	47.21	36.59	-22.48%
			कुल	**825.30**	**824.89**	**-0.05%**

1.1.5.2 प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021–2022 के लिए सेवा तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन की संख्या **तालिका–4** में दी गई है।

तालिका–4 : वर्ष 2021–22 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

सेवा	जून–21	सितम्बर–21	दिसंबर–21	मार्च–22
ब्रॉडबैंड	792.776	794.881	792.091	788.295
नैरोबैंड	40.931	39.407	37.211	36.593
कुल इंटरनेट	**833.707**	**834.289**	**829.302**	**824.888**

(च) भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक

1.1.6.1 भादूविप्रा दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आकड़ों के संबंध में एक मासिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्सक्राइबर आधार, दूरसंचार–घनत्व, सेवा प्रदाता–वार बाजार में हिस्सेदारी, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोध, व्यस्ततम वीएलआर डेटा, वायरलेस, वायरलाइन और ब्रॉडबैंड खंड आदि में माह के दौरान निवल अभिवृद्धि से संबंधित जानकारी सम्मिलित की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा पर प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य अंश **तालिका–5** में दी गई हैं।

तालिका–5 : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा की मुख्य अंश

विवरण	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस+ वॉयरलाइन)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**1142.09**	**24.84**	**1166.93**
मार्च, 2022 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	0.57	0.32	0.89
मासिक वृद्धि दर	0.05%	1.31%	0.08%
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**624.23**	**22.88**	**647.11**
मार्च, 2022 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	&0.95	0.31	-0.64
मासिक वृद्धि दर	-0.15%	1.37%	-0.10%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**517.86**	**1.96**	**519.82**
मार्च, 2022 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	1.52	0.01	1.53
मासिक वृद्धि दर	0.29%	0.58%	0.30%
समग्र दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	**83.07%**	**1.81%**	**84.88%**
शहरी दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	130.17%	4.77%	134.94%
ग्रामीण दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	57.85%	0.22%	58.07%
शहरी सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	54.66%	92.12%	55.45%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	45.34%	7.88%	44.55%
ब्राडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**761.05**	**27.25**	**788.30**

❖ मार्च, 2022 में सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या (व्यस्ततम वीएलआर# की तिथि पर) 1021.29 मिलियन थी।

टिप्पणी:

- इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 2011–2036', से जनसंख्या के प्रक्षेपण के आधार पर।

\# वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर का संक्षिप्त नाम है। विभिन्न टीएसपी के लिए व्यस्ततम वीएलआर की तिथि अलग–अलग सेवा क्षेत्रों में पृथक हैं।

1.1.6.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों' के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट का प्रकाशन भी करता रहा है। यह रिपोर्ट दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रमुख मानदंड तथा विकास रूझानों को प्रस्तुत करती है। उपयुक्त उल्लिखित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों का सारांश **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6 : निष्पादन सूचक (दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

दूरसंचार सब्सक्राइबर (वायरलेस+वायरलाइन)	
कुल सदस्य	1,166.93 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	–0.97%
शहरी सब्सक्राइबर	647.11 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	519.82 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.10%
सार्वजनिक ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.90%
दूरसंचार–घनत्व	84.88%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	134.94%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	58.07%
वायरलेस सब्सक्राइबर	
कुल वायरलेस सब्सक्राइबर	1,142.09 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	–1.08%
शहरी सब्सक्राइबर	624.23 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	517.86 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.76%
सार्वजनिक ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.24%
दूरसंचार–घनत्व	83.07%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	130.17%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	57.85%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डेटा उपयोग	35,885 पीबी
सार्वजनिक मोबाईल रेडियो ट्रंक सेवाओं की संख्या (पीएमआरटीएस)	66,392
'वैरी– स्मॉल अर्पचर टर्मिनलों' की संख्या (वीसैट)	2,79,333
वायरलाइन सब्सक्राइबर	
कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर	24.84 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	4.42%
शहरी सब्सक्राइबर	22.88 मिलियन
ग्रामीण सब्सक्राइबर	1.96 मिलियन
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	41.07%
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	58.93%
दूरसंचार–घनत्व	1.81%
ग्रामीण दूरसंचार–घनत्व	0.22%
शहरी दूरसंचार–घनत्व	4.77%
ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या (वीपीटी)	68,606
पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) की संख्या	66,154

दूरसंचार वित्तीय डेटा	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	₹ 76,387 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में प्रतिशत परिवर्तन	9.60%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)।	₹ 58,886 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन	6.77%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी	4.17%
इंटरनेट / ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	
कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	824.89 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	–0.53%
नैरोबैंड सब्सक्राइबर	36.59 मिलियन
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर	788.30 मिलियन
वायर्ड इंटरनेट सब्सक्राइबर	27.27 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट सब्सक्राइबर	797.61 मिलियन
शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	493.08 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	331.81 मिलियन
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर	60
प्रति 100 जनसंख्या पर शहरी इंटरनेट सब्सक्राइबर	102.82
प्रति 100 जनसंख्या पर ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर	37.06
प्रसारण एवं केबल सेवाएं	
निजी सैटेलाइट टेलीविजन चौनलों की संख्या जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल अपलिंकिंग / केवल डॉऊनलिंकिंग / अपलिंकिंग और डॉऊनलिंकिंग, दोनों की अनुमति प्रदान की गई है।	898
प्रसारकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पे–टेलीविजन चौनलों की संख्या	345
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो के अलावा)	386
पे–डीटीएच ऑपरेटरों के साथ कुल सक्रिय सब्सक्राइबरों की संख्या	66.92 मिलियन
सक्रीय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	349
पे–डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
राजस्व और उपयोग मानदंड	
वायरलेस सेवा का मासिक एआरपीयू	₹ 127.17
प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह वॉयरलैस सेवाओं का मिनट में उपयोग (एमओयू)	955 मिनट
इंटरनेट हेतु कुल ऑउटगोइंग मिनट उपयोग	137.74 मिलियन
वायरलेस डेटा उपयोग	
प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर प्रति माह औसत वायरलेस डेटा उपयोग	15.80 जीबी
तिमाही के दौरान प्रति सब्सक्राइबर प्रति जीबी वायरलेस डेटा औसत राजस्व वसूली	₹ 10.47

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के बाद से, भादूविप्रा का उद्देश्य देश में दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना रहा है जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। इस उद्देश्य के अनुसरण में, भादूविप्रा ने इस अवधि के दौरान विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को प्रारंभ और कार्यान्वित किया है। दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में भादूविप्रा की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई है:

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;

(ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन;

(ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन;

(छ) सेवा की गुणवत्ता; तथा

(ज) सार्वभौमिक सेवा बाध्यताएं

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

1.2.1.1 वायरलेस

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस ग्रामीण (मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)), सब्सक्राइबरों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2021 के 535.75 मिलियन से घटकर दिनांक 31 मार्च, 2022 के अंत तक 517.86 मिलियन हो गई। अब, ग्रामीण सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी कुल वायरलेस सब्सक्राइबरों का 45.35% है। मार्च, 2018 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–4** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–7** और **चित्र–5** में दर्शाया गया है।

चित्र–4 : मार्च, 2018 से ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

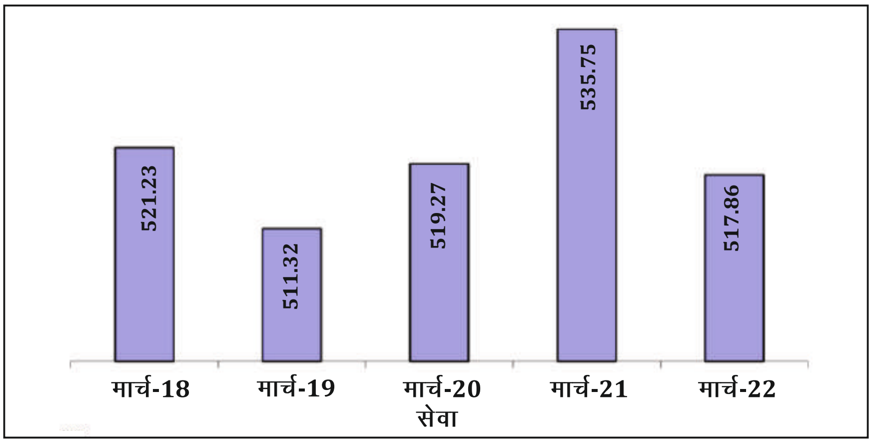

तालिका–7 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर और बाजार की हिस्सेदारी

क्र. सं.	वायरलेस समूह	सब्सक्राइबर (मिलियन में)		ग्रामीण सब्सक्राइबर (मिलियन में)		तिथि को ग्रामीण सब्सक्राइबरों की बाजार हिस्सेदारी	
		मार्च, 2022	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2021
1.	आरजेआईएल	403.99	422.92	175.77	179.31	33.94%	33.47%
2.	भारती एयरटेल	360.33	352.39	173.98	168.63	33.59%	31.47%
3.	वोडाफोन आइडिया	260.77	283.71 (*)	131.45	149.93 (*)	25.38%	27.98% (*)
4.	बीएसएनएल	113.74	118.63 (@)	36.62	37.84	7.07%	7.06%
5.	एमटीएनएल	3.25	3.30	0.04	0.05	0.01%	0.01%
6.	आरसीएल [&]	0	0.01	0	0.00	0%	0.00
	कुल	**1142.09**	**1180.96**	**517.86**	**535.75**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर यथा आधारित

टिप्पणी:

(*) मैसर्स वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 से अपनी सेवाओं का विलय कर दिया है।

(@) तमिलनाडु सर्किल के लिए मैसर्स बीएसएनएल वीएनओ द्वारा उपलब्ध कराए गए एचएलआर आंकड़ों को तमिलनाडु सर्किल में बीएसएनएल जीएसएम में सम्मिलित कर दिया गया है।

(&) मैसर्स आरसीएल/आरटीएल ने खुदरा सेवाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, तथापि, वे बी2बी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

चित्र–5 : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण वायरलेस सब्सक्राइबर आधार की बाजार हिस्सेदारी

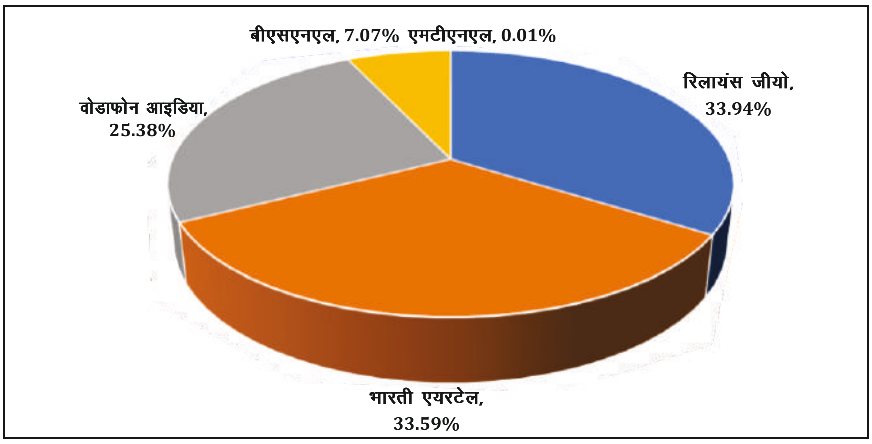

1.2.1.2 वायरलाइन सेवाएं

दिनाक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 1.96 (19,56,175) मिलियन था जबकि दिनांक 31 मार्च 2021 के अंत में यह संख्या 1.67 (16,67,743) मिलियन थी, जिसमें वर्ष के दौरान 17.29% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार और उनकी बाजार हिस्सेदारी **तालिका–8** में दर्शाई गई है।

तालिका–8 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार तथा उनकी बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	वॉयरलाइन समूह	कुल वॉयरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्सक्राइबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्सक्राइबरों की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	
		मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2021	मार्च, 2022	मार्च, 2021	मार्च, 2022
1	बीएसएनएल	66,49,439	75,09,030	15,75,018	18,06,675	94.44:	92.36%
2	एमटीएनएल	29,03,589	26,93,638	–	–	–	–
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	47,78,290	58,50,300	–	–	–	–
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	2,16,428	2,66,799	28,107	22,618	1.68%	1.16%
5	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	16,26,525	16,00,819	40,146	37,562	2.41%	1.92%
6	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	2,10,328	1,74,121	180	150	0.01%	0.01%
7	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	5,21,357	5,72,478	–	–	–	–
8	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	33,33,713	61,72,571	24,292	87,170	1.46:	4.55%
	कुल	**2,02,39,669**	**2,48,39,756**	**16,67,743**	**19,56,175**	**100.00%**	**100.00%**

(ii) अंतिम चार तिमाहियों के लिए ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–6** में दर्शाई गई है: –

चित्र–6 : ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाता 'बार–चार्ट'

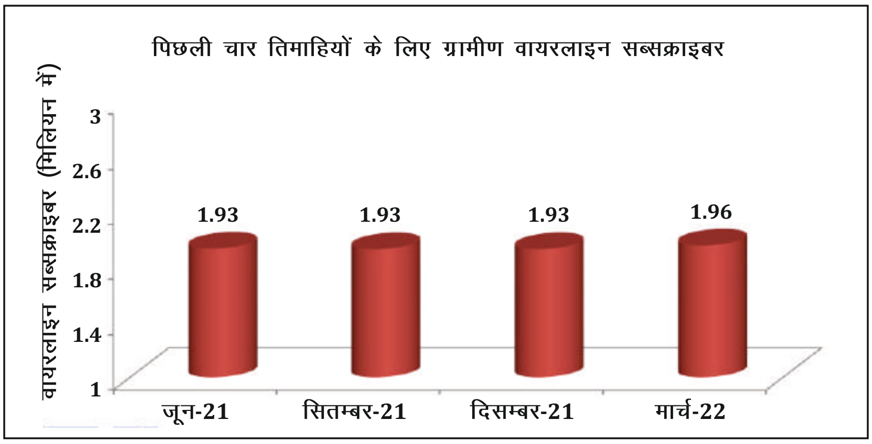

(iii) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों की स्थिति **चित्र–7** में दर्शाई गई है:

चित्र–7 : 2018–2022 के दौरान ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों को दर्शाता 'बार–चार्ट'

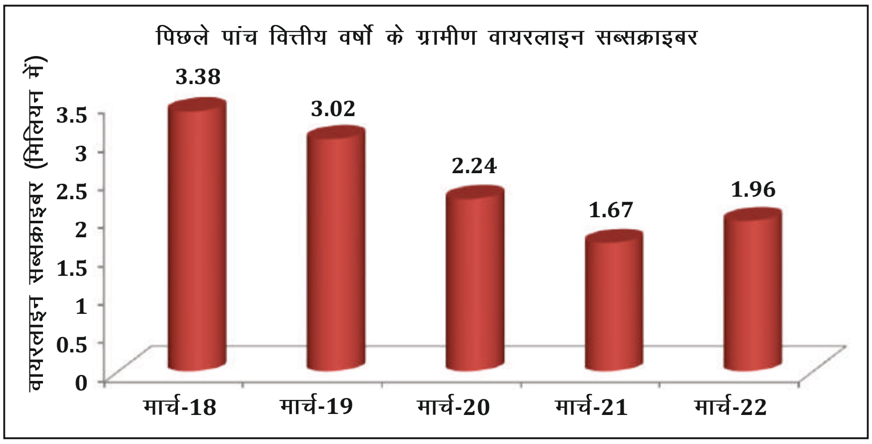

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

देश में दूरसंचार नेटवर्क में पर्याप्त विस्तार हुआ है, जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। मार्च 2018 से मार्च 2022 तक बीटीएस की कुल संख्या, जिसमें 2जी, 3जी और 4जी बीटीएस शामिल हैं, की वार्षिक प्रवृति को **चित्र–8** से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बीटीएस की संख्या 25,04,910 से बढ़कर 27,56,271 हो गई है, जो दर्शाता है कि दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार 10.03% की दर से हुआ है।

चित्र–8 : संस्थापित किए गए बीटीएस

(मिलियन में)

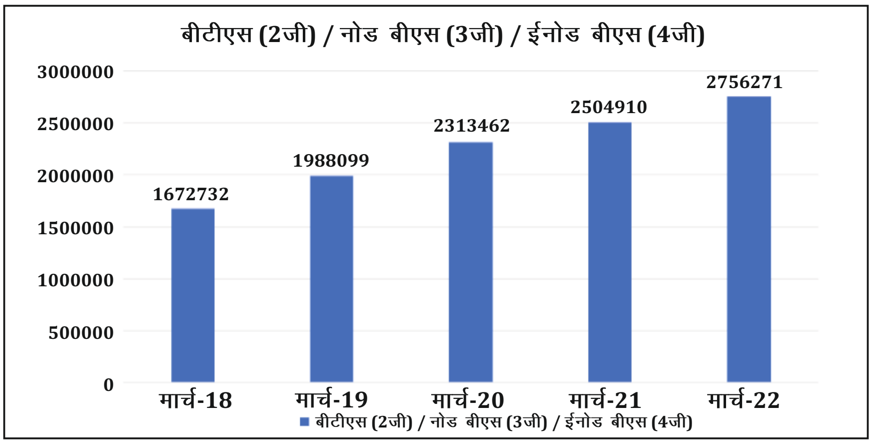

1.2.2.1 वायरलेस सेवाएं

वायरलाइन सेवाओं का कुल सब्सक्राइबर आधार दिनांक 31 मार्च, 2021 में 1180.96 मिलियन की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2022 को 1142.09 मिलियन रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सब्सक्राइबर आधार में 38.87 मिलियन सब्सक्राइबरों की कमी आई। मार्च 2018 से मार्च 2022 तक सब्सक्राइबर आधार का रुझान **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

चित्र–9 : वायरलेस ऑपरेटरों का सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

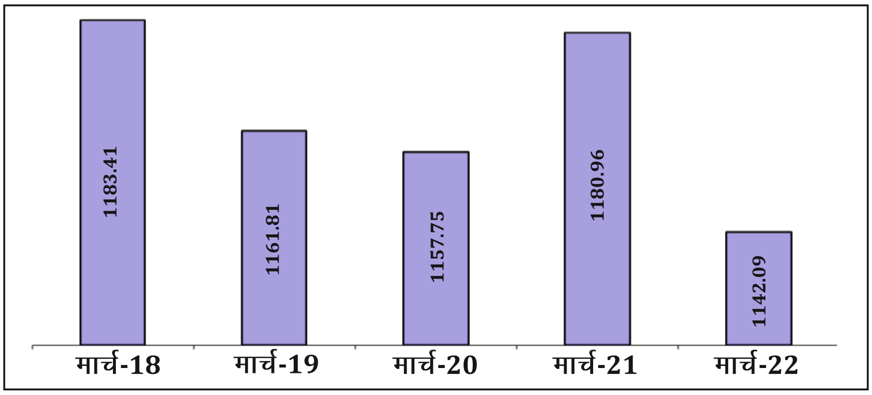

वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में 2017–18 से 2021–22 तक व्यक्तिगत वायरलेस सेवा प्रदाताओं का सब्सक्राइबर आधार उनकी प्रतिशत वृद्धि के साथ **तालिका–9** में दिया गया है। 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–10** में दर्शाया गया है।

तालिका–9 : 2017–18 से 2021–22 के दौरान वायरलेस सेवाओं का सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	वित्त वर्ष 2020–21 में वृद्धि / कमी में
रिलायंस जियो	186.56	306.72	387.52	422.92	403.99	-4.48%
भारती एयरटेल	304.19	325.18	327-81($)	352.39	360.33	2.25%
वोडाफोन	222.70	394.84(^)	319.17(^)	283.71(^)	260.77	-8.09%
आइडिया	211-21					
बीएसएनएल	111.68	115.74(~)	119.87(~)	118.63(~)	113.74	-4.12%
एमटीएनएल	3.56	3.45	3.36	3.30	3.25	-1.52%
आरकॉम / आरटीएल(#)	0.19	0.02	0.0178	0.01	--	--
एयरसेल(+)	74.15	--	--	--	--	--
टाटा	31.19	15.85	--	--	--	--
टेलीनोर	37.98	0.00($)	--	--	--	--
कुल	**1183.41**	**1161.81**	**1157.75**	**1180.96**	**1142.09**	**-3.29**

स्रोत: सेवा प्रदाता

($) मैसर्स टेलीनॉर और मैसर्स टाटा का मैसर्स भारती एयरटेल के साथ क्रमशः दिनांक 14 मई, 2018 तथा 06 फरवरी, 2020 को विलय हो गया।

(^) मैसर्स वोडाफोन और मैसर्स आयडिया सेल्युलर ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवाओं को विलय कर दिया है।

(~) मैसर्स बीएसएनएल के सब्सक्राइबर आधार में वीएनओ सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबर भी शामिल हैं।

(+) मैसर्स एयरसेल ने अप्रैल 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया है और एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाहियां दायर की हैं।

(#) मैसर्स आरसीएल/आरटीएल ने खुदरा सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया है, हालांकि, बी2बी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है।

चित्र–10 : वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

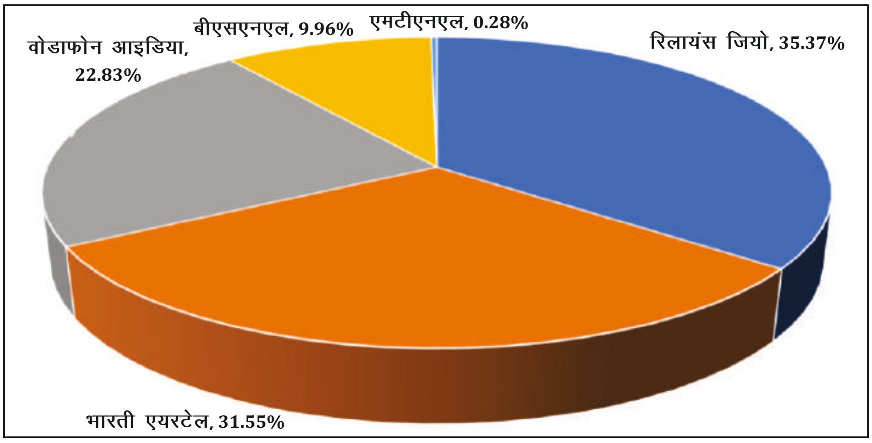

सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में, मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 403.99 मिलियन सब्सक्राइबरों के साथ सबसे बड़ा सेवा प्रदाता थाय जिसके पश्चात मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मैसर्स बीएसएनएल और मैसर्स एमटीएनएल क्रमशः 360.33 मिलियन, 260.77 मिलियन, 113.74 मिलियन और 3. 25 मिलियन सब्सक्राइबर थे।

मार्च 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार को **चित्र–11** में रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

चित्र–11 : मार्च 2018 से मार्च 2022 के दौरान सर्किल श्रेणी वार वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर आधार

(मिलियन में)

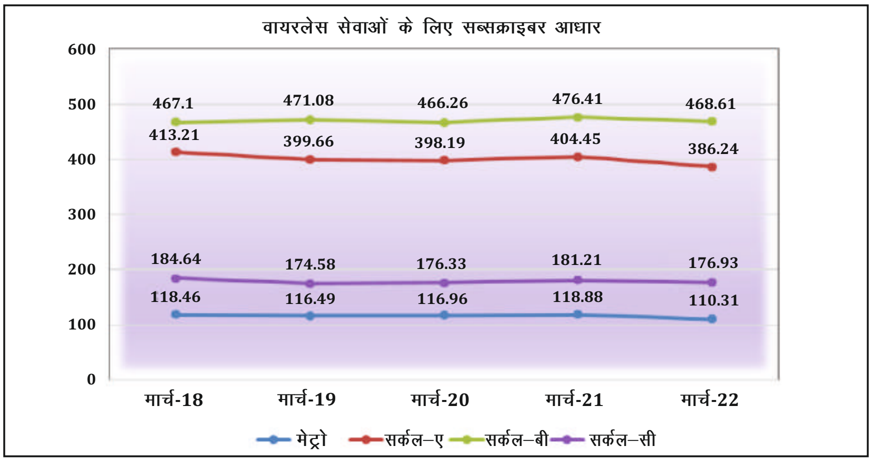

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–10** में दी गई है।

तालिका–10 : 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वायरलेस सेवा प्रदाताओं की स्थिति

क्र.सं	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	22	अखिल भारत
2	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, / रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड		अखिल भारत (असम और पूर्वोत्तर के अलावा) / कोलकाता, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर
3	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	22	अखिल भारत
4	बीएसएनएल	20	दिल्ली और मुंबई के अलावा अखिल भारत में
5	एमटीएनएल	2	दिल्ली, मुंबई
6	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	22	अखिल भारत

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार यूएल (वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर) (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज लाइसेंसधारी

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्लिंट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	22	अखिल भारत

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलबद्ध जानकारी के अनुसार

1.2.2.2 वायरलाइन सेवाएं

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 24.84 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदाता वार विवरण **तालिका–11** में दिखाया गया है और ग्रामीण एवं शहरी सब्सक्राइबरों के संदर्भ में विवरण **तालिका–12** में दर्शाया गया है। मौजूदा वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार के मामले में बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी क्रमश 30.23% और 10.84%, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों के पास कुल मिलाकर 58.93% हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी दिनांक 31 मार्च, 2021 के दौरान 52.80% से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 58.93% हो गई है, जिसमें 6.13% की वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका–11 : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार का विवरण

क्रम	सेवा प्रदाता का नाम	प्रचालन का क्षेत्र	सब्सक्राइबर बेस (वायरलाइन)
1	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई के अलावा संपूर्ण भारत	75,09,030
2	एमटीएनएल	दिल्ली और मुंबई	26,93,638
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व और उत्तर प्रदेश–पश्चिम।	58,50,300
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	2,66,799
5	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	1,74,121
6	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	61,72,571
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, आंध्र कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	16,00,819
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	5,72,478
	कुल		2,48,39,756

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

तालिका–12 : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाताओं का वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार

क्र.सं	सेवा प्रदाताओं का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल सब्सक्राइबर (वायरलाइन)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	5,702,355	1,806,675	7,509,030
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,693,638	0	2,693,638
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	5,850,300	0	5,850,300
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	244,181	22,618	266,799
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	173,971	150	174,121
6	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	6,083,401	89,170	6,172,571
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	1,563,257	37,562	1,600,819
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	572,478	0	572,478
	कुल	**22,883,581**	**1,956,175**	**24,839,756**

1.2.2.3 वायरलाइन सब्सक्राइबरों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

(i) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 41.07% बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क से जुड़े हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–12** में दर्शाया गया है।

चित्र–12 : सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

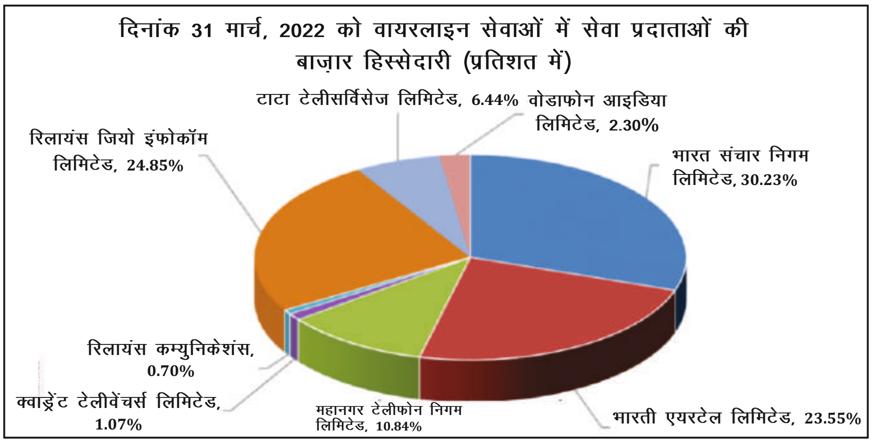

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2022 को शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबरों की कुल संख्या 22.88 मिलियन थी, जिसमें से लगभग 36.69 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार की हिस्सेदारी **चित्र–13** में दर्शाई गई है।

चित्र–13 : शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

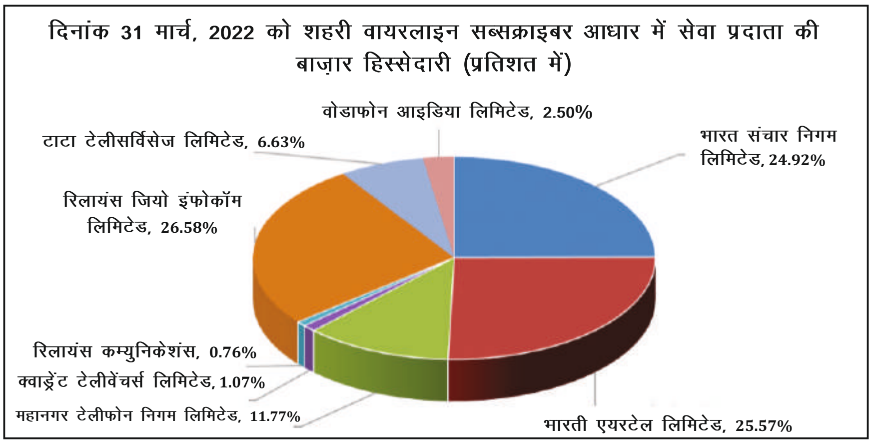

(iii) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर आधार 1.96 मिलियन था। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–14** में दर्शाया गया है:–

चित्र–14 : ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

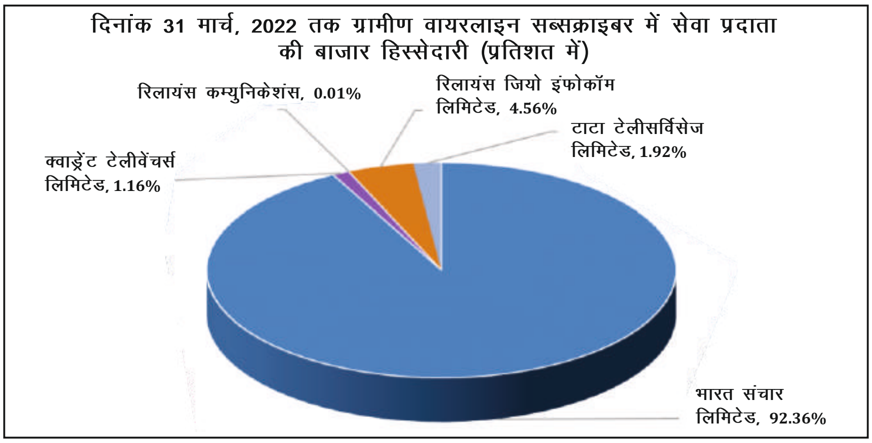

1.2.2.4 पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

दिनांक 31 मार्च, 2021 में 0.126 मिलियन पीसीओ की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पीसीओ की कुल संख्या 0.066 मिलियन है। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका–13** में दर्शाई गई है।

तालिका–13 : भारत में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक
1	बीएसएनएल	68,826	45,434
2	एमटीएनएल	52,771	16,443
3	निजी ऑपरेटर	4,511	4,277
	कुल	**1,26,108**	**66,154**

1.2.2.5 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की संख्या 0.69 लाख की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देश में कुल ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या 0.69 लाख थी।

तालिका–14 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च 2022 तक
1	बीएसएनएल	68,606	68,606
	कुल	**68,606**	**68,606**

1.2.2.6 सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदाता–वार कुल सुसज्जित स्विचिंग क्षमता तथा चालू कनेक्शनों को ब्योरा **तालिका–15** में दर्शाया गया है:–

तालिका–15 : सेवा प्रदाता वार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2022 तक	
			सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	चालू कनेक्शन
1	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व और उत्तर प्रदेश–पश्चिम।	1,07,57,171	58,50,300
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई के अलावा अखिल भारत	22,040,358	75,09,030
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	4,881,215	26,93,638
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	548,835	2,66,799
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	1,344,000	1,74,121
6	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	23,928,000	61,72,571

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2022 तक	
			सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	चालू कनेक्शन
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	3,389,948	16,00,819
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश–पूर्व, यूपी– पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	735,000	5,72,478

स्रोतः सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार।

1.2.2.7 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में इंटरनेट सब्सक्राइबर आधार 31 मार्च, 2021 में 825.301 मिलियन की तुलना में 824.888 मिलियन था। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार 788.295 मिलियन था जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 778.095 मिलियन था।

दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा यथा संसूचित सब्सक्राइबरों का विवरण **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका–16 : इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों का विवरण

(मिलियन में)

	खंड		श्रेणी	इंटरनेट सब्सक्राइबर		प्रतिशत विकास
				मार्च, 2021	मार्च, 2022	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	22.75	27.25	19.77%
			नैरोबैंड	3.25	0.03	–99.15%
			कुल	**25.99**	**27.27**	**4.92%**
ख.	वायरलेस	वायरलेस फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीएसएटी)	ब्रॉडबैंड	0.67	1.18	75.17%
			नैरोबैंड	0.01	0.01	8.32%
			कुल	**0.68**	**1.19**	**74.62%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन+ डोंगल)	ब्रॉडबैंड	754.67	759.87	0.69%
			नैरोबैंड	43.96	36.56	–16.83%
			कुल	**798.63**	**796.43**	**–0.28%**
	कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर		ब्रॉडबैंड	778.09	788.29	1.31%
			नैरोबैंड	47.21	36.59	–22.48%
			कुल	**825.30**	**824.89**	**–0.05%**

1.2.2.8 वर्ष 2021–22 के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा संसूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का विवरण **तालिका–17** में दिया गया है।

तालिका–17 : तिमाही–वार इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर

(मिलियन में)

सेवा	जून 2021	सितम्बर 2021	दिसंबर 2021	मार्च 2022
ब्रॉडबैंड	792.78	794.88	792.09	788.29
नैरोबैंड	40.93	39.40	37.21	36.59
कुल इंटरनेट	**833.71**	**834.29**	**829.30**	**824.89**

1.2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सर्विसेज प्रदान करने के लिए यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स) (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज के लाइसेंसधारियों की संख्या **तालिका–18** में दर्शाई गई है:–

तालिका–18 : दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सर्विसेज प्रदान के लिए यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों) (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज के लाइसेंसधारी

क्र.सं	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्लिंट्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)	22	अखिल भारत

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

क्र.सं	लाइसेंस का प्रकार	31 मार्च, 2022 को जारी लाइसेंसधारियों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1 (i)	एनएलडी (यूएल व्यवस्था से पूर्व)	20	0
1 (ii)	एनएलडी (यूएल व्यवस्था से पूर्व)	22	09
2 (i)	एनएलडी (व्यवस्था से पूर्व)	16	0
2 (i)	आईएलडी (व्यवस्था से पूर्व)	13	06
3	एनएलडी (वीएनओ)	08	04
4	आईएलडी (वीएनओ)	07	05

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी संगतता तथा प्रभावी अंतर्संयोजन

1.2.4.1 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं या उन सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था न हो। प्रभावी और शीघ्र अंतर्संयोजन की उपलब्धता दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 के दौरान, भादूविप्रा ने 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020'' अधिसूचित किया, जो किन्हीं दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित) और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाता है।

इन विनियमों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में उपलब्ध है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ प्राधिकरण की पहुंच और संपर्क बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

i. **डीएनडी ऐप 3.0– टीएसपी डीएलटी सिस्टम के साथ**

टीसीसीसीपी विनियम, 2018 के प्रावधानों को लागू करने और यूसीसी, यदि कोई हो, की सूचना देने में उपभोक्ताओं

की सहायता करने हेतु पिछले वर्ष डीएनडी ऐप को संस्करण डीएनडी 3.0 में अद्यतन किया गया था। अब ऐप को डेटा एपीआई द्वारा टीएसपी डीएलटी (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी) सिस्टम के साथ एकीकृत कर दिया गया है। डेटा एपीआई के लिए विनिर्देश भादूविप्रा द्वारा तैयार किए गए थे और टीएसपी ने एपीआई विकसित किए हैं। ऐप और टीएसपी के डीएलटी सिस्टम के बीच सभी डेटा एक्सचेंज, जैसे वरीयता पंजीकरण/संशोधन, शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति आदि, अब केवल डेटा एपीआई के माध्यम से किया जा रहा है।

ii. रिपोर्टिंग स्वचालन

भादूविप्रा ने डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को नए संस्करण के साथ अपडेट किया है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को ऑनलाइन डेटा जमा करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए स्वचालित डेटा संग्रह, सत्यापन, प्रसंस्करण और रिपोर्ट निर्माण (टेब्लो टूल का उपयोग करके) प्रदान करता है।

iii. डेटा एनालिटिक्स तथा क्लाउड सेवाएं

भादूविप्रा द्वारा क्राउडसोर्सिंग और विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त डेटा का उपयोग सार्थक अंतर्दृष्टि और जानकारी उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। विभिन्न सूचनात्मक डैशबोर्ड बनाने के लिए भादूविप्रा मुफ्त/लाइसेंस प्राप्त उपकरणों का उपयोग करता है। इसने भादूविप्रा के विभिन्न अनुप्रयोगों की शुरुआत के लिए क्लाउड वातावरण, विशेष रूप से एनआईसी क्लाउड का भी लाभ उठाया है, जिससे इन–हाउस/डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में बचत हुई है।

iv. ट्राई रेकमेन्डेशन स्टेटस पोर्टल (टीआरएसपी)

प्राधिकरण समय–समय पर दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार को अनुशंसाए प्रदान करता है। सभी अनुशंसाओं की स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने हेतु केंद्रीय भंडार बनाने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने अनुशंसा स्थिति पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल भादूविप्रा और दूरसंचार विभाग/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अनुशंसाओं की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी अनुशंसाओं पर भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्रवाई को संबंधित विभाग द्वारा अद्यतन किया जा रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

v. चैनल चयनकर्ता ऐप

भादूविप्रा ने एंड्रॉइड और आईओएस के लिए वर्ष 2020 में चौनल चयनकर्ता मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चौनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे सब्सक्राइब करना और देखना चाहते हैं। इस ऐप के माध्यम से, उपभोक्ता अपने डीपीओ के प्रस्तावों को देख सकते हैं, मौजूदा सब्सक्रिप्शन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, चौनलों का चयन और अनुकूलन कर सकते हैं तथा बुके का चयन कर सकते हैं, मौजूदा चयन को संशोधित कर सकते हैं तथा संबंधित डीपीओ (08 डीटीएच/एमएसओ के बीच) के साथ अपना चयन सेट कर सकते हैं। ऐप उपभोक्ता के चयन के आधार पर कुल मासिक बिल को कम करने के लिए उपभोक्ता के चयन के आधार पर एक इष्टतम कॉन्फिगरेशन यानी चैनलों/बुके के संयोजन हेतु सुझाव प्रदान कर सकता हैं।

भादूविप्रा ने अब उन सब्सक्राइबरों की सुविधा के लिए टीवी चौनल चयनकर्ता पोर्टल भी विकसित किया है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या जो वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। वर्तमान में ऐप तथा पोर्टल दोनों में 17 डीपीओ उपलब्ध हैं। चैनल चयनकर्ता ऐप और पोर्टल उपभोक्ताओं के बीच अपने सब्सक्रिप्शन को देखने और संशोधित करने के लिए बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। अब तक, 17 लाख उपभोक्ताओं ने अपने टीवी सब्सक्रिप्शन की जांच की है और 10 लाख उपभोक्ताओं ने ऐपध्पोर्टल के माध्यम से अपने सब्सक्रिप्शन को सक्रिय किया है।

vi. **एसएमएस समापन प्रभार से छूट हेतु पोर्टल**

विभिन्न जी2सी सूचना का प्रसार करने के लिए सरकारी संस्थाएँ अल्फान्यूमेरिक हेडर के माध्यम से उपभोक्ताओं को लेनदेन संबंधी एसएमएस भेजती हैं। भादूविप्रा ने पहले सभी सरकारी संस्थाओं की सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया था, जो लेन–देन संबंधी एसएमएस भेजने के लिए 5 पैसे तक के एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट चाहते हैं। पोर्टल के माध्यम से संस्थाएं नए सिरे से या छूट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं तथा अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

अब, टीएसपी डीएलटी सिस्टम में पंजीकृत हेडर के विवरण सीधे प्राप्त करने के लिए डेटा एपीआई को पोर्टल में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, जब भी किसी हेडर को भादूविप्रा द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो डेटा एपीआई के माध्यम से टीएसपी को उनके बिलिंग सिस्टम में कॉन्फिगरेशन के लिए विवरण भेजा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को दी गई छूटों के समय पर कार्यान्वयन में मदद करती है।

vii. **हैडर सूचना पोर्टल**

जब उपभोक्ताओं को अल्फान्यूमेरिक हेडर के माध्यम से भेजे गए लेनदेन संबंधी एसएमएस प्राप्त होते हैं, तो वे उस संस्था का विवरण जानना चाहेंगे जिसने एसएमएस भेजा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भादूविप्रा ने पहले हेडर सूचना पोर्टल विकसित किया है जहां प्रेषक का विवरण देखा जा सकता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी सहायता करता है कि क्या कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर के बारें में पूछताछ कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यापार या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड करते हैं।

अब टीएसपी द्वारा मैन्युअल रूप से अपलोड करने की आवश्यकता के बिना टीएसपी डीएलटी सिस्टम से सीधे हेडर के विवरण प्राप्त करने हेतु पोर्टल में डेटा एपीआई को एकीकृत किया गया है।

viii. **प्रशासनिक स्वचालन**

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कर्मचारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर (कैरियर) विवरण सहित उनके डेटाबेस का रखरखाव करती है। एक ऑनलाइन और अद्यतन डेटाबेस के साथ इस तरह की प्रणाली की उपलब्धता सरकारी विभागों के लिए दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे व्यक्तिगत फाइलों को बनाए रखना, प्रबंधन, प्रतिपूर्ति, अग्रिम, पर्यटन आदि को अधिक कुशलतापूर्वक और सही ढंग से स्वचालित करना आसान बनाती है। अब भादूविप्रा एनआईसी द्वारा विकसित ई–मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई–एचआरएमएस) को लागू कर रहा है।

ix. **अवसंरचना उन्नयन**

(i) नेटवर्क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भादूविप्रा ने गेटवे राउटर और एल3 स्विच को अद्यतन किया है।

(ii) ई–ऑफिस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, भादूविप्रा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए हाई स्पीड स्कैनर खरीदे गए थे।

(iii) भादूविप्रा में ई–ऑफिस की शुरुआत के साथ, सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से स्कैन और अपलोड करना और ई–ऑफिस में स्थानांतरित करना आवश्यक है। स्कैनिंग गतिविधियों के प्रबंधन हेतु भादूविप्रा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए हाई स्पीड स्कैनर खरीदे गए।

(iv) एसआरओ स्तर तक के सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) प्रदान किए गए हैं।

(v) भादूविप्रा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन बैठकों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/ओएचडी आदि में भाग लेने के लिए वेबकैम और हेडसेट प्रदान किए गए हैं।

1.2.6. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) के भाग के रूप में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 08 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ भादूविप्रा से अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 19 अगस्त, 2021 को ''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करना'' पर अपनी अनुशंसाए प्रस्तुत की।

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ, सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा अपने 'प्रॉपल इंडिया' मिशन के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक निवेश की, एक रणनीति के रूप में परिकल्पना की गई है, और सरलीकरण को सक्षम बनाने के हेतु विलय और अर्जन, 2014 संबंधी दिशानिर्देशों में सुधार कर अनुपालन संबंधी बाध्यताओं को सरल तथा सुगम बनाकर अनुमोदनों का सरलीकरण करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना और स्वीकृतियों को तेजी से ट्रैक करना यह उपरोक्त रणनीति को पूरा करने की कार्य योजना में से एक है। उक्त पत्र दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने, अन्य बातों के साथ–साथ, भादूविप्रा से 'विलय और अर्जन, 2014 के लिए दिशानिर्देशों में सुधार' पर अनुशंसाए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, दिनांक 21 फरवरी, 2020 को, प्राधिकरण ने 'दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय पर दिशानिर्देशों में सुधार' पर अपनी अनुशंसाए प्रस्तुत कीं। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से उक्त अनुशंसाओं का अपना पिछला संदर्भ भेजा। दूरसंचार विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पुनर्विचार करने के बाद, दिनांक 27 नवंबर, 2021 को पिछले संदर्भ का उत्तर भेजा गया।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) ने अपने मिशन के हिस्से के रूप में सेवा की गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, सामाजिक–आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में सभी के लिए ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने हेतु मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की है। सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान एनडीसीपी–2018 के उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 31 अगस्त, 2021 को 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप' पर अपनी अनुशंसाए प्रदान की है। इन अनुशंसाओं के भाग के रूप में, भादूविप्रा ने ब्रॉडबैंड परिभाषा और वर्गीकरण, ब्रॉडबैंड प्रसार एवं गति वृद्धि, ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं साझाकरण, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के पहलुओं को शामिल किया है और अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसा की है:

- राष्ट्रीय आरओडब्ल्यू नीति का अधिनियमन।
- आरओडब्ल्यू अनुमतियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण।
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन में परिकल्पित संस्थागत तंत्र में आरओडब्ल्यू अनुमति को शामिल करना तथा बेहतर निरीक्षण के लिए समितियों का पुनर्गठन।
- खुले नालों और गड्ढों के लिए समान मरम्मत शुल्क, आरओडब्ल्यू सुधारों को लागू करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) स्कोर से जुड़े प्रोत्साहन।
- गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाताओं के साथ फाइबराइजेशन तथा साझा करने के हेतु सामान्य डक्ट्स और पोस्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- भारतनेट परियोजना के तहत दी गई छूट के समान कॉमन डक्ट्स और पोस्ट बिछाने के लिए अगले पांच वर्षों तक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरओडब्ल्यू शुल्क में छूट।
- देश भर में सामान्य डक्ट्स और पोस्ट अवसंरचना की योजना और विकास के लिए कॉमन डक्ट्स एंड पोस्ट डेवलपमेंट एजेंसी (सीडीपीडीए) की स्थापना।
- टीईसी द्वारा सामान्य डक्ट्स और पोस्ट के लिए डिजाइन तथा मानकों की अधिसूचना।
- सामान्य डक्ट्स की सह–तैनाती के लिए सड़क, रेलवे, पानी, बिजली, गैस इत्यादि जैसे अन्य उपयोगिता प्रदाताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु नीति तैयार करना।
- सामान्य डक्ट्स की स्थापना को स्मार्ट सिटी विकास योजना का अभिन्न अंग बनाया जाए।
- साझा करने की सुविधा के लिए सभी निष्क्रिय बुनियादी ढांचे की जीआईएस मैपिंग।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए लाइसेंस शुल्क (एलएफ) में छूट के रूप में लक्ष्य से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन।
- फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक पायलट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना।
- एक्सेस नेटवर्क के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम की वार्षिक स्पेक्ट्रम नीलामी।
- मांग पर और सेलुलर नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए समयबद्ध तरीके से बैकहॉल स्पेक्ट्रम का आवंटन ।
- मिड–बैंड स्पेक्ट्रम (3300–3600GHZ) की नीलामी में तेजी लाना ।
- आईएमटी–2020 के लिए मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का आवंटन।
- सेलुलर नेटवर्क के बैकहॉल के फाइबराइजेशन के लिए भारतनेट का उपयोग।
- उपभोक्ताओ की जागरूकता के लिए निर्माताओं और विपणक द्वारा 3जीपीपी मानकों के अनुसार मोबाइल हैंडसेट के लिए उपयोगकर्ता उपकरण श्रेणी की घोषणा।
- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को मौजूदा 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 2 एमबीपीएस करना।

1.2.7 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

1.2.7.1 वर्ष 2021–22 के दौरान, सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और सेवा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी के प्रसार तथा 'स्पैम' पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव आया है जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण रिपोर्ट के भाग–II में दिया गया है।

1.2.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.8.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (वर्ष 2003 और 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती और उचित मूल्य पर लोगों की टेलीग्राफ सेवा तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यह कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व का अर्थ उचित मूल्य पर परिभाषित न्यूनतम सेवा की निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ हर जगह सभी उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा मुहैया कराना है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, देश के वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (जिसमें 2006 में अगला संशोधन किया गया था) के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएसफ) की स्थापना की गई थी।

सरकार ने ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंच में सुधार के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएसफ) का उपयोग करते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और इसके निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए भादूविप्रा ने 20 अगस्त, 2020 को 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप' पर एक परामर्श पत्र जारी किया और 31 अगस्त, 2021 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेजीं।

(ग) प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

(i) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। टेलीविजन सेवाओं में दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क के अलावा केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, हिट्स सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं शामिल हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में, टीवी जगत में लगभग 67 मिलियन केबल टीवी परिवार[1], 3 मिलियन हिट्स सब्सक्राइबर[1] और 43 मिलियन मुफ्त डीटीएच परिवार[1] शामिल थे। इसके अलावा, जैसा कि पे–डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को सूचित किया गया है, मार्च, 2022 के अंत में पे–डीटीएच के कुल 66.92 मिलियन सक्रिय सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा, जैसा कि आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा सूचित किया गया कि मार्च, 2022 के अंत में सब्सक्राइबर आधार 7,50,306 था।

(ii) टीवी प्रसारण क्षेत्र में लगभग 350 प्रसारक शामिल हैं, जिनमें से मार्च, 2022 के अंत तक 42 पे ब्रॉडकास्टर[2] थे। सार्वजनिक सेवा प्रसारक दृ दूरदर्शन के अलावा जो भारत में फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा प्रदान कर रहा है, मार्च, 2022 के अंत तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 1764 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर(एमएसओ)[3], 1 एचआईटीएस ऑपरेटर[2], 4 पे–डीटीएच ऑपरेटर[2] और 20 आईपीटीवी[2] ऑपरेटर पंजीकृत थे। इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक, देश में कुल 81,706 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे।

(iii) वर्तमान में, मार्च 2022 के अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगभग 898 निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों[3] को अनुमति दी गई है, जिनमें से 248 एसडी पे टीवी चौनल[2] थे और 97 एचडी पे टीवी चौनल[2] थे।

(iv) भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2020 में रु. 68,500[1] करोड़ की तुलना में वर्ष 2021 में रु. 72,000[1] करोड़ का हो गया है, जिससे लगभग 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व समग्र उद्योग राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2020 के रु. 43,400[1] करोड़ से घटकर वर्ष 2021 में रु. 40,700[1] करोड़ हो गया है। इसके अलावा, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2020 में रु. 25,100[1] करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021 में रु. 31,300[1] करोड़ हो गया है।

(vi) जैसा कि भादूविप्रा को निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित किया गया था, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा मार्च, 2022 के अंत तक 3862 निजी एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। जहां तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित आंकड़ों का संबंध है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए मार्च, 2022 के अंत में जारी किए गए 4671 लाइसेंसों में से 3491 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गए हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित विज्ञापन राजस्व वर्ष 2020–21 में रु. 941.47 करोड[1] से बढ़कर वर्ष 2021–22 में रु. 1227.15 करोड[1] हो गया है।

[1] FICCI EY Report (March 2022) titled "Tuning into consumer -Indian M&E rebounds with a customer-centric approach
[2] As reported to TRAI
[3] https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app

1.3 प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

1.3.1 सैटेलाइट टेलीविजन चैनल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों की कुल संख्या मार्च, 2018 के अंत में 875 से बढ़कर मार्च, 2022 के अंत में 898 हो गई है। **चित्र–15** में इस अवधि के दौरान, टेलीविजन चैनलों की वर्ष–वार कुल संख्या को दर्शाता हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन(एसडी) पे टीवी चैनलों की संख्या मार्च, 2018 के अंत में 213 से बढ़कर मार्च, 2022 के अंत में 248 हो गई है। **चित्र–16** इस अवधि के दौरान एसडी पे टीवी चैनलों की वर्षवार कुल संख्या को दर्शाता है। **चित्र–17** में इस अवधि के दौरान प्रतिवेदित एचडी चैनलों की वर्षवार संख्या को दर्शाया गया है। मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एचडी के कुल 97 चैनल काम कर रहे हैं। प्रसारक और उनके पे–टेलीविजन चैनलों (एसडी और एचडी) की सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक– I के रूप में संलग्न है।

चित्र–15 : भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की संख्या

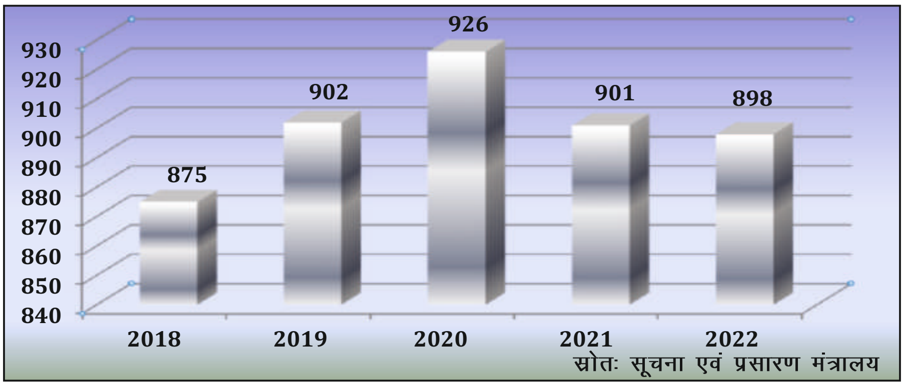

चित्र–16 : एसडी सैटेलाइट पे टेलीविजन चैनलों की संख्या

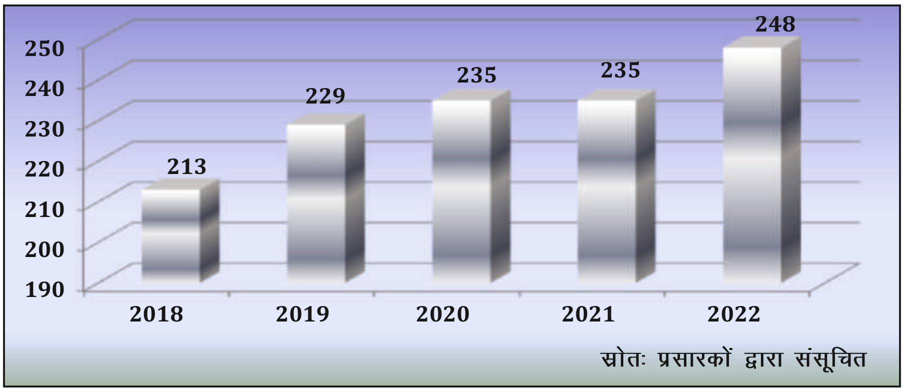

चित्र–17 : एचडी सैटेलाइट पे टेलीविजन चैनलों की संख्या

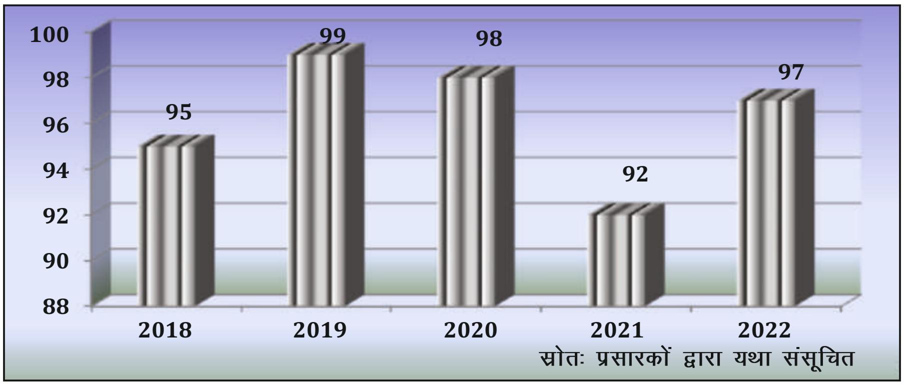

1.3.2 डीटीएच सेवाएं

वर्ष 2003 मे अपनी शुरुआत से ही, भारतीय डीटीएच सेवाओं ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है। जैसा कि पे डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा भादूविप्रा को बताया गया है, पे डीटीएच ने मार्च 2022 के अंत तक लगभग 66.92 मिलियन का कुल सक्रिय सब्सक्राइबर आधार प्राप्त कर लिया है। यह डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवाएं) के सब्सक्राइबरों की संख्या के अलावा है। मार्च, 2022 के अंत में, 4 पे–डीटीएच सेवा प्रदाता इस सब्सक्राइबर आधार को अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। डीटीएच ऑपरेटरों की एक सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक–।। के रूप में संलग्न है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्व में (मार्च, 2019 तक) कुल सक्रिय सब्सक्राइबरों के सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में निष्क्रिय तथा अस्थायी रूप से निलंबित सब्सक्राइबर शामिल थे, जो कि पिछले 120 दिनों से अधिक नहीं थे। तथापि, प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं के नए विनियामक ढ़ांचे के अनुसार निष्क्रिय तथा अस्थायी रूप से निलंबित सब्सक्राइबर शामिल थे, जो पिछले 90 दिनों से अधिक नहीं थे। इस बिंदु को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08 अक्तूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/2019 (https://trai-gov-in/sites/default/files/PR_No-86of2019.pdf) में विधिवत् रूप से स्पष्ट किया गया है। अपने निवल सब्सक्राइबर आधार के संदर्भ में इस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर को **चित्र–18** में दर्शाया गया है।

चित्र–18 : पे–डीटीएच क्षेत्र के कुल निवल सक्रिय उपभोक्ता आधार (मिलियन में)

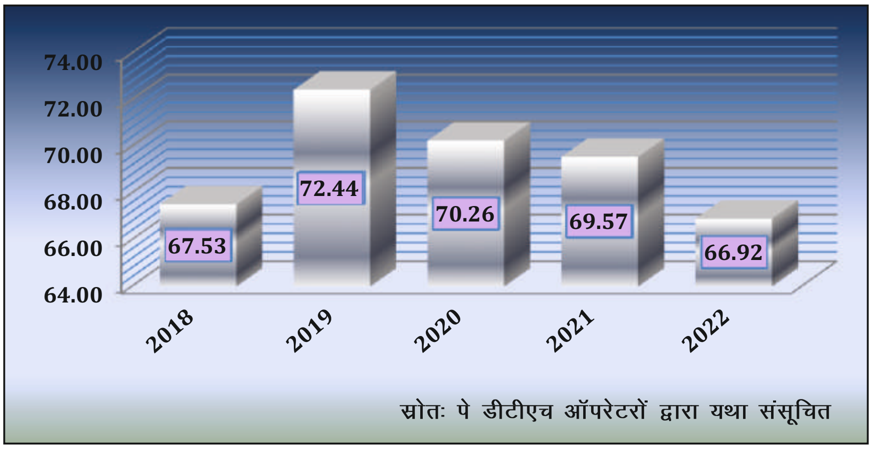

पारंपरिक टेलीविजन चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, पे–डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नई नवोन्मेषी पेशकश और मूल्य संवर्धित सेवाएं जोड़ना जारी रखा हैं जैसे मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि।

1.3.3 एफ एम रेडियो

रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायत जैसे व्यापक गुणों के कारण जन संचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में, रेडियो कवरेज शार्ट–वेव (एसडब्ल्यू), मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) बैंड और एमप्लीटयूड मॉड्युलेशन (एएम) मोड और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। आज के समय में, एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, जानकारी और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख साधन माना जाता है। जैसा कि भादूविप्रा को निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा सूचित किया गया है, मार्च, 2022 के अंत तक सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के भौमिक नेटवर्क के अलावा, ऑल इंडिया रेडियो के 386 निजी एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं।

मार्च, 2022 के अंत में, एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को दी गई जानकारी के अनुसार, 36 निजी एफएम प्रसारकों द्वारा 113 शहरों में 386 एफएम रेडियो स्टेशनों को चालू कर दिया गया है। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में निजी एफएम प्रसारकों के आने से रेडियो का दायरे का काफी विस्तार होने के साथ–साथ श्रोताओं को बेहतर सिग्नल की गुणवत्ता और अच्छी विषयवस्तु प्राप्त हो रही है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है और साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वर्ष 2021–22 में निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा भादूविप्रा को सूचित विज्ञापन राजस्व रु. 1227.15 करोड़ था। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का वर्षवार कुल विज्ञापन राजस्व **चित्र–19** में दर्शाया गया है।

चित्र–19 : एफएम रेडियो विज्ञापन राजस्व

(₹ करोड़ में)

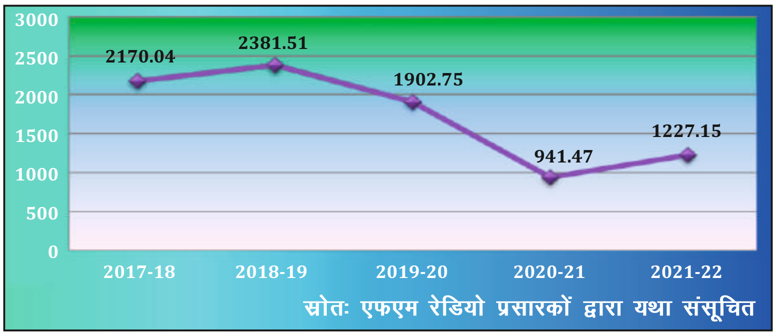

1.3.4 सामुदायिक रेडियो

देश में रेडियो के क्षेत्र में जिस अन्य क्षेत्र में विकास देखा गया है वह सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की संख्या में हुई वृद्धि है। देश के विशाल भूभाग, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधताओं तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए भारी संभावनाएं मौजूद हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी की रोजमर्रा के सरोकारों पर ध्यान देने के उद्देश्य के साथ छोटे समूहों और समुदायों को जोड़ने के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है और साथ ही स्थानीय अपेक्षाओं की प्राप्ति करने में जनसाधारण की मदद कर सकता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके सीआरएस स्थापित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 349 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वर्ष–वार हुई वृद्धि को चित्र–20 में दर्शाया गया है।

चित्र–20 : सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या

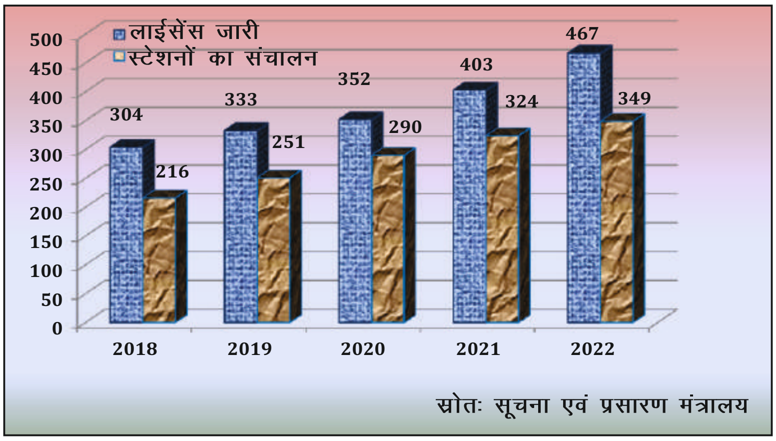

देश में प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति **तालिका–19** में दी गई है।

तालिका–19 : प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति

(दिनांक 31 मार्च 2022 के अनुसार)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त प्रसारकों की संख्या (लगभग)	350
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या	1764
स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार (1 जनवरी, 2022 तक)	81,706
पे–डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या (लगभग)	898
एसडी पे टीवी चैनलों की संख्या	248
एचडी टीवी चैनलों की संख्या	97
एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो के अलावा)	386
प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	349

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2022 तक पे–टेलीविजन चैनलों की सूची

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
1	एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		2	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
2	एशियानेट स्टार कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	3	विजय टीवी	एसडी
		4	विजय सुपर	एसडी
		5	विजय एचडी	एचडी
		6	विजय म्यूजिक	एसडी
		7	एशियानेट	एसडी
		8	एशियानेट प्लस	एसडी
		9	एशियानेट मूवीज	एसडी
		10	सुवर्णा प्लस	एसडी
		11	स्टार सुवर्णा एचडी	एचडी
		12	एशियानेट एचडी	एचडी
		13	स्टार सुवर्णा	एसडी
3	बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	14	आठ	एसडी
		15	सोनी मराठी	एसडी
4	बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज	एसडी
		17	सीबीबीज	एसडी
5	बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड	18	जूम	एसडी
		19	रोमेडी नाउ	एसडी
		20	एमएन +	एचडी
		21	मिरर नाउ	एसडी
		22	ईटी नाउ	एसडी
		23	टाइम्स नाउ	एसडी
		24	टाइम्स नाउ नवभारत एचडी	एचडी
		25	मूवीज नाउ एचडी	एचडी
		26	एमएनएक्स एचडी	एचडी
		27	ईटी नाउ स्वदेश	एसडी
		28	एमएनएक्स	एसडी
		29	टाइम्स नाउ वर्ल्ड	एचडी
6	सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	30	ट्रैवल एक्सपी एचडी	एचडी
		31	ट्रैवल एक्सपी तमिल	एसडी
		32	फूडएक्सपी	एसडी
7	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	33	जन टीवी प्लस	एसडी
8	डायरेक्ट न्यू प्राइवेट लिमिटेड	34	न्यूज एक्स	एसडी
9	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया	35	एनीमल प्लेनेट	एसडी
		36	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		37	डी तमिल	एसडी
		38	डिस्कवरी किड्स चैनल	एसडी
		39	डिस्कवरी साइंस	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		40	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		41	इन्वेस्टीगेशन डिस्कवरी	एसडी
		42	डिस्कवरी एचडी	एचडी
		43	एनीमल प्लेनेट एचडी वर्ल्ड	एचडी
		44	टीएलसी एचडी	एचडी
		45	इन्वेस्टीगेशन डिस्कवरी एचडी	एचडी
		46	टीएलसी	एसडी
		47	यूरोस्पोर्ट एचडी	एचडी
		48	यूरोस्पोर्ट	एसडी
10	डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	49	डिज्नी जूनियर	एसडी
		50	यूटीवी मूवीज	एसडी
		51	मार्वल एचक्यू	एसडी
		52	डिज्नी इंटरनेशनल एचडी	एचडी
		53	हंगामा टीवी	एसडी
		54	द डिज्नी चैनल	एसडी
		55	यूटीवी एचडी	एचडी
		56	यूटीवी बिंदास	एसडी
		57	यूटीवी एक्शन	एसडी
11	ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	58	ईटीवी	एसडी
		59	ईटीवी आंध्र प्रदेश	एसडी
		60	ईटीवी – तेलंगाना	एसडी
		61	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		62	ईटीवी लाइफ	एसडी
		63	ईटीवी प्लस	एसडी
		64	ईटीवी अभिरुचि	एसडी
		65	ईटीवी एचडी	एचडी
		66	ईटीवी प्लस एचडी	एचडी
		67	ईटीवी सिनेमा एचडी	एचडी
		68	ईटीवी बलभारत तेलुगु	एसडी
		69	ईटीवी बलभारत हिंदी	एसडी
		70	ईटीवी बलभारत कन्नड़	एसडी
		71	ईटीवी बलभारत मलयालम	एसडी
		72	ईटीवी बलभारत तमिल	एसडी
		73	ईटीवी बलभारत इंग्लिश	एसडी
		74	ईटीवी बलभारत एचडी	एचडी
		75	ईटीवी बलभारत एसडी	एसडी
12	इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	76	एपिक टीवी	एसडी
		77	फिलामची	एसडी
		78	गुब्बारे	एसडी
		79	शोबॉक्स	एसडी
		80	इशारा टीवी	एसडी
13	इन्फॉर्मेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड	81	इंडिया न्यूज	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
14	फेम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	82	4टीवी न्यूज	एसडी
15	ग्रेसेल्स18 मीडिया लिमिटेड	83	टॉपर टीवी	एसडी
16	आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	84	न्यूज 18 लोकमत	एसडी
17	लिविंग एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	85	जी जेस्ट एचडी	एचडी
		86	एलएफ एचडी	एचडी
18	लाइफस्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	87	गुड टाइम्स	एसडी
19	लेक्स स्पोर्टेल विजन प्राइवेट लिमिटेड	88	1स्पोर्ट्स	एसडी
20	मेविस सैटकॉम लिमिटेड	89	जे मूवीज	एसडी
		90	जया मैक्स	एसडी
		91	जया प्लस	एसडी
		92	जया टीवी एचडी	एचडी
21	एमएसएम वर्ल्डवाइड फैक्चुअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	93	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		94	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
22	मीडिया वर्ल्डवाइड लिमिटेड	95	ट्रैवल एक्सपी	एसडी
23	नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	96	एनडीटीवी 24x7	एसडी
		97	एनडीटीवी इंडिया	एसडी
		98	एनडीटीवी प्रॉफिट	एसडी
24	एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	99	फॉक्स लाइफ	एसडी
		100	नेशनल ज्योग्राफिक चौनल (एनजीसी)	एसडी
		101	फॉक्स लाइफ एचडी	एचडी
		102	नेट जियो वाइल्ड	एसडी
		103	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		104	नेट जियो वाइल्ड एचडी	एचडी
		105	बेबी टीवी एचडी	एचडी
25	ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	106	प्रार्थना	एसडी
		107	तरंग	एसडी
		108	तरंग म्यूजिक	एसडी
		109	अलंकार	एसडी
26	पार्श्वनाथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	110	दंगल कन्नड़	एसडी
27	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	111	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		112	राज म्यूसिक्स	एसडी
		113	राज न्यूज	एसडी
		114	राज टीवी	एसडी
28	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशंस लिमिटेड	115	मेगा 24	एसडी
		116	मेगा म्यूजिक	एसडी
		117	मेगा टीवी	एसडी
29	सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	118	सोनी याय!	एसडी
		119	सेट मैक्स	एसडी
		120	सब	एसडी
		121	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)	एसडी
		122	पिक्स	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		123	सिक्स	एसडी
		124	मैक्स 2	एसडी
		125	पल	एसडी
		126	सेट एचडी	एचडी
		127	सिक्स एचडी	एचडी
		128	पिक्स एचडी	एचडी
		129	मैक्स एचडी	एचडी
		130	टेन 2 एचडी	एचडी
		131	टेन 3 एचडी	एचडी
		132	टेन 2	एसडी
		133	टेन 1	एसडी
		134	टेन 3	एसडी
		135	टेन 1 एचडी	एचडी
		136	सोनी वाह	एसडी
		137	सब एचडी	एचडी
		138	टेन 4	एसडी
		139	टेन 4 एचडी	एचडी
30	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	140	स्टार स्पोर्ट्स 3	एसडी
		141	स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल	एसडी
		142	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2	एसडी
		143	स्टार भारत	एसडी
		144	स्टार गोल्ड 2 (मूवीज ओके)	एसडी
		145	स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी	एसडी
		146	स्टार गोल्ड	एसडी
		147	स्टार जलशा	एसडी
		148	स्टार मूवीज	एसडी
		149	स्टार गोल्ड सेलेक्ट	एसडी
		150	स्टार प्लस	एसडी
		151	स्टार प्रवाह	एसडी
		152	स्टार स्पोर्ट्स 1	एसडी
		153	स्टार स्पोर्ट्स 2	एसडी
		154	स्टार वर्ल्ड	एसडी
		155	जलशा मूवीज	एसडी
		156	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2	एचडी
		157	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1	एचडी
		158	स्टार भारत एचडी	एचडी
		159	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी
		160	स्टार मूवीज एचडी	एचडी
		161	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		162	स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी	एचडी
		163	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1	एसडी
		164	स्टार मूवीज सिलेक्ट एचडी	एचडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		165	स्टार वर्ल्ड एचडी	एचडी
		166	स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट	एसडी
		167	मां गोल्ड	एसडी
		168	मां मूवीज	एसडी
		169	मां म्यूजिक	एसडी
		170	मां टीवी	एसडी
		171	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		172	स्टार जलशा एचडी	एचडी
		173	जलशा मूवीज एचडी	एचडी
		174	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 1	एचडी
		175	स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट एचडी 2	एचडी
		176	मां एचडी	एचडी
		177	स्टार गोल्ड सेलेक्ट एचडी	एचडी
		178	मां मूवीज एचडी	एचडी
		179	स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी	एचडी
		180	स्टार स्पोर्ट 1 तेलुगु	एसडी
		181	स्टार स्पोर्ट 1 कन्नड़	एसडी
		182	स्टार स्पोर्ट्स 1 बांग्ला	एसडी
		183	स्टार उत्सव	एसडी
		184	स्टार स्पोर्ट्स 1 मराठी	एसडी
		185	स्टार उत्सव मूवीज	एसडी
31	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	186	आदित्य टीवी	एसडी
		187	चिंटू टीवी	एसडी
		188	चट्टी टीवी	एसडी
		189	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		190	जेमिनी लाइफ	एसडी
		191	जेमिनी मूवीज	एसडी
		192	जेमिनी म्यूजिक	एसडी
		193	जेमिनी टीवी	एसडी
		194	केटीवी	एसडी
		195	सूर्या मूवीज	एसडी
		196	कुशी टीवी	एसडी
		197	सन लाइफ	एसडी
		198	सन म्यूजिक	एसडी
		199	सन न्यूज	एसडी
		200	सूर्य म्यूजिक	एसडी
		201	सन टीवी	एसडी
		202	सूर्या कॉमेडी	एसडी
		203	सूर्य टीवी	एसडी
		204	उदय कॉमेडी	एसडी
		205	उदय मूवीज	एसडी
		206	उदय म्यूजिक	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		207	उदय टीवी	एसडी
		208	कोचु टीवी	एसडी
		209	सन टीवी एचडी	एचडी
		210	केटीवी एचडी	एचडी
		211	सन म्यूजिक एचडी	एचडी
		212	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		213	मिथुन म्यूजिक एचडी	एचडी
		214	जेमिनी मूवीज एचडी	एचडी
		215	सूर्या टीवी एचडी	एचडी
		216	उदय टीवी एचडी	एचडी
32	सूर्यांश ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	217	फ्लावर्स	एसडी
33	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	218	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		219	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		220	पोगो	एसडी
		221	कार्टून नेटवर्क एचडी़	एचडी
34	टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	222	सीएनएन न्यूज 18	एसडी
		223	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		224	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी	एचडी
		225	सीएनबीसी आवाज	एसडी
		226	न्यूज 18 तमिलनाडु	एसडी
		227	न्यूज 18 केरल	एसडी
		228	न्यूज 18 असम / नॉर्थ ईस्ट	एसडी
		229	न्यूज 18 इंडिया	एसडी
		230	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		231	न्यूज 18 बिहार झारखंड	एसडी
		232	न्यूज 18 मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़	एसडी
		233	न्यूज 18 राजस्थान	एसडी
		234	न्यूज 18 उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल	एसडी
		235	न्यूज 18 उर्दू	एसडी
		236	न्यूज 18 कन्नड़	एसडी
		237	न्यूज 18 बांग्ला	एसडी
		238	न्यूज 18 पंजाब / हरियाणा / हिमाचल प्रदेश	एसडी
		239	न्यूज 18 गुजराती	एसडी
		240	न्यूज 18 उड़िया	एसडी
35	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	241	आज तक	एसडी
		242	इंडिया टुडे	एसडी
		243	आज तक एचडी	एचडी
		244	गुड न्यूज टुडे	एसडी
36	वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	245	कलर्स	एसडी
		246	कॉमेडी सेंट्रल (एचडी)	एचडी
		247	एमटीवी	एसडी
		248	निक	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		249	निक जेआर	एसडी
		250	सोनिक	एसडी
		251	वीएच 1 (एचडी डिस्ट्रीब्यूशन)	एचडी
		252	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		253	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		254	कलर्स एचडी	एचडी
		255	निक्स एचडी	एचडी
		256	कलर्स सिनेप्लेक्स	एसडी
		257	एमटीवी बीट्स	एसडी
		258	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		259	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		260	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		261	कलर्स सुपर	एसडी
		262	कलर्स बांग्ला	एसडी
		263	कलर्स गुजराती	एसडी
		264	कलर्स कन्नड़	एसडी
		265	कलर्स मराठी	एसडी
		266	कलर्स उड़िया	एसडी
		267	एमटीवी बीट्स एचडी	एचडी
		268	रंग तमिल	एसडी
		269	कलर्स सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		270	वीएच 1	एसडी
		271	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		272	एमटीवी एचडी +	एचडी
		273	कलर्स रिश्ते	एसडी
		274	कलर्स कन्नड़ सिनेमा	एसडी
		275	कलर्स गुजराती सिनेमा	एसडी
		276	कॉमेडी सेंट्रल	एसडी
		277	रिश्ते सिनेप्लेक्स	एसडी
		278	कलर्स बांग्ला सिनेमा	एसडी
37	जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	279	जी 24 घंटा	एसडी
38	जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	280	जी बॉलीवुड	एसडी
		281	जी एक्शन	एसडी
		282	जी बांग्ला सिनेमा	एसडी
		283	जी कैफे एचडी	एचडी
		284	जी कैफे	एसडी
		285	जी सिनेमा	एसडी
		286	जी टॉकीज	एसडी
		287	जी टीवी	एसडी
		288	जिंग	एसडी
		289	& पिक्चर	एसडी
		290	जी बांग्ला	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		291	जी मराठी	एसडी
		292	जी जेस्ट	एसडी
		293	जी टीवी एचडी	एचडी
		294	जी सिनेमा एचडी	एचडी
		295	& टीवी	एसडी
		296	& टीवी एचडी	एचडी
		297	जी कन्नड़	एसडी
		298	जी तेलुगु	एसडी
		299	& पिक्चर एचडी	एचडी
		300	जी सिनेमालू	एसडी
		301	जी युवा	एसडी
		302	जी मराठी एचडी	एचडी
		303	& प्राइव एचडी	एचडी
		304	जी बांग्ला एचडी	एचडी
		305	जी तमिल एचडी	एचडी
		306	जी सिनेमालु एचडी	एचडी
		307	जी तेलुगु एचडी	एचडी
		308	जी तमिल	एसडी
		309	जी कन्नड़ एचडी	एचडी
		310	जी अनमोल सिनेमा	एसडी
		311	& फ्लिक्स एचडी	एचडी
		312	& फ्लिक्स	एसडी
		313	जी केरलम एचडी	एचडी
		314	जी केरलम	एसडी
		315	जी वाजवा	एसडी
		316	जी अनमोल	एसडी
		317	बिग मैजिक	एसडी
		318	जी गंगा	एसडी
		319	जी क्लासिक	एसडी
		320	& एक्सप्लोर एचडी	एचडी
		321	जी सार्थक	एसडी
		322	जी टॉकीज एचडी	एचडी
		323	जी पंजाबी	एसडी
		324	जी थिराई	एसडी
		325	जी पिचर	एसडी
		326	जी थिराई एचडी	एचडी
		327	जी पिचर एचडी	एचडी
		328	जी बाइस्कोप	एसडी
39	जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	329	जी 24 तास	एसडी
		330	जी ओडिशा	एसडी
		331	जी बिजनेस	एसडी
		332	जी पंजाब हरियाणा हिमाचल	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		333	जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		334	जी सलाम	एसडी
		335	जी 24 कलाक	एसडी
		336	वियॉन	एसडी
		337	जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		338	जी हिंदुस्तान	एसडी
		339	जी बिहार झारखंड	एसडी
		340	जी न्यूज	एसडी
		341	जी राजस्थान न्यूज	एसडी
40	जूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	342	मूवीज नाउ	एसडी
41	सिद्धार्थ ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	343	सिद्धार्थ टीवी	एसडी
42	सार्थक म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड	344	सिद्धार्थ भक्ति	एसडी
		345	सिद्धार्थ गोल्ड	एसडी

पे – डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

क्र.सं	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा प्ले लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड

भाग - II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग–I में 2021–22 के दौरान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के साथ–साथ दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और रेडियो सेवाओं के क्षेत्र में प्रचलित सामान्य वातावरण का एक परिचय दिया गया है। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रयास एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

2.2 भादुविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 36 के अंतर्गत, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 39 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं जैसा कि इस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक हो सकता है।

2.3 अनुशंसाएँ तैयार करने और नीतिगत पहलों के संबंध में सुझाव देने के लिए, भादुविप्रा सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी)/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विषेशज्ञों, जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता को नीति निर्माण के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, एक परामर्श पत्र को जारी करना तथा उन मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देशभर के विभिन्न शहरों में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल हैं। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी होता है, जो कि निर्णय लेने के आधार की व्याख्या करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई भागीदारी और व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विषेशज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन सम्मलेनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत प्राधिकरण को या तो अपने विवेक से या लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएं करनी होती हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान भादुविप्रा द्वारा सरकार को दी गई अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं:

2.5.1 दूरसंचार क्षेत्र

क्र.स.	अनुशंसाएं और पिछले संदर्भ की सूची
1	''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सत्रों की अनबंडलिंग को सक्षम करना'' पर दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ
2	''लो बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ
3	''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर दिनांक 31 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ
4	"दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरणधविलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार" पर अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में भादुविप्रा की प्रतिक्रिया
5	वीएनओ और एएनपीध्एकीकृत लाइसेंसधारियों के बीच प्रस्तावित समझौते के नियमों और शर्तों के साथ विस्तृत रूपरेखा पर भादुविप्रा की अनुशंसाओं की मांग कर रहे दूरसंचार विभाग के संदर्भ में भादुविप्रा की प्रतिक्रिया दिनांक 25 फरवरी, 2022

पिछले संदर्भों की अनुशंसाएँ और अनुक्रियाएँ

2.5.1.1 ''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सत्रों की अनबंडलिंग को सक्षम करना'' पर दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 20–281/2010–एएस–I वॉल्यूम XII (पीटी) दिनांक 08 मई 2019, अन्य बातों के साथ–साथ भादुविप्रा से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (क) की शर्तों के अंतर्गत अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों की अनबंडलिंग को सक्षम करने पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों की अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर पूर्व–परामर्श पत्र दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को हितधारकों से मुद्दों की मांग करने और इस तरह के लाइसेंसिंग शासन को सुविधाजनक बनाने हेतु लाइसेंसिंग शर्तों में आवश्यक परिवर्तनों के लिए जारी किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इस विषय पर एक विस्तृत परामर्श पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2020 को जारी किया गया था जिसमें हितधारकों की टिप्पणियों/प्रत्युत्तर टिप्पणियों की मांग की गई थी। 25 हितधारकों से टिप्पणियां और 4 हितधारकों से प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इसके बाद, दिनांक 03 फरवरी, 2021 को एक ऑनलाइन खुला मंच चर्चा (ओएचडी) बुलाई गई।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट्स और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 19 अगस्त, 2021 को सरकार को अलग–अलग लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्तरों की अनबंडलिंग को सक्षम करने पर अपनी अनुशंसाएँ भेजीं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य एक्सेस नेटवर्क प्रदाता के लिए एक अलग लाइसेंस प्राधिकरण बनाना और नेटवर्क प्रदाताओं के साथ एक समझौते की मांग करने वाले और प्रवेश करने वाले वीएनओ के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नेटवर्क संसाधनों में हिस्सेदारी की बढ़ोतरी, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने, सेवा वितरण खंड को मजबूत करने और स्थानीय रूप से उद्योग 4.0, उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोगों के लिए 5जी सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक साबित होने की संभावना है।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैंः—

(i) थोक आधार पर नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेस नेटवर्क प्रदाता (नेटवर्क लेयर) के लिए यूनिफाइड लाइसेंस के अंतर्गत एक अलग प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण के अंतर्गत केवल नेटवर्क लेयर के लिए एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को प्राधिकरण के अंतर्गत अंतिम ग्राहकों को सीधे सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) एक्सेस नेटवर्क प्रदाता का दायरा वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क सहित एक्सेस नेटवर्क को स्थापित करना और बनाए रखना होगा तथा वीएनओ को थोक आधार पर नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और नॉन–वॉयस मैसेज और डेटा ले जाने में सक्षम) को बेचना होगा। एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) के अंतर्गत एक्सेस सर्विस ऑथराइजेशन के दायरे में उल्लिखित सभी सेवाओं का समर्थन करने की क्षमता रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंसधारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ इसके विपरीत अपने नेटवर्क संसाधनों को प्रदान करने/साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iv) एक्सेस नेटवर्क प्रदाता के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र वही रखा जाना चाहिए जो यूएल के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्राधिकरण में मौजूद है।

(v) एक्सेस नेटवर्क प्रदाता एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्राधिकरण में निर्दिष्ट सभी नेटवर्क से संबंधित नियमों और शर्तों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हालांकि, सेवा वितरण से संबंधित नियमों और शर्तों को बाहर रखा जाना चाहिए।

(vi) एक्सेस अनुमोदन के साथ एकीकृत लाइसेंसधारी की तरह, एक्सेस नेटवर्क प्रदाता को भी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से निर्धारित स्पेक्ट्रम कैप के अधीन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्य एक्सेस नेटवर्क प्रदाताओं और एक्सेस प्राधिकरण के साथ एकीकृत लाइसेंसधारियों के साथ स्पेक्ट्रम व्यापार और स्पेक्ट्रम साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। इसके पास बैकहॉल स्पेक्ट्रम, नंबरिंग संसाधन और अंतर्संयोजन का अधिकार भी होना चाहिए।

(vii) यूनिफाइड लाइसेंस की मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि, अगर यूएल के अंतर्गत एक्सेस सर्विस ऑथराइजेशन वाला लाइसेंसधारी अलग–अलग नेटवर्क लेयर और सर्विस लेयर रिजीम में जाना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(viii) नेटवर्क प्रदाता को अंतिम ग्राहकों के लिए सेवाओं के प्रावधान हेतु यूएल (वीएनओ) रूपरेखा के अंतर्गत एक अलग लाइसेंस लेने की अनुमति होगी।

(ix) वीएनओ के लिए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए और नेटवर्क प्रदाता या एकीकृत लाइसेंसधारी के साथ एक समझौता करने के लिए, एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदन दाखिल करने, आवेदन प्रसंस्करण और निर्धारित समय सीमा आदि के संबंध में निश्चित प्रक्रिया शामिल है। विस्तृत प्रस्ताव, एकीकृत लाइसेंसधारियों (एक्सेस नेटवर्क प्रदाताओं सहित) द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति की प्रक्रिया के साथ–साथ निर्धारित समय–सीमा आदि के साथ थोक क्षमता/नेटवर्क संसाधनों के लिए आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए। रूपरेखा के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएः

क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न वीएनओ को दी जाने वाले नियम और शर्तें निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्ण हैं, एकीकृत लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर अपने संदर्भ प्रस्ताव (विज्ञापनों सहित) की घोषणा करेगा।

ख) एकीकृत लाइसेंसधारी पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से विभिन्न वीएनओ (स्वयं के स्वामित्व/स्वयं द्वारा प्रचारित वीएनओ सहित) को थोक बिक्री सेवाएं प्रदान करेगा।

ग) वीएनओ से आवेदन जमा करने और संसाधित करने के लिए, एकीकृत लाइसेंसधारियों को एक वेब–आधारित ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करना चाहिए। आवेदन, दस्तावेजों की पुष्टि आदि के भौतिक आदान–प्रदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घ) सेवा वितरण संचालक अर्थात वीएनओ विस्तृत प्रस्ताव के साथ संबंधित एकीकृत लाइसेंसधारी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एकीकृत लाइसेंसधारी से अनुरोध करेगा। ऑनलाइन पोर्टल को आवेदन की प्राप्ति की पावती का सर्जन करना चाहिए और इसे आवेदक द्वारा प्रदान की गई ई–मेल आईडी पर भेजना चाहिए और डिजिटल तिथि और समय की मोहर के साथ पोर्टल पर एक प्रति भी रखनी चाहिए।

ङ) एक लाइसेंसधारी 30 दिनों के भीतर आवेदक पक्ष के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव की स्वीकृति/अस्वीकृति (अस्वीकृति के मामले में इसके कारणों सहित) को स्पष्ट रूप से बताते हुए वास्तविक स्थिति साझा करेगा। यदि एकीकृत लाइसेंसधारी द्वारा किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो आवेदक से आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर इसकी मांग की जा सकती है और ऐसे मामले में, 30 दिन का समय अतिरिक्त जानकारी के प्रावधान की तिथि से शुरू होगा।

च) एकीकृत लाइसेंसधारी को निर्धारित रूपरेखा की अनुपालना को प्रमाणित करते हुए लाइसेंसधारी को वार्षिक स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

छ) सेवा वितरण के लिए एक समझौता करने के बाद यह यूएल–वीएनओ लाइसेंसधारी और एकीकृत लाइसेंसधारी की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह समझौते की एक डिजिटल कॉपी और उसके बाद के संशोधनों, यदि कोई हो, को लाइसेंसदाता के साथ–साथ भादुविप्रा को ऑनलाइन माध्यम से समझौते पर हस्ताक्षर करने या उसमें संशोधन करने के 15 दिन के भीतर जमा करने चाहिए।

(x) एक्सेस नेटवर्क प्रदाता प्राधिकरण के लिए लागू लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क वही होना चाहिए जो एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्राधिकरण पर लागू होता है।

(xi) चूंकि एक्सेस नेटवर्क प्रदाता और यूएल–वीएनओ (एक्सेस सेवा) का संयुक्त क्षेत्र यूएल के अंतर्गत एक्सेस सेवा अनुमोदन के साथ एक लाइसेंसधारी के क्षेत्र के समान है, इसलिए प्रस्तावित एक्सेस नेटवर्क प्रदाता अनुमोदन के लिए न्यूनतम इक्विटी, न्यूनतम शुद्ध मूल्य, प्रवेश शुल्क और एफबीजी/पीबीजी आवश्यकताओं को यूएल (वीएनओ–एक्सेस सेवा) के लिए निर्धारित राशि को यूएल–एक्सेस सेवा प्राधिकरण के लिए निर्धारित राशि से घटाकर प्राप्त किया जा सकता है।

''इनेबलिंग अनबंडलिंग ऑफ डिफरेंट लेयर्स थरू डिफरेंशियल लाइसेंसिंग'' पर अनुशंसाएँ भादुविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2.5.1.2 ''लो बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2020 के माध्यम से, भादुविप्रा से वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों के लिए लो–बिट–रेट एप्लीकेशनों हेतु सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के प्रावधान को सक्षम करने के लिए लाइसेंसिंग रूपरेखा पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तावित सैटेलाइट आधारित लो बिट रेट सेवाओं के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उपयुक्त लाइसेंसिंग रूपरेखा की आवश्यकता है और भादुविप्रा से सभी कारकों की समग्र रूप से जांच करने और मौजूदा लाइसेंसिंग रूपरेखा के अंतर्गत सक्षम प्रावधानों की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। दूरसंचार विभाग या नए लाइसेंसिंग रूपरेखा को वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।

लो–बिट–रेट एप्लिकेशन और आईओटी उपकरणों के लिए कम लागत, कम शक्ति और छोटे आकार के टर्मिनलों की आवश्यकता होती है जो न्यूनतम नुकसान के साथ प्रभावी रूप से सिग्नल ट्रांसफर का कार्य कर सकते हैं। आईओटी से संबंधित सेवाओं के लिए अनुकूल महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों वाले बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज या कनेक्टिविटी के अन्य रूप नहीं हो सकते हैं। इसलिए, सैटेलाइट सबसे दूरस्थ क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान करके इस अंतर को खत्म करने में सहायता कर सकते हैं और कनेक्ट इंडिया मिशन को पूरा करने में सहायता करेंगे।

दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा पर परामर्श पत्र दिनांक 12 मार्च, 2021 को हितधारकों की टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था। परामर्श पत्र में सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी, विभिन्न कक्षाओं, लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए आवृत्ति बैंड, सैटेलाइट क्षमताओं की उपलब्धता और लाइसेंसिंग रूपरेखा में सक्षम आवश्यकताओं के प्रावधान के विभिन्न मॉडलों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।

परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां हितधारकों से क्रमशः दिनांक 23 अप्रैल, 2021 और 07 मई, 2021 तक आमंत्रित की गईं। प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से 29 टिप्पणियाँ और 4 प्रति–टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये सभी टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां भादुविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। दिनांक 02 जून, 2021 को परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का भी आयोजन किया गया था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट्स और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ''लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर अपनी अनुशंसाएँ भेजीं।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

(i) आईओटी और लो–बिट–रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए, संबंधित सेवा लाइसेंसधारक हाइब्रिड मॉडल, एग्रीगेटर मॉडल और डायरेक्ट–टू–सैटेलाइट मॉडल सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी मॉडल के लिए उनके प्राधिकरण के दायरे के अनुसार कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।

(ii) सभी प्रकार के सैटेलाइट अर्थात भूस्थैतिक कक्षा (जीएसओ) और गैर–जीएसओ (एनजीएसओ) सैटेलाइट और किसी भी अनुमत सैटेलाइट आवृत्ति बैंड का उपयोग सैटेलाइट–आधारित लो–बिट–रेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किए जा सकते हैं।

(iii) सैटेलाइट आधारित लो–बिट–रेट कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग रूपरेखा के अंतर्गत प्रासंगिक मौजूदा प्राधिकरणों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(iv) एकीकृत लाइसेंस और कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी सेवा लाइसेंस के अंतर्गत जीएमपीसीएस सेवा, वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा और एनएलडी सेवा के प्राधिकरणों के क्षेत्र में आईओटी उपकरणों के लिए सैटेलाइट आधारित लो–बिट–रेट कनेक्टिविटी के प्रावधान को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है।

(v) सेवा लाइसेंसधारियों को सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी अनुमत सैटेलाइट बैंडों में विदेशी सैटेलाइट से सैटेलाइट बैंडविड्थ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रकाशित अनुमोदित सूची में से विदेशी सैटेलाइट चुनने और चयनित विदेशी सैटेलाइट से सीधे सैटेलाइट क्षमता लीज पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए और लीज पर ली गई क्षमताओं का प्रयोग करने से पहले चुने गए, विदेशी सैटेलाइट के अनुरूप भारत में अर्थ स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य होना चाहिए।

(vi) सरकार सेवा लाइसेंसधारियों को उनकी क्षमता खरीद की योजना बनाने और अनुकूलन करने की सुविधा के लिए भारत में संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण और स्वदेशी सैटेलाइट क्षमताओं की उपलब्धता के विस्तृत कार्यक्रम के साथ एक रोडमैप तैयार कर सकती है।

(vii) प्राधिकरण ने सेवाओं को सस्ता और किफायती बनाने के लिए विभिन्न उपायों की अनुशंसा की है जैसे 3–5 वर्ष की बजाय लंबी अवधि के लिए विदेशी क्षमताओं को किराए पर लेने की अनुमति देना, अनुमोदित क्षमताओं में से विदेशी क्षमताओं को किराए पर लेने पर सरकार द्वारा सुविधा शुल्क को हटाना। विदेशी उपग्रहों/सैटेलाइट प्रणालियों की सूची, चयनित विदेशी सैटेलाइट से सीधे सैटेलाइट क्षमता को पट्टे पर देना, बिचौलियों की भूमिका को कम करना और प्रचलित एनओसीसी शुल्कों को हटाना।

(viii) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार के लिए यह भी अनुशंसा की गई है कि दूरसंचार विभाग को डीओएस, डीओटी, डब्ल्यूपीसी और एनओसीसी जैसे विभिन्न अनुमोदनों/अनुमतियों/आवंटनों आदि के संबंध में अनुदान में शामिल सभी एजेंसियों के लिए एक व्यापक, सरलीकृत, एकीकृत, शुरू से अंत तक समन्वित, सिंगल विंडो ऑनलाइन कॉमन पोर्टल स्थापित करना चाहिए जिसमें सेवा लाइसेंसधारी अपना अनुरोध कर सकते हैं और एजेंसियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन जवाब दे सकती हैं। सभी दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र, शुल्क विवरण, प्रक्रिया, समय–सीमा और आवेदन की स्थिति पोर्टल पर पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

"लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा" पर अनुशंसाएँ भादुविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध की गई हैं।

2.5.1.3 "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप" पर दिनांक 31 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र संख्या 4–1/2018–नीति–I दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर भादुविप्रा की अनुशंसाएँ मांगी:

(i) "विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग अर्थात स्थिर बनाम गतिमान परिभाषित अपलोड/डाउनलोड गति के साथ;

(ii) ब्रॉडबैंड स्पीड की विभिन्न श्रेणियों जैसे बेसिक ब्रॉडबैंड, हाई ब्रॉडबैंड और अल्ट्रा–हाई ब्रॉडबैंड आदि को यूरोप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है; तथा

(iii) 50 एमबीपीएस के एनडीसीपी–2018 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने का रोडमैप।

दूरसंचार विभाग ने भी दो अन्य भिन्न संदर्भों के माध्यम से, अर्थात सं.20–281/2010–एएस–I वॉल्यूम XII(पं.) दिनांक 08 मई, 2019 और संख्या 4–27/एनडीसीपी2018–एनटी दिनांक 06 जून, 2019 ने एनडीसीपी–2018 रणनीतियों क्रमशः ''पुनर्विक्रय और वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से बुनियादी रूपरेखा के निर्माण और पहुंच के लिए अभिनव दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके ऑपरेटरों (वीएनओ)'' और ''नवीन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना'' को लागू करने के लिए भादुविप्रा की अनुशंसाओं की मांग की। दोनों रणनीतियाँ ''कनेक्ट इंडियारू क्रिएटिंग ए रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर'' मिशन का हिस्सा हैं।

बाद में, दूरसंचार विभाग ने ब्रॉडबैंड वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रासंगिक मुद्दों और प्रासंगिक मुद्दों, फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावित छूट के कारण राजस्व के दुरुपयोग के माध्यम से लाइसेंसधारियों द्वारा दुरुपयोग की संभावना, फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ को ध्यान में रखते हुए पत्र संख्या एएस–15/1/2020–एएस–वी दिनांक 12 मार्च, 2021 के माध्यम से देश में स्थिर लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के संबंध में स्थिर लाइन से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की छूट और फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ावा देना जैसे कुछ नए मुद्दों को उठाया। इस पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से दिनांक 20 अगस्त, 2020 के ''रोडमैप को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अधिक ब्रॉडबैंड स्पीड पर परामर्श पत्र के आलोक में समेकित और नवीनतम अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया।

उपरोक्त पैरा 1 और 2 में उल्लिखित संदर्भों के अनुसरण में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादुविप्रा) ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए रोडमैप'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियों और प्रतिक्रियात्मक टिप्पणियों की मांग के लिए विभिन्न मुद्दों की पहचान की गई । इसके बाद दिनांक 18 फरवरी, 2021 को एक खुला मंच चर्चा का भी आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित संदर्भ के अनुसार, दिनांक 19 मई, 2021 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया गया। इसके बाद, दिनांक 23 जून, 2021 को एक खुला मंच चर्चा भी आयोजित की गई थी।

प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया, जिसे दिनांक 31 अगस्त, 2021 को सरकार को जारी किया गया था।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः–

(i) ब्रॉडबैंड की परिभाषा की समीक्षा की गई है और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को वर्तमान 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 2 एमबीपीएस कर दिया गया है। डाउनलोड स्पीड के आधार पर, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड को 3 अलग–अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – बेसिक, फास्ट और सुपर–फास्ट।

(ii) लाखों केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' पर प्राधिकरण की पिछली अनुशंसा को दोहराया गया है।

(iii) सेलुलर नेटवर्क के फाइबराइजेशन द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के साथ भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करके ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड के लिए लास्ट–माइल लिंकेज में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों के लिए एक कौशल विकास योजना और एक इंटरेस्ट सबवेंशन योजना अधिसूचित करना।

(v) मोबाइल ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए, सेलुलर नेटवर्क की बैकहॉलिंग कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम को मांग पर और समयबद्ध तरीके से सेवा प्रदाताओं को सौंपा जाना चाहिए।

(vi) दूरसंचार और अन्य आवश्यक उपयोगिताओं की बुनियादी रूपरेखा के त्वरित रोलआउट की सुविधा के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण।

(vii) नेटवर्क के फाइबराइजेशन के लिए कॉमन डक्ट और पोस्ट की स्थापना को प्रोत्साहन देना। भारतनेट प्रोजेक्ट के अनुरूप कॉमन डक्ट और पोस्ट को तेजी से बिछाने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए आरओडब्ल्यू शुल्क से छूट दी गई है।

(viii) आरओडब्ल्यू सुधारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) स्कोर में शुद्ध सुधार से जुड़े प्रोत्साहन।

(ix) सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली किसी भी सड़क, रेलवे, और पानी और गैस पाइपलाइनों के निर्माण के दौरान सामान्य डक्ट को स्थापित करना।

(x) निष्क्रिय अवसंरचना जैसे डक्ट, ऑप्टिकल फाइबर, पोस्ट आदि को साझा करने की सुविधा के लिए, देश में उपलब्ध सभी निष्क्रिय अवसंरचना को प्रत्येक सेवा प्रदाता और अवसंरचना प्रदाता द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके मैप किया जाना चाहिए। टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) को इस उद्देश्य के लिए मानकों को अधिसूचित करना चाहिए। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिंग और ट्रेडिंग की सुविधा के लिए कॉमन जीआईएस प्लेटफॉर्म पर ई–मार्केटप्लेस की स्थापना।

(xi) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए पात्र लाइसेंसधारियों को निर्दिष्ट राजस्व पर लक्ष्य से जुड़ा प्रोत्साहन अर्थात लाइसेंस शुल्क (एलएफ) में छूट।

(xii) फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक पायलट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना। फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास में तेजी लाने के लिए पायलट डीबीटी योजना की व्यावहारिकता का पता लगाने के बाद लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड, लाभ की मात्रा, योजना की अवधि आदि जैसी डीबीटी योजना की विशिष्टताओं पर बाद में काम किया जाएगा।

2.5.1.4 दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार संबंधी अनुशंसाओं पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के लिए भादुविप्रा की दिनांक 27 नवंबर, 2021 की प्रतिक्रिया

भादुविप्रा ने दिनांक 21 फरवरी, 2020 को दूरसंचार विभाग को ''दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' पर अपनी अनुशंसाएँ भेजी थीं। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के द्वारा कुछ अनुशंसाओं को पुनर्विचार राय/अनुशंसाओं के लिए वापस भेज दिया।

दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई राय पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दिनांक 27 नवंबर, 2021 को सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। सरकार की प्रतिक्रिया को भादुविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2.5.1.5 वीएनओ और एएनपी/एकीकृत लाइसेंसधारियों के बीच प्रस्तावित समझौते के नियमों और शर्तों के साथ विस्तृत रूपरेखा पर भादुविप्रा की अनुशंसाएँ मांगने का संदर्भ में दूरसंचार विभाग को भादुविप्रा की प्रतिक्रिया दिनांक 25 फरवरी 2022

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 24 जनवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से कहा है कि – वर्तमान में ''अलग–अलग लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग स्तरों को सक्षम करने'' पर भादुविप्रा की दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ विभाग में विचाराधीन हैं। इस बीच अनुशंसा संख्या 3.3 के संबंध में, वीएनओ और एएनपी/एकीकृत लाइसेंसधारियों के बीच संदर्भ समझौते के नियमों और शर्तों के साथ विस्तृत रूपरेखा पर भादुविप्रा की अनुशंसाएँ मांगने का निर्णय लिया गया है।

उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादुविप्रा से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधित) की शर्तों के अंतर्गत वीएनओ और एएनपी/एकीकृत लाइसेंसधारियों के बीच संदर्भ समझौते के नियमों और शर्तों के साथ विस्तृत रूपरेखा के संबंध में अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जैसा की अनुशंसा संख्या 3.3 के माध्यम से सुझाव दिया गया है।

शामिल मुद्दों की जांच करने के बाद, भादुविप्रा का विचार था कि नेटवर्क प्रदाताओं/एकीकृत लाइसेंसधारियों और वीएनओ के बीच संदर्भ समझौते के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे दोनों के बीच पारस्परिक वाणिज्यिक व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए। तदनुसार दिनांक 25 फरवरी, 2022 को भादुविप्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दूरसंचार विभाग को यह कहते हुए भेज दी कि प्राधिकरण का विचार है कि इस मुद्दे पर आगे कोई अनुशंसा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

2.5.2 प्रसारण क्षेत्र

वर्ष 2021–22 के दौरान इस क्षेत्र के लिए सरकार को कोई अनुशंसा नहीं की गई।

2.6 पूर्व में सरकार को प्रस्तुत महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के संबंध में अतिरिक्त जानकारी

पिछले कुछ वर्षों में भादुविप्रा ने देश में दूरसंचार सेवाओं और प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर डीओटी और एमआईबी को कई अनुशंसाएँ भेजी हैं। वर्ष के दौरान भादुविप्रा ने डीओटी और एमआईबी दोनों के साथ काम किया है और ठोस प्रयासों से इस अवधि के दौरान इनमें से कई अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया है। हालाँकि, कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ अभी भी डीओटी और एमआईबी द्वारा निर्णय/कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं, जिन्हें यदि लागू किया जाता है, तो दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह महसूस किया गया है कि दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और परिवर्तन होते रहते हैं, और यदि उचित समय सीमा में निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तो अनुशंसाएँ अपनी प्रासंगिकता

खो देती हैं और भादूविप्रा द्वारा परिकल्पित अनुशंसा करने का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। कभी–कभी अनुशंसाओं को आंशिक रूप से स्वीकार/कार्यान्वित किया जाता है जो अनुशंसाएँ करते समय किसी विषय के प्रति व्यापक दृष्टिकोण में परिकल्पित उद्देश्य को विफल कर देता है। इसके अलावा, केवल अनुशंसाओं को स्वीकार करने से इस क्षेत्र को मदद नहीं मिलती है, जब तक कि उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया जाता है। यदि अनुशंसाएँ स्वीकार की जाती हैं, लेकिन कई वर्षों के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं, तो इस देरी के कारण क्षेत्र पर एक विशेष अनुशंसा का प्रभाव कम हो सकता है।

इसलिए, फीडबैक तंत्र की आवश्यकता है जिसके माध्यम से मंत्रालय भादूविप्रा की अनुशंसाओं की स्वीकृति/कार्यान्वयन या अन्यथा के बारे में भादूविप्रा के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। गैर–स्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/स्वीकृति में देरी के मामलों में, प्रासंगिक विवरण के साथ भादूविप्रा की अनुशंसाओं की अस्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/लंबित होने के कारणों को संबंधित मंत्रालय (डीओटी/एमआईबी) द्वारा भादूविप्रा के साथ साझा करने की आवश्यकता है। यह तंत्र जहां डीओटी/एमआईबी में भादूविप्रा की लंबित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करता है, भविष्य में नीतियों और नियामक रूपरेखा के निर्माण में भादुविप्रा की मदद करेगा।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और सभी अनुशंसाओं की स्थिति की वास्तविक समय पर नजर रखने के लिए केंद्रीय भंडार बनाने के लिए भादूविप्रा ने एक रेकमेंडसन एस्टेटस पोर्टल विकसित किया है, जिसे की गई अनुशंसाओं को अपडेट करने और की गई कार्रवाई/अनुशंसा की स्थिति को जानने के लिए भादूविप्रा, डीओटी और एमआईबी द्वारा संयुक्त रूप से की गई अनुशंसाओं और कार्रवाई के विवरण को अपडेट करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है।

2.6.1 अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत अनुशंसाएँ

अतीत में भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को की गई कई अनुशंसाओं में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ जिन्हें वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है (दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई स्थिति के अनुसार) और दूरसंचार क्षेत्र पर इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के सकारात्मक प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ''वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वीएसएटी द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 28 जुलाई, 2020 को अग्रेषित की गईं क्योंकि लाइसेंसधारी को मोबाइल ऑपरेटरों को सैटेलाइट आधारित बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति देने के लिए वीएसएटी लाइसेंस के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इन अनुशंसाओं को सरकार ने मान लिया है। इससे देश के ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने में मदद मिलेगी।

(ii) ''लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 06 जनवरी, 2015 को अग्रेषित की गईं क्योंकि भारतीय टेलीकॉन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले करों, शुल्कों और लेवी को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता थी। इन अनुशंसाओं को आंशिक रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व के निर्धारण पर लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारियों के बीच मुकदमों से बचने में मदद मिलेगी।

2.6.2 अवधि के दौरान प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबन्धित स्वीकृत अनुशंसाएँ

''टीवी प्रसारण वितरण क्षेत्र में बुनियादी रूपरेखा की साझेदारी'' पर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

(i) दिनांक 29 मार्च, 2017 को ''टीवी प्रसारण वितरण क्षेत्र में बुनियादी रूपरेखा को साझा करना'' पर अनुशंसाएँ सरकार को भेजी गईं। डीटीएच ऑपरेटरों और हिट्स ऑपरेटरों के लिए बुनियादी रूपरेखा की साझेदारी को वर्ष 2020–21 के दौरान पहले से ही अनुमति दी गई थी। तदनुसार, संशोधित डीटीएच दिशानिर्देश और हिट्स दिशानिर्देश, डीटीएच ऑपरेटरों और हिट्स ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी रूपरेखा को साझा करने के प्रावधानों को शामिल करते हुए क्रमशः 30 दिसंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 को अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021–22 के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) द्वारा अन्य एमएसओ के साथ बुनियादी रूपरेखा को साझा करने के लिए दिशानिर्देशों को दिनांक 29 दिसंबर 2021 को अनुमति दी गई है।

2.6.2 अवधि के अंत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएँ

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए सरकार के पास लंबित अनुशंसाओं की सूची नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	संख्या	विषय अग्रेषण की तिथि
1.	"माइक्रोवेव एक्सेस (एमडबल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडबल्यूबी) आरएफ कैरियर के आवंटन और मूल्य निर्धारण" पर अनुशंसाएँ	29–08–2014
2.	"दूरसंचार क्षेत्र में शिकायतों के निवारण" पर अनुशंसाएँ	10–03–2017
3.	"स्थानीय दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने" पर अनुशंसाएँ	08–03–2018
4.	''अगली पीढ़ी के सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क'' पर अनुशंसाएँ	04–06–2018
5.	"विकलांग व्यक्तियों के लिए आईसीटी को सुलभ बनाने" पर अनुशंसाएँ	09–07–2018
6.	"दूरसंचार क्षेत्र में गोपनीयता, सुरक्षा और डेटा के स्वामित्व" पर अनुशंसाएँ	16–07–2018
7.	"एक पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन की पद्धति" पर अनुशंसाएँ	20–07–2018
8.	"दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार" पर अनुशंसाएँ	21–02–2020
9.	"इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण के दायरे में वृद्धि" पर अनुशंसाएँ	13–03–2020
10.	"स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लगाने की पद्धति" पर अनुशंसाएँ	17–08–2020
11.	"क्लाउड सेवाओं" पर अनुशंसाएँ	14–09–2020
12.	"नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और मल्टी–स्टेकहोल्डर बॉडी" पर अनुशंसाएँ	22–09–2020
13.	"डिफरेंसियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग" पर अनुशंसाएँ	19–08–2021

14.	"लो बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा" पर अनुशंसाएँ	26–08–2021
15.	"ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिए रोडमैप" पर अनुशंसाएँ	31–08–2021

2.6.4 प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएँ

प्राधिकरण द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को समय–समय पर कई अनुशंसाएँ भेजी गईं थी। तथापि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई लगभग 08 महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ अभी भी सरकार के पास लंबित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	विषय	जारी करने की तिथि
1	टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने से कुछ संस्थाओं पर प्रतिबंध	28–12–2012
2	भारत में रेडियो ऑडियंस मापन और रेटिंग से संबंधित मुद्दे	15–09–2016
3	भारत में डिजिटल स्थलीय प्रसारण (डीटीटी) से संबंधित मुद्दे	31–01–2017
4	भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे	01–02–2018
5	भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे	25–06–2018
6	नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य	10–04–2020
7	सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी	10–04–2020
8	भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा	28–04–2020

2.7 वर्ष 2021–22 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत प्रसारण क्षेत्रों में सौंपे गए अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:

प्रसारण क्षेत्र

क्रम संख्या	विनियमों की सूची
1.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021'' दिनांक 11 जून, 2021

2.7.1 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021'' दिनांक 11 जून, 2021

भादूविप्रा ने दिनांक 11 जून, 2021 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जारी किया। मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:

(i) यहा रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विनिर्देशों के एक स्वदेशी सेट को परिभाषित करने के लिए पहला कदम है।

(ii) इस रूपरेखा द्वारा निर्दिष्ट सीएएस और एसएमएस की एक मजबूत वर्तमान कार्यप्रणाली ग्राहक आधार आदि की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को सक्षम करेगी। यह गलत सब्सक्रिप्शन रिपोर्टिंग के कारण हितधारकों को होने वाले राजस्व के नुकसान को कम करेगा। परिणामस्वरूप देय राजस्व का बेहतर आश्वासन

हितधारकों को सामग्री और सेवा की गुणवत्ता में तथा सुधार के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।

(iii) रूपरेखा वितरण मूल्य श्रृंखला में बेहतर सामग्री सुरक्षा की शुरूआत करेगा। परिणामस्वरूप यह वैश्विक सामग्री डेवलपर समुदाय को विश्वास प्रदान करेगा और भारतीय टेलीविजन दर्शकों के लिए बेहतर गुणवत्ता, हाई डेफिनेशन सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

(iv) रूपरेखा द्वारा शुरू से अंत तक अनुपालन में सुधार होगा और सेवा प्रदाताओं के बीच मुकदमों को भी कमी आएगी।

2.8 टैरिफ आदेश

वर्ष 2021–22 के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किया

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम संख्या	टैरिफ आदेशों की सूची
1.	दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 27 जनवरी 2022
2.	दूरसंचार टैरिफ (67वां संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 31 मार्च 2022

2.8.1 दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2022

एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया और ऑनलाइन खुला मंच चर्चा के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 27 जनवरी, 2022 को दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 अधिसूचित किया जो लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/Regulations_27012022.pdf पर उपलब्ध है।

संशोधन आदेश दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की धारा 6 में उप–धारा (x) के बाद निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया गया है और आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से साठ दिनों के भीतर लागू होता है।

(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और तीस दिनों की वैधता वाला एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा।

(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की उसी तिथि को नवीकरणीय होगा।

2.8.2 दूरसंचार टैरिफ (67वां संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 31 मार्च, 2022

एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया और ऑनलाइन खुला मंच चर्चा के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को दूरसंचार टैरिफ (67वां संशोधन) आदेश, 2022 अधिसूचित किया, जो लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/Regulations_31032022.pdf पर उपलब्ध है।

संशोधन आदेश इस संशोधन के शुरू होने की तिथि से साठ दिनों के बाद उप–धारा (xii) को हटाने और निम्नलिखित उप–धारा को सम्मिलित करने का प्रावधान करता है।

(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की एक तिथि को नवीकरणीय होगा और यदि ऐसे नवीनीकरण की तिथि एक महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तिथि उस महीने की आखिरी तारीख होगी।

2.9 निर्देश

भादूविप्रा ने अपने आदेशधविनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2021—22 के दौरान सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:—

दूरसंचार क्षेत्र

क्रम संख्या	निर्देशों की सूची
1.	दिनांक 02 सितंबर, 2021 को टैरिफ की पेशकश के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों/परामर्श/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 02 सितंबर, 2021 का निर्देश जारी किया गया
2.	ग्राहकों को पोर्ट करने के लिए आउटगोइंग एसएमएस सुविधा के संबंध में भादुविप्रा के विनियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 07 दिसंबर, 2021 का निर्देश जारी किया गया

2.9.1 दिनांक 02 सितंबर, 2021 को टैरिफ की पेशकश के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों/परामर्श/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया

प्राधिकरण ने दिनांक 02 सितंबर, 2021 को सभी टीएसपी को टैरिफ की पेशकश के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों/सलाहों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि:

(i) केवल भादूविप्रा को रिपोर्ट किए गए टैरिफ उनके चैनल भागीदारों/वितरकों/खुदरा विक्रेताओं/थर्ड—पार्टी ऐप्स/आदि के माध्यम से पेश किए जाते हैं, तथा;

(ii) सभी टैरिफ प्रस्ताव इस संबंध में जारी मौजूदा भादुविप्रा विनियमों/निर्देशों/आदेशों/आदि का अनुपालन करते हैं, जहां टीएसपी के नाम/ब्रांड का उपयोग उत्पादों और सेवाओं के विपणन/प्रस्ताव/बिक्री के लिए किया जाता है, वहाँ भादुविप्रा के नियामक दिशानिर्देशों/प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी टीएसपी की होगी।

निर्देश लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/Direction_02092021.pdf पर उपलब्ध हैं।

2.9.2 ग्राहकों को पोर्ट करने के लिए आउटगोइंग एसएमएस सुविधा के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 07 दिसंबर 2021 का निर्देश

प्राधिकरण ने दिनांक 07 दिसंबर, 2021 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को टैरिफ की पेशकश के संबंध में भादूविप्रा के विनियमों/निर्देशों/सलाहों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक यूनीक कोड का अनुरोध करते हुए तुरंत प्रभाव से सभी ग्राहकों के लिए लघु कोड 1900 पर एसएमएस भेजने की सुविधा को सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी किया ताकि दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

विनियम, 2009 के अनुसार पोर्टिंग सुविधा का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें, चाहे टैरिफ ऑफर/वाउचर का मूल्य जो भी हो।

निर्देश लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/Direction_02092021.pdf पर उपलब्ध है।

प्रसारण क्षेत्र

क्रम संख्या	निर्देशों की सूची
1.	इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की सूची के संबंध में दूरसंचार (बी एंड सीएस) अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 दिनांक 03 मार्च, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी डीपीओ को दिनांक 24 जनवरी, 2022 का निर्देश जारी किया गया

2.9.3 इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की सूची के संबंध में दूरसंचार (बी एंड सीएस) अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 दिनांक 03 मार्च, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी डीपीओ को दिनांक 24 जनवरी, 2022 का निर्देश जारी किया गया

प्राधिकरण ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 को सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के विनियम 18 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता का सेवा मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमावली, 2017 के विनियम 38 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि एक शैली में किसी विशेष भाषा के सभी टेलीविजन चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में लगातार एक साथ प्रदर्शित होते हैं और एक टेलीविजन चैनल केवल एक ही स्थान पर दिखाई देता है निर्देश जारी किए।

2.10 परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार जानने के लिए निम्नलिखित परामर्श पत्र जारी किए:

दूरसंचार क्षेत्र

	परामर्श पत्रों की सूची
1.	''टैरिफ ऑफर्स की वैधता अवधि'' पर परामर्श पत्र दिनांक 13 मई, 2021
2.	''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उच्च ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर दिनांक 19 मई, 2021 का पूरक परामर्श पत्र
3.	''आपदा/गैर आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों'' पर परामर्श पत्र दिनांक 03 नवंबर, 2021
4.	''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 15 नवंबर, 2021 का परामर्श पत्र
5.	''आईएमटी/5जी के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दिनांक 30 नवंबर, 2021 का परामर्श पत्र
6.	''डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और भारत में इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा'' पर परामर्श पत्र दिनांक 16 दिसंबर, 2021

7.	''भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना'' पर दिनांक 11 फरवरी, 2022 का परामर्श पत्र
8.	''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर तैनाती के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 23 मार्च, 2022 का परामर्श पत्र
9.	''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर दिनांक 25 मार्च, 2022 का परामर्श पत्र

2.10.1 "टैरिफ ऑफर्स की वैधता अवधि" पर दिनांक 13 मई, 2021 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 13 मई, 2021 को हितधारकों के परामर्श के लिए ''टैरिफ ऑफर की वैधता अवधि'' पर परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र मासिक टैरिफ पेशकश की समीक्षा के लिए जारी किया गया था। टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि पर जारी परामर्श पत्र लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/CP_13052021.pdf पर उपलब्ध है। उचित परामर्श और ओएचडी प्रक्रिया के बाद, टीटीओ (66वां और 67वां संशोधन) को अधिसूचित किया गया है जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

2.10.2 ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप'' पर दिनांक 19 मई, 2021 का पूरक परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने ब्रॉडबैंड स्पीड और इसके वर्गीकरण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण की अनुशंसाएँ मांगी हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप'' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। इसके बाद, देश में फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार पर समेकित और नवीनतम अनुशंसाओं की मांग करते हुए दिनांक 12 मार्च, 2021 को दूरसंचार विभाग से एक और संदर्भ प्राप्त हुआ। हितधारकों के साथ इन मुद्दों पर परामर्श करने के लिए, दिनांक 19 मई, 2021 को एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

2.10.3 ''आपदा/गैर आपदा के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दे'' पर परामर्श पत्र दिनांक 03 नवंबर, 2021

प्राधिकरण ने दिनांक 03 नवंबर, 2021 को हितधारकों के परामर्श के लिए परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र आपदा/गैर–आपदा के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर जारी किया गया है। परामर्श पत्र लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/CP_03112021.pdf पर उपलब्ध है।

2.10.4 ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 15 नवंबर, 2021 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 सितंबर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा से ''सैटेलाइट गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

अपने पत्र में दूरसंचार विभाग ने कहा कि सैटेलाइट सेवाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के वर्तमान लाइसेंसिंग ढांचे में प्रस्तावित सैटेलाइट गेटवे संचालन के संबंध में सीमाएँ हैं, क्योंकि सैटेलाइट समूह ऑपरेटर द्वारा स्थापित सेवा प्रदाता द्वारा गेटवे के उपयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित सैटेलाइट गेटवे के संचालन के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उपयुक्त लाइसेंसिंग ढांचे की आवश्यकता है और भादूविप्रा से सभी कारकों की समग्र रूप से जांच करने और सैटेलाइट गेटवे (एस) के

लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, बैंक गारंटी, एनओसीसी शुल्क, और किसी भी अन्य मुद्दे सहित संचालन का सुझाव दिया जा सकता है जो एलईओ/एमईओ/एचटीएस सिस्टम के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

इस संबंध में, दिनांक 15 नवंबर, 2021 को "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगा गया था। परामर्श पत्र भादूविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है।

2.10.5 ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर दिनांक 30 नवंबर, 2021 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 13 सितंबर, 2021 के माध्यम से, भादुविप्रा से ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से भविष्य की स्पेक्ट्रम नीलामी के संबंध में सरकार के दूरसंचार सुधार निर्णयों के बारे में जानकारी दी और भादूविप्रा से अनुरोध किया कि अनुशंसाएँ प्रदान करते समय उस पर विचार किया जाए। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ–साथ भादूविप्रा से निम्नलिखित मुद्दों पर अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया:

(i) लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी की जाने वाली स्पेक्ट्रम की मात्रा और 526–698 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 3300–3670 मेगाहर्ट्ज और आईएमटी/5जी के लिए 24.25 – 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित शर्तें।

(ii) स्पेक्ट्रम/बैंड की मात्रा, यदि कोई हो, निजी कैप्टिव/आइसोलेटेड 5जी नेटवर्क के लिए निर्धारित किया जाना है, आवंटन की प्रतिस्पर्धी/पारदर्शी विधि, और यदि परिसर में मशीन/संयंत्र स्वचालन उद्देश्यों के लिए उद्योगों के कैप्टिव 5जी एप्लिकेशनों हैं तो स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को पूरा करना।

(iii) 30 वर्ष की वैधता के साथ स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान के बाद लागू अधिस्थगन अवधि, आस्थगित भुगतान किश्तों की संख्या और अन्य संबंधित तरीकों जैसी संबद्ध शर्तें।

(iv) स्पेक्ट्रम के समर्पण के लिए प्रावधान बनाने के लिए स्पेक्ट्रम के ऐसे समर्पण के लिए शर्तें और शुल्क।

(v) नवीनतम आईटीयू–आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 30 नवंबर, 2021 को "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5जी के लिए पहचानी गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगे गए। इस परामर्श पत्र में उपर्युक्त मुद्दों पर हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दे उठाए गए थे।

परामर्श पत्र भादुविप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है।

2.10.6 "डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और भारत में इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा" पर परामर्श पत्र दिनांक 16 दिसंबर, 2021

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और सेवाएं तेजी से पारंपरिक दूरसंचार सेवा डोमेन से आगे बढ़ रही हैं। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रमुख समकालीन बुनियादी ढांचे में डेटा केंद्र, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट शामिल हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी)–2018 भी इस बात पर जोर देती है कि ''देश के विकास और कल्याण के लिए डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और सेवाएं तेजी से प्रमुख संबलों और महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में उभर रही हैं''। घोषित मिशन को प्राप्त करने के लिए, एनडीसीपी–2018 विभिन्न रणनीतियों को सूचीबद्ध करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और स्वतंत्र इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सक्षम नियामक ढांचे और प्रोत्साहन विकसित करना एक ऐसी रणनीति है जिसे एनडीसीपी–2018 में क्लाउड कंप्यूटिंग, होस्टिंग और वितरण और डेटा संचार प्रणाली और सेवा सामग्री के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। तदनुसार, देश में (i) डेटा केंद्र, (ii) सामग्री वितरण नेटवर्क, और (iii) इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे पर हितधारकों के इनपुट लेने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक परामर्श पत्र (सीपी) स्वतः शुरू किया गया था।

भादुविप्रा ने दिनांक 16 दिसंबर, 2021 को ''डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और भारत में इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक रूपरेखा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

2.10.7 ''भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना'' पर दिनांक 11 फरवरी, 2022 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 को नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण में मौजूदा चिंताओं पर हितधारकों के विचार लेने के लिए ''भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य आगे उन उपायों की जांच करना है जो देश के भीतर और बाहर बढ़ते बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उठाए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य दूरसंचार विनिर्माण परिदृश्य को बदलने और देश को एक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करना भी है।

2.10.8 ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर डिप्लॉयमेंट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर दिनांक 23 मार्च, 2022 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 23 मार्च, 2022 को ''स्मॉल सेल और एरियल फाइबर डिप्लॉयमेंट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें देश में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के सफल रोलआउट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके आउटडोर स्मॉल सेल और एरियल फाइबर लगाने से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के विचार लिए गए थे।

2.10.9 ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर दिनांक 25 मार्च, 2022 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने दिनांक 25 मार्च, 2022 को ''डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। पेपर की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(i) नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार–विमर्श करना और नए नियामक ढांचे की संभावना का पता लगाना जो टीएसपी और आईपी को इमारतों, विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट परिवहन गलियारों, सार्वजनिक परिवहन हब आदि के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए आवश्यक हो सकता है।

(ii) एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जो ऐसी इमारतों और क्षेत्रों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, तैनात, संचालित, विस्तारित और उन्नत करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(iii) ऐसे क्षेत्रों और भवनों में अनुभव की गुणवत्ता को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यप्रणाली विकसित करना और अंतिम उपयोगकर्ताओं को डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बुनियादी रूपरेखा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना, चाहे वे अपने आप हो या उनके हित में काम करने वाले एजेंटों के माध्यम से, या संबंधित संस्थाओं पर दबाव बनाकर हो।

(iv) डीसीआई की योजना, डिजाइनिंग और स्थापना के लिए उसी तर्ज पर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जिस तरह से सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कार्यों के मामले में किया जा रहा है।

(v) हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 04 मई, 2022 थी और प्रति टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए दिनांक 18 मई, 2022 तक है।

(vi) बाद में हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए टिप्पणियों की तिथि 15 जून, 2022 तक और प्रति टिप्पणियों की तिथि 29 जून, 2022 तक तक बढ़ा दी गई थी।

प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र

क्रम संख्या	परामर्श पत्रों की सूची
1.	''केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार आधिपत्य'' पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भादुविप्रा की दिनांक 26 नवंबर, 2013 पर अनुशंसाओं पिछले संदर्भ पर ''केबल टीवी में बाजार संरचना/प्रतियोगिता'' पर 25 दिसंबर, 2021 का परामर्श पत्र
2.	''दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी'' पर 08 दिसंबर, 2021 का परामर्श पत्र
3.	''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने'' पर 22 दिसंबर, 2021 का परामर्श पत्र

2.10.10 ''केबल टीवी सेवा में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 का परामर्श पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 12 दिसंबर, 2012 के पत्र के माध्यम से केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व से संबंधित मुद्दों पर भादुविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत प्राधिकरण (भादुविप्रा) की अनुशंसाएँ मांगी हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 26 नवंबर, 2013 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ''केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व'' पर अपनी अनुशंसाएँ भेजीं।

दिनांक 19 फरवरी, 2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक पिछला संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि अनुशंसाएँ किए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है और मीडिया और मनोरंजन (एम और ए) परिदृश्य में काफी बदलाव आया है, और, विशेष रूप से इस क्षेत्र में नई डिजिटल तकनीकों के आगमन के साथ, इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महसूस किया कि कुछ मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा और विचार करने की आवश्यकता है और यह एम और ए क्षेत्र में बाद के विकास/विस्तार को देखते हुए इस मामले में नई अनुशंसाएँ प्रदान कर सकता है।

तदनुसार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को, भादूविप्रा ने केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व/प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए ''केबल टीवी सेवा में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

2.10.11 "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर दिनांक 08 दिसंबर, 2021 का परामर्श पत्र

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रमुख संचालक बन कर उभरा है और इसने देश को निवेशकों के बीच एक पसंदीदा व्यवसाय स्थल बना दिया है। यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, जो इस क्षेत्र के हितधारकों को अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस जारी करते हैं, द्वारा पॉलिसी फ्रेमवर्क के मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाकर कारोबारी माहौल को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, तो दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने की अपार क्षमता रखता है।

भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में अच्छा कारोबारी माहौल बनाने के लिए टीआरएआई ने मौजूदा प्रक्रियाओं के विभिन्न मुद्दों की पहचान करने और विनियामक प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए ''दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी'' विषय पर दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को एक परामर्श पत्र जारी किया।

परामर्श पत्र में देश में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने और संचालन संबंधी विभिन्न मुद्दों और इसमें आने वाली कठिनाइयों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गईं। मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल, व्यवसाय में सहायक बनाने और क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के उपाय पर सुझाव मांगे गए हैं। यह आवेदन जमा करने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों तक अलग–अलग जाए बिना, एकल खिड़की अवधारणा पर जोर देता है।

परामर्श पत्रक में उन एप्लिकेशन को सरल बनाने पर भी सुझाव मांगे गए, जिनमें व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक विवरण और क्वेरी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ समय–सीमा है, जिसमें अन्य मंत्रालयों के साथ सहज समन्वय है।

2.10.12 "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना" पर दिनांक 22 दिसंबर, 2021 का परामर्श पत्र

भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक देश भर में पूरा हो गया था। इसने मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय निर्माताओं को विकास का अनूठा अवसर प्रदान किया। भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई ''मेक इन इंडिया'' और ''डिजिटल इंडिया'' जैसी पहल ने भारत को वैश्विक डिजाइन और निर्माण केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है। हालांकि, प्रसारण वितरण नेटवर्क में स्थानीय रूप से निर्मित उपकरणों/यंत्रों की हिस्सेदारी काफी कम है।

इसे ध्यान में रखते हुए, भादुविप्रा ने "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना" विषय पर दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को अपनी ओर से परामर्श पत्रक जारी किया। पत्रक का उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों की पहचान करने के साथ–साथ उन उपायों को लागू करना है, जो आयात–संचालित उद्योग को 'आत्मनिर्भर ईकोसिस्टम' में परिवर्तित कर सकते हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा

नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य और संचालन की समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क; (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार; (ग) बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन; (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी; (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन; (छ) सेवा की गुणवत्ता; और (ज) सकल सेवा दायित्व, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया हैः–

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

2.11 ग्रामीण वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 31 मार्च, 2021 के अंत में 16.7 लाख से बढ़ कर 31 मार्च 2022 तक 19.6 लाख हो गई थी, जो उस वर्ष में 17.29% की वृद्धि दर्शाती है।

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

2.12 31 मार्च, 2022 को कुल वायरलाइन ग्राहकों की संख्या 24.84 लाख थी, जो 31 मार्च, 2021 को 20.24 लाख ग्राहकों की तुलना में, वर्ष 2021–22 के दौरान 22.73% की वृद्धि दर्शाती है। इन 24.84 लाख वायरलाइन ग्राहकों में से, 22.88 लाख ग्राहक शहरी क्षेत्र के हैं और 19.6 लाख ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के हैं।

(ग) बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश

2.13 विभिन्न सेवा क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे तालिका में दी गई हैः

31 मार्च, 2022 तक वायरलेस सेवा प्रदाता

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	22	अखिल भारत
2	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, / रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड		अखिल भारत (असम और उत्तर पूर्व को छोड़कर) / कोलकाता, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर पूर्व
3	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	22	अखिल भारत
4	बीएसएनएल	20	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर अखिल भारत
5	एमटीएनएल	02	दिल्ली, मुंबई
6	रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड	22	अखिल भारत

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स) (वीएनओ) एक्सेस सर्विसेज लाइसेंसधारी, जो 31 मार्च, 2022 तक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र
1	एडपे मोबाइल पेमेंट इंडिया प्रा. लि.	01	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्लिंट्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	22	अखिल भारत

स्रोतः जैसा कि टीएसपी द्वारा रिपोर्ट किया गया

क्रमांक	लाइसेंस का प्रकार	31.03.2022 तक जारी लाइसेंस की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1 (i)	एनएलडी (यूएल व्यवस्था से पहले)	20	0
1 (ii)	एनएलडी (यूएल व्यवस्था के तहत)	22	09
2 (i)	आईएलडी (यूएल व्यवस्था से पहले)	16	0
2 (ii)	आईएलडी (यूएल व्यवस्था के तहत)	13	06
3	एनएलडी (वीएनओ)	08	04
4	आईएलडी (वीएनओ)	07	05

स्रोतः दूरसंचार विभाग की वेबसाइट

(घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी सुसंगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन

2.14 टीआरएआई अधिनियम के तहत, प्राधिकरण के पास इंटरकनेक्टिविटी के नियम एवं शर्तें तय करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुरूपता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करने का अधिकार है। मल्टी–ऑपरेटर परिवेश में दूरसंचार व्यवसाय के लिए अंतर्संयोजन एक मूलभूत आवश्यकता है। सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतर्संयोजन के नियम एवं शर्तों को विनियमित किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष, यानी 2020–21 के दौरान "दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क विनियम, 2003" में कुछ संशोधन किए गए थे:

"दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020" दिनांक 17 अप्रैल, 2020

भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020" जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समापन शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को फॉर्बेरन्स व्यवस्था में बदला गया, जिसके तहत ₹ 0.30 प्रति मिनट की पूर्व व्यवस्था की दर को ₹ 0.35 प्रति मिनट से ₹ 0.65 प्रति मिनट के बीच रखने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लॉन्ग–डिस्टेंस ऑपरेटर्स (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि कोई एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर हर किसी को आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर प्रदान करेगा, यानी उनसे सीधे जुड़े आईएलडीओ के साथ–साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ के लिए। ये विनियम दिनांक 01 मई, 2020 से लागू हुए।

(च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

2.15 दूरसंचार उपभोक्ताओं तक प्राधिकरण की पहुंच और संपर्क बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

i. डीएनडी ऐप 3.0– टीएसपी के डीएलटी सिस्टम के साथ

टीसीसीसीपी विनियम, 2018 के प्रावधानों को लागू करने और यूसीसी, यदि कोई हो, की सूचना देने में उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए पिछले वर्ष डीएनडी ऐप को डीएनडी 3.0 संस्करण में अपडेट किया गया था। अब ऐप को डेटा एपीआई के माध्यम से टीएसपी के डीएलटी (डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी) सिस्टम से जोड़ दिया गया है। डेटा एपीआई के विनिर्देश भादूविप्रा ने तैयार किए गए थे और टीएसपी ने एपीआई विकसित किए हैं। ऐप और टीएसपी के डीएलटी सिस्टम के बीच सभी डेटा एक्सचेंज, जैसे वरीयता पंजीकरण/संशोधन, शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति आदि अब केवल डेटा एपीआई के माध्यम से किया जा रहा है।

ii. रिपोर्टिंग ऑटोमेशन

भादूविप्रा ने डेटा संग्रह करने और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को नए संस्करण में अपडेट किया है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को डेटा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए स्वचालित डेटा संग्रह करता है, उनका सत्यापन, प्रसंस्करण कर रिपोर्ट तैयार करता है।

iii. डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड सेवाएँ

क्राउडसोर्सिंग और विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त डेटा का उपयोग भादूविप्रा सार्थक पैठ बनाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कर रहा है। विभिन्न सूचनात्मक डैशबोर्ड बनाने के लिए भादूविप्रा मुफ्त/लाइसेंसशुदा टूल का उपयोग करता है। भादूविप्रा ने भादूविप्रा के विभिन्न एप्लिकेशन होस्ट करने के लिए क्लाउड परिवेश, विशेष रूप से एनआईसी क्लाउड का लाभ उठाया है, जिससे इन–हाउस/डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में बचत हुई है।

iv. ट्राई रेकमेंडेशन स्टेटस पोर्टल (टीआरएसपी)

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए समय–समय पर प्राधिकरण भारत सरकार को अनुशंसाएँ देता है। सभी अनुशंसाओं की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग की सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाने के उद्देश्य से भादूविप्रा ने रेकमेंडेशन स्टेटस पोर्टल विकसित किया था। यह पोर्टल सुझावों की स्थिति ट्रैक करने में भादूविप्रा और डीओटी/एमआईबी (दूरसंचार विभाग/सूचना और प्रसारण मंत्रालय) को सुविधा प्रदान करता है। ऐसे सुझावों पर भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यान्वयन/कार्रवाई को संबंधित विभागों द्वारा अपडेट किया जा रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

v. चैनल सेलेक्टर ऐप

एंड्रॉयड और आईओएस के लिए भादूविप्रा ने वर्ष 2020 में चैनल सेलेक्टर मोबाइल ऐप विकसित किया। ऐप ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों को चुनने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे सब्सक्राइब करना और देखना चाहते हैं। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने डीपीओ की पेशकश देख सकते हैं, मौजूदा सदस्यता विवरण प्राप्त कर सकते हैं, चैनलों का चयन और अनुकूलन कर सकते हैं और साथ ही बुके चुन सकते हैं, मौजूदा चयन को बदल सकते हैं और संबंधित डीपीओ (08 डीटीएच/एमएसओ के बीच) के साथ अपना चयन सेट कर सकते हैं। ऐप उपभोक्ता के चुनाव के आधार पर चैनल/बुके के संयोजन के बेहतर कॉन्फिगरेशन का सुझाव दे सकता है, ताकि उपभोक्ता का कुल मासिक बिल कम हो सके।

भादूविप्रा ने उन ग्राहकों की सुविधा के लिए टीवी चैनल सेलेक्टर पोर्टल भी विकसित किया है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या वे वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। वर्तमान समय में ऐप और पोर्टल, दोनों में 17 डीपीओ उपलब्ध हैं। चैनल सेलेक्टर ऐप और पोर्टल उपभोक्ताओं के बीच अपने सब्सक्रिप्शन को देखने और संशोधित करने के लिए बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। अब तक, 17 लाख उपभोक्ताओं ने अपने टीवी सब्सक्रिप्शन की जांच की है और 10 लाख उपभोक्ताओं ने ऐप/पोर्टल के माध्यम से अपने सब्सक्रिप्शन को सक्रिय किया है।

vi. एसएमएस टर्मिनेशन चार्ज से छूट के लिए पोर्टल

तरह तरह की जी2सी सूचना भेजने के लिए सरकारी संस्थाएँ अल्फान्यूमेरिक हेडर के माध्यम से उपभोक्ताओं को लेनदेन संबंधी एसएमएस भेजती हैं। भादूविप्रा ने पहले सभी सरकारी संस्थाओं की सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया था, जो लेनदेन संबंधी एसएमएस भेजने के लिए 5 पैसे तक के एसएमएस टर्मिनेशन चार्ज से छूट चाहते हैं। पोर्टल के माध्यम से संस्थाएं नए सिरे से या छूट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं और अन्य संबंधित जानकारी ले सकती हैं।

अब, टीएसपी के डीएलटी सिस्टम में पंजीकृत हेडर के विवरण को सीधे लाने के लिए डेटा एपीआई को पोर्टल से जोड़ा गया है। इसके अलावा, जब भी किसी हेडर को भादूविप्रा द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो टीएसपी को उनके बिलिंग सिस्टम में कॉन्फिगरेशन के लिए डेटा एपीआई के माध्यम से विवरण प्रदान किया जाता है।

vii. हेडर इन्फॉर्मेशन पोर्टल

जब उपभोक्ताओं को अल्फान्यूमेरिक हेडर के माध्यम से भेजे गए लेनदेन संबंधी एसएमएस प्राप्त होते हैं, तो वे उस भेजने वाले के बारे में जानना चाह सकते हैं, जिसने एसएमएस भेजा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, भादूविप्रा ने हेडर इन्फॉर्मेशन पोर्टल विकसित किया है, जहां भेजने वाले की जानकारी देखी जा सकती है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद करता है कि क्या कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर की क्वेरी कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यापार या कानूनी संस्थाओं) को दिए गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड करते हैं।

अब डेटा एपीआई को टीएसपी द्वारा मैन्युअल तरीके से अपलोड किए बिना टीएसपी के डीएलटी सिस्टम से सीधे हेडर के विवरण प्राप्त करने के लिए पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

viii. प्रशासनिक ऑटोमेशन

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कर्मचारियों के डेटाबेस का, उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक (कैरियर) विवरण सहित, रखरखाव करती है। ऑनलाइन और अपडेट डेटाबेस वाली इस तरह की प्रणाली की उपलब्धता सरकारी विभागों के लिए दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों को अधिक कुशलतापूर्वक और सही ढंग से स्वचालित करना आसान बनाती है, जैसे व्यक्तिगत फाइलों का रखरखाव, छुट्टी का प्रबंधन, प्रतिपूर्ति, अग्रिम, पर्यटन इत्यादि। अब भादूविप्रा एनआईसी द्वारा विकसित ई–मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई–एचआरएमएस) को लागू कर रहा है।

ix. इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना

(i) नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भादूविप्रा ने गेटवे राउटर और एल3 स्विच को अपडेट किया है।

(ii) ई–ऑफिस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भादूविप्रा मुख्यालय और आरओ के लिए हाई स्पीड स्कैनर खरीदे गए थे।

(iii) भादूविप्रा में ई–ऑफिस की शुरुआत के साथ, सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से स्कैन और अपलोड करना और ई–ऑफिस में रखना आवश्यक है। स्कैनिंग गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए भादूविप्रा मुख्यालय और आरओ के लिए हाई स्पीड स्कैनर खरीदे गए थे।

(iv) एसआरओ की रैंक तक के सभी अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) प्रदान किए गए हैं।

(v) भादूविप्रा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन बैठकों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/ ओएचडी आदि में भाग लेने के लिए वेबकैम और हेडसेट प्रदान किए गए हैं।

2.16. उपभोक्ता आउटरीच

देश भर के उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चौनल और देश भर में आयोजित उपभोक्ता आउटरीच संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से दूरसंचार ग्राहकों के साथ एक सार्वजनिक इंटरफेस बनाया है। भादूविप्रा ने कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। पंजीकृत सीएजी उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच वार्ताकार के रूप में कार्य करता है और उपभोक्ता के बारे में जानने में भादूविप्रा की सहायता करता है। भादूविप्रा शैक्षिक/प्रचार सामग्री प्रकाशित करके और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियान चलाकर अपने अधिकारों और सेवा संबंधी मुद्दों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है। महामारी के दौरान भादूविप्रा ने इन कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम से जारी रखा।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.17 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) के हिस्से के रूप में, दूरसंचार विभाग ने 8 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ, भादूविप्रा से अंतर लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर के अनबंडलिंग के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, भादूविप्रा ने 19 अगस्त, 2021 को ''इनेबलिंग अनबंडलिंग ऑफ डिफरेंशियल लाइसेंसिंग थ्रू डिफरेंशियल लाइसेंसिंग'' पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं ।

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 08 मई, 2019 के पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा अपने 'प्रॉपल इंडिया' मिशन के तहत जारी की गई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए उत्प्रेरित निवेशों में से एक के रूप में परिकल्पना की गई है, जो रणनीतियों, और विलय और अधिग्रहण, 2014 के लिए दिशानिर्देशों में सुधार करके अनुपालन दायित्वों को सरल और सुगम बनाना, सरलीकरण को सक्षम करने और अनुमोदन की तेजी से ट्रैकिंग करना उपरोक्त रणनीति को पूरा करने के लिए कार्य योजना में से एक है। उक्त पत्र दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने, अन्य बातों के साथ–साथ, भादूविप्रा से ''विलय और अधिग्रहण, 2014 के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद, दिनांक 21 फरवरी, 2020 को, प्राधिकरण ने ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के पत्र के माध्यम से उक्त अनुशंसाओं का अपना पिछला संदर्भ भेजा। दूरसंचार विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पुनर्विचार करने के बाद, दिनांक 27 नवंबर, 2021 को पिछले संदर्भ का जवाब भेजा गया।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) ने अपने मिशन के हिस्से के रूप में सेवा की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सभी के लिए ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने

के लिए मजबूत डिजिटल संचार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की परिकल्पना की है। सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान एनडीसीपी–2018 के उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा ने 31 मार्च 2021 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर अपनी अनुशंसाएँ दी हैं। इन अनुशंसाओं के भाग के रूप में, भादूविप्रा ने ब्रॉडबैंड परिभाषा और वर्गीकरण, ब्रॉडबैंड प्रसार और गति वृद्धि, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और उसके साझाकरण, फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के पहलुओं को शामिल किया है और अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसा की है कि:

(i) राष्ट्रीय आरओडब्ल्यू नीति का अधिनियमन,

(ii) आरओडब्ल्यू अनुमतियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल तैयार करना,

(iii) राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन में परिकल्पित संस्थागत तंत्र में आरओडब्ल्यू अनुमति को शामिल करना और बेहतर निरीक्षण के लिए समितियों का पुनर्गठन,

(iv) ओपन ट्रेंच और पिट के लिए समान बहाली शुल्क, आरओडब्ल्यू सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बीआरआई) स्कोर से जुड़े प्रोत्साहन,

(v) गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाताओं के साथ फाइबर में बदलने और साझा करने के लिए कॉमन डक्ट और पोस्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करना,

(vi) भारतनेट परियोजना के तहत दी गई छूट के समान कॉमन डक्ट और पोस्ट बिछाने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आरओडब्ल्यू शुल्क में छूट,

(vii) देश भर में कॉमन डक्ट्स और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और विकास के लिए कॉमन डक्ट्स एंड पोस्ट डेवलपमेंट एजेंसी (सीडीपीडीए) की स्थापना,

(viii) टीईसी द्वारा कॉमन डक्ट और पोस्ट के लिए डिजाइन और मानकों की अधिसूचना,

(ix) कॉमन डक्ट की सह–तैनाती के लिए सड़क, रेलवे, पानी, बिजली, गैस इत्यादि जैसे अन्य उपयोगिता प्रदाताओं के साथ क्रॉस–सेक्टर सहयोग के लिए नीति तैयार करना,

(x) कॉमन डक्ट की स्थापना को स्मार्ट सिटी विकास योजना का अभिन्न अंग बनाया जाए,

(xi) साझा करने की सुविधा के लिए सभी पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जीआईएस मैपिंग,

(xii) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए लाइसेंस शुल्क (एलएफ) में छूट के रूप में लक्ष्य से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन,

(xiii) फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों के प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना,

(xiv) एक्सेस नेटवर्क के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम की वार्षिक नीलामी,

(xv) सेलुलर नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए मांग पर और समयबद्ध तरीके से बैकहॉल स्पेक्ट्रम का आवंटन,

(xvi) मिड–बैंड स्पेक्ट्रम (3300–3600GHZ) की शीघ्र नीलामी,

(xvii) आईएमटी–2020 के लिए मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का आवंटन,

(xviii) सेलुलर नेटवर्क के बैकहॉल को फाइबर में परिवर्तित करने के लिए भारतनेट का उपयोग करना,

(xix) उपभोक्ता जागरूकता के लिए निर्माताओं और विपणक द्वारा 3जीपीपी मानकों के अनुसार मोबाइल हैंडसेट के लिए उपयोगकर्ता उपकरण श्रेणी की घोषणा करना,

(xx) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को मौजूदा 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 2 एमबीपीएस करना।

(छ) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस)

2.18 भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न मानकों के लिए निम्नलिखित नियमों द्वारा बेंचमार्क निर्धारित किए हैं:

(i) ब्रॉडबैंड सेवा विनियम, 2006 की सेवा की गुणवत्ता।

(ii) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 के सेवा के गुणवत्ता के मानक।

(iii) वायरलेस डेटा सेवा विनियम, 2012 के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक।

वायरलाइन, सेल्युलर और ब्रॉडबैंड के नियम अनुपालन के लिए नेटवर्क और ग्राहक पैरामीटर प्रदान करते हैं। मानकों का अनुपालन न करने पर सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान है।

बेंचमार्क के सापेक्ष सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के जरिए किया जाता है। सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं, वायरलेस डेटा सेवाओं, बेसिक सेवाओं (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।

2019 में सेवा गुणवत्ता संबंधी विनियमों की समीक्षा की गई और भादूविप्रा ने दिनांक 01 नवंबर, 2019 को ''बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सातवां संशोधन) विनियम, 2019" जारी किए, जिससे कॉल की अलर्ट अवधि का मानकीकरण किया गया।

सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 8 नवंबर 2012 को जारी दूसरे संशोधन विनियमों के माध्यम से वित्तीय दंड का प्रावधान किया था। ये विनियम बेंचमार्क के अनुपालन नहीं किए जाने, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी करने और झूठी रिपोर्ट देने के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान रखते हैं।

अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए ₹ 5,000/– प्रति दिन का वित्तीय दंड है। झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय दंड ₹ 10,00,000/– प्रति पैरामीटर है।

गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय दंड का विवरण नीचे दिया गया है:

सेलुलर सेवाएं

(i) एक तिमाही में बेंचमार्क के पहली बार अनुपालन नहीं किए जाने के लिए प्रति पैरामीटर ₹ एक लाख से अधिक नहीं,

(ii) दो या दो से अधिक तिमाहियों में लगातार एक ही पैरामीटर के बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किए जाने पर, दूसरे उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं और तदुपरांत प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए ₹ दो लाख से अधिक नहीं,

(iii) किसी बाद की तिमाही में उसी पैरामीटर के लिए बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किया जाना, जो लगातार नहीं है, प्रति पैरामीटर ₹ एक लाख।

बेसिक सेवाएं (वायरलाइन)

बेंचमार्क का अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड ₹ 50,000/– प्रति पैरामीटर है।

ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाएं

बेंचमार्क का अनुपालन न किए जाने पर प्रथम दृष्टया वित्तीय दंड ₹ 50,000/– प्रति पैरामीटर है और उसके बाद ऐसा होने पर वित्तीय दंड ₹ 1,00,000/– प्रति पैरामीटर है।

अवांछित वाणिज्यिक संचार

(i) अपने नेटवर्क से यूसीसी को रोकने में विफलता के कारण गैर–अनुपालन के लिए वर्गीकृत वित्तीय निरूत्साहन इस प्रकार है:

	"एक कैलेंडर माह में आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	वित्तीय निरुत्साहन (₹ में)
क)	शून्य से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	प्रत्येक पर एक हजार रुपए
ख)	सौ से अधिक लेकिन एक हजार से अधिक नहीं	(क) के अनुसार अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन एवं सौ से अधिक प्रत्येक पर पांच हजार रुपये
ग)	एक हजार से अधिक	(ख) के अनुसार अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन एवं हजार से अधिक प्रत्येक पर दस हजार रुपए

(ii) आचार संहिता के प्रावधानों का पालन न करने पर, सेवा प्रदाता निम्नलिखित राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी होगाः–

(i) यदि विलंब की अवधि तीस दिन या उससे कम है, तो समय सीमा से अधिक की अवधि के लिए प्रति दिन ₹ पांच हजार से अधिक नहीं,

(ii) तीस दिनों से अधिक की विलंब की अवधि के लिए, प्रति दिन ₹ बीस हजार से अधिक नहीं,

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर और भादूविप्रा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। आवधिक रिपोर्ट से सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी के दौरान जहां कहीं भी सेवा बेंचमार्क की गुणवत्ता प्राप्त करने में कमियां देखी जाती हैं, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता का ऑडिट और मूल्यांकन किया जाता है। भादूविप्रा विभिन्न मापदंडों के बेंचमार्क प्राप्त करने में या रही कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

इस संबंध में, सेवा प्रदाताओं के साथ भादूविप्रा में समय–समय पर विभिन्न बैठक आयोजित की गईं। सेवा प्रदाताओं के साथ ये मीटिंग और कार्रवाई, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में कारगर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, जहां कहीं भी देखा गया है कि बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किया गया है, सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा गया है और सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, अनुपालन ना किए जाने की गंभीरता और सेवा में सुधार के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भादूविप्रा द्वारा लगाया गया कुल वित्तीय निरुत्साहन ₹ 19,575,000/– था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सेवा गुणवत्ता के नियमों के उल्लंघन के कारण प्राप्त वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि ₹ 17,265,000/– थी।

हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा अपनी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा के प्रदर्शन की गुणवत्ता, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और मूल्यांकन के परिणामों की जानकारी प्रकाशित करता है। सेवा की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी का प्रकाशन सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और बेंचमार्क को पूरा करने में आ रही कमियों को दूर करने के लिए मजबूर कर रहा है।

(ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व

2.19 प्राधिकरण ने दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के समर्थन के लिए दिनांक 14 मई, 2012 को अपने सुझाव दिए। प्रथम वर्ष के लिए ₹ 1500 करोड़ की सहायता राशि और दूसरे वर्ष के लिए ₹ 1250 करोड़ की सहायता राशि सिफारिश की गई थी।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22 जुलाई, 2014 को "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार" पर की गई अपनी अनुशंसाओं के अंतर्गत, प्राधिकरण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना को आगे बढ़ाया।

भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार आयोग को की गई सिफारिशों के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एक एकीकृत और व्यापक दूरसंचार विकास योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी, सैटेलाइट बैंडविड्थ वृद्धि, निर्बाध 2जी कवरेज और अंतर–द्वीप ओएफसी नेटवर्क प्रदान करने के लिए यूएसओ फंड द्वारा ₹ 2035 करोड़ कैपेक्स (केपेक्स) का वित्त पोषण किया जाएगा।

सन् 2016 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर–लाइन कनेक्शनों के संचालन में बीएसएनएल को हुए घाटे के मुआवजे के रूप में यूएसओएफ से बीएसएनएल को ₹ 1250 करोड़ की सब्सिडी सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

निःशुल्क डेटा के प्रावधान पर दिनांक 19 दिसंबर, 2016 की अपनी सिफारिशों में, प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच सामर्थ्य अंतर को पाटने के लिए और डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहित करके कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने की एक योजना जिसमें ग्रामीण ग्राहकों को प्रति माह लगभग 100 एमबी का मुफ्त डेटा लॉन्च किया जा सकता है और उस योजना के कार्यान्वयन की लागत यूएसओएफ से पूरी की जा सकती है।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर एक परामर्श पत्रक जारी किया और दिनांक 31 अगस्त, 2021 को सरकार को अपनी अनुशंसाएँ भेजी।

इसके अतिरिक, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने माह अगस्त, 2021 में सिक्किम राज्य का दौरा किया और राज्य में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बीबीएनएल ने भाग लिया था, साथ ही यूएसओ फंड और राज्य सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के लिए एक एसपीवी का वित्त पोषण किया गया।

राज्य में दूरसंचार नेटवर्क की वर्तमान स्थिति और यूएसओ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के जरिए राज्य के दूरसंचार नेटवर्क में और सुधार के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई और निम्नलिखित व्यापक कार्य प्रस्तावित किए गए:

(i) सेवा प्रदाताओं द्वारा विशेष रूप से आरओडब्ल्यू से संबंधित विभिन्न मुद्दों की मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण, ग्राम पंचायतों में टावरों/फाइबर आधारित उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान की अनुमति और बिजली का प्रावधान भी।

(ii) बीएसएनएल और बीबीएनएल, दोनों अपने मुद्दे सुलझाए और भारतनेट परियोजना को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लें।

(iii) न केवल नेटवर्क के त्वरित रोल आउट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक सेवा प्रदाता को एक ही प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अलग–अलग व्यय से भी बचना चाहिए।

(iv) सेवा प्रदाताओं द्वारा पीजीसीआईएल फाइबर/बैंडविड्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग और लाभ उठाए जाने का भी पता लगाया जाना चाहिए।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब तक नहीं जुड़े लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रदेश में कोई भी संचार सुविधा से वंचित न रहे। सरकार से किसी भी प्रकार के समर्थन को टीएसपी द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

भादूविप्रा समय–समय पर यूएसओ फंड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों का मूल्यांकन और प्रस्ताव करता है।

2.20 अन्य कार्य

2.20.1 ओपन हाउस डिस्कशन (खुला मंच चर्चा) (ओएचडी)

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 02 जून, 2021 को ''लो बिट रेट एप्लिकेशन्स के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर परामर्श पत्र पर ओएचडी आयोजित की गई**

  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भादूविप्रा ने दिनांक 02 जून, 2021 को "लो बिट रेट एप्लिकेशन्स के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी हेतु लाइसेंसिंग ढांचा" पर परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा आयोजित की ।

  संबंधित हितधारकों के अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई थी।

- **दिनांक 23 जून, 2021 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने हेतु रोडमैप'' पर पूरक परामर्श पत्र के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा द्वारा दिनांक 23 जून, 2021 को "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप" पर पूरक परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

  संबंधित हितधारकों से अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

- **दिनांक 28 जुलाई, 2021 को ''टैरिफ ऑफर की वैधता अवधि'' से संबंधित परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा ने दिनांक 28 जुलाई, 2021 को ''टैरिफ ऑफर की वैधता अवधि'' से संबंधित परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की।

  संबंधित हितधारकों से अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

- **दिनांक 19 जनवरी, 2022 को ''आपदाओं/गैर–आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों'' के परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।**

  भादूविप्रा द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2022 को ''आपदाओं/गैर–आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

  संबंधित हितधारकों से अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

- **दिनांक 27 जनवरी, 2022 को ''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतियोगिता'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा द्वारा 27 जनवरी, 2022 को ''केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

  संबंधित हितधारकों से अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

- **दिनांक 08 फरवरी, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''आईएमटी/5जी के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

  भादूविप्रा द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2022 को ''आईएमटी/5जी के लिए चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

संबंधित हितधारकों से मूल्यवान राय प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

- **दिनांक 25 फरवरी, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया**

भादूविप्रा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2022 को ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना हेतु लाइसेंसिंग ढांचा'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

संबंधित हितधारकों से अहम इनपुट प्राप्त करने के लिए ओएचडी का आयोजन किया गया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने इस खुला मंच चर्चा में भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के वजह से अच्छी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं थी।

2.20.2 ''डिजिटल संचार 2014–2020 में उपलब्धियां'' पर दिनांक 31 मई, 2021 का अध्ययन पत्र (स्टडी पेपर)

प्राधिकरण ने दिनांक 31 मई, 2021 को ''डिजिटल संचार 2014–2020 में उपलब्धियां'' पर एक अध्ययन पत्र जारी किया। अध्ययन पत्र उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, व्यापार करने में आसानी की पहल, रणनीतिक पहल लाइट टच विनियम, डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग, भविष्य की दूरसंचार सेवाओं के लिए रूपरेखा, प्रसारण में उपभोक्ता की पसंद को बढ़ाने और कोविड–19 महामारी पूर्व किए गए उपायों पर विस्तार में जानकारी प्रदान करता है। यह दस्तावेज सन् 2014 से 2020 की अवधि के दौरान भारत द्वारा संचार क्षेत्र में समग्र एवं विशेष रूप से डिजिटल संचार में प्राप्त उपलब्धियों और इस यात्रा में भादूविप्रा के योगदान को सूचीबद्ध करता है।

2.20.3 स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके नेक्स्ट जनरेशन की दूरसंचार अवसंरचना परिनियोजन हेतु पायलट अध्ययन

नेक्स्ट जनरेशन के नेटवर्क के त्वरित रोल आउट हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए, भादूविप्रा ने स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके नेक्स्ट जनरेशन के दूरसंचार अवसंरचना की तैनाती के लिए कांडला पोर्ट, स्मार्ट सिटी भोपाल, दिल्ली हवाई अड्डे और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में चार कार्य समूहों का गठन किया है। इन कार्यकारी समूहों में भादूविप्रा, दूरसंचार विभाग, स्थानीय प्राधिकरणों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन पायलटों से मिली सीख से हमें मौजूदा स्ट्रीट फर्नीचर जैसे ट्रैफिक सिग्नल, लाइट साइनेज, लैंप पोस्ट, लाइट पोल, यूटिलिटी पोल, होर्डिंग आदि का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर छोटे सेल की तैनाती को सक्षम करने में मदद मिलेगी। इन पायलटों का लक्ष्य वास्तविक तैनाती से बहुत पहले सभी हितधारकों के लिए सक्षम विनियामक और नीतिगत ढांचे को तैयार करना है।

कार्यकारी समूहों के गठन के बाद, दिल्ली में जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 21 मार्च, 2022 को और स्मार्ट सिटी भोपाल में दिनांक 29 मार्च, 2022 को किकस्टार्ट पायलट अध्ययन आयोजित किया गया था।

2.20.4 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी)

पूरे देश में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा का अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चौनल और देशभर में आयोजित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से दूरसंचार सब्सक्राइबरों के साथ एक सार्वजनिक इंटरफेस बनाया है। भादूविप्रा ने उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने हेतु एक प्रणाली स्थापित की है। पंजीकृत सीएजी उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच वार्ताकारों के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान में करने में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। भादूविप्रा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में

शैक्षिक/प्रचार सामग्री और मीडिया अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

उपभोक्ताओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए भादूविप्रा देश भर में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित करता है। ये सीओपी उपभोक्ताओं को भादूविप्रा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 49 उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए। आयोजित सीओपी की सूची अनुबंध–I पर दी गई है।

2.20.5 उपभोक्ता समर्थक समूहों का पंजीकरण

भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय करते हैं और भादूविप्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने में भादूविप्रा की सहायता करते हैं ताकि उनके क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों को प्रसारित किया जा सके। भादूविप्रा द्वारा आयोजित किए गए उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम में भी वे भागीदारी करते हैं। यह सीएजी, दूरसंचार सेवा प्रदाता के अपीलीय प्राधिकरणों की परामर्श समिति के भी सदस्य होते हैं। ऐसे सीएजी जिनके कार्यकाल का दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से नवीकरण होना है, उनके निष्पादन की समीक्षा की जा रही है। उपभोक्ता संगठनों से कुछ नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। नए पंजीकरण के लिए कुल 41 आवेदन और नवीनीकरण के लिए 25 आवेदन (32 में से) प्राप्त हुए हैं।

सीएजी की क्षमता निर्माण हेतु नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2021–22 में कुल तीन कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः 18 अक्टूबर, 2021 को मनाली (हिमाचल प्रदेश), 19 नवम्बर, 2021 को भुज–कच्छ (गुजरात) तथा 23 दिसम्बर, 2021 को अमरकंटक (म.प्र.) में किया गया।

भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ पीडी वाघेला ने मनाली (हि.प्र.) में उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) की क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

2.20.6 उपभोक्ता शिक्षा साहित्य और मीडिया अभियान

एमएनपी की सरलीकृत प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एमएनपी वीडियो विकसित किए गए हैं। ये वीडियो भादूविप्रा के उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम में भाग लेने वाले उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। सीएजी इन वीडियो का उपयोग अपने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों में भी करते है। उपभोक्ताओं की व्यापक पहुंच के लिए ये वीडियो भादूविप्रा की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रसारण एवं केबल सेवाओं की उपभोक्ता पुस्तिका तैयार की गई है और भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

2.20.7 उपभोक्ताओं के हितों और संरक्षण पर सेमिनार / वेबिनार

भादूविप्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा समकालीन तकनीकी और उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करता है। ये सेमिनार उपभोक्ताओं को दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में विकास के बारे में खुद को अपडेट करने का मौका प्रदान करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित वेबिनार ने प्रतिभागियों को सरल पंजीकरण प्रक्रिया के साथ देश के किसी भी हिस्से से कार्यक्रमों में शामिल होने में सक्षम बनाया। वर्ष के दौरान भादूविप्रा द्वारा आयोजित दस वेबिनार (ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित सेमिनार) इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विषय	क्षे.का. द्वारा आयोजित	दिनांक
1	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)– रुझान, सुरक्षा चुनौतियां और समाधान	हैदराबाद	28.10.2021
2	क्लाउड कंप्यूटिंग – डिमिस्टीफाइड	जयपुर	18.11.2021
3	सैटेलाइट संचार – उभरती प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ	बैंगलोर	02.12.2021
4	भारत में 5जी–आर्किटेक्चर और विशेषताएं, उपयोग के मामले, रोडमैप और चुनौतियां	भोपाल	17.12.2021
5	साइबर धोखाधड़ी– सामान्य जागरूकता और साइबर सुरक्षा उपाय	हैदराबाद	20.01.2022
6	भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में 5जी तैयारी के लिए दूरसंचार अवसंरचना	कोलकाता	01.02.2022
7	ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग	जयपुर	11.03.2022
8	5जी परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग	कोलकाता	15.03.2022
9	भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सक्षम करना	भोपाल	16.03.2022
10	डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण	बेंगलुरु	24.03.2022

2.20.8 उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 भादूविप्रा द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की परिकल्पना नहीं करता है। हालांकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, भादूविप्रा ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता शिकायतों को संभालने के लिए दो स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। इस तंत्र में, एक उपभोक्ता अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के शिकायत केंद्र में सेवा संबंधी शिकायतें दर्ज कर सकता है। यदि शिकायत केंद्र पर सेवा प्रदाता द्वारा शिकायत का संतोषजनक ढंग से निवारण नहीं किया जाता है, तो टीएसपी के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दर्ज की जा सकती है।

भादूविप्रा में प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया जाता है। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान, भादूविप्रा को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित 51927 शिकायतें और प्रसारण एवं केबल टीवी से संबंधित 8472 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेज दिया गया था। अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए सामान्य प्रकृति या वर्ग की कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

उपभोक्ता केंद्रित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मुद्दों जैसे उपभोक्ता शिकायतों और अपीलों की संख्या, उपभोक्ता शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों और सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं के प्रयासों आदि पर सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

2.21. प्रसारण क्षेत्र

2.21.1 चैनल सेलेक्टर पोर्टल

भादूविप्रा ने माह मार्च, 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए 'नया विनियामक ढांचा' (या नया ढांचा) अधिसूचित किया। नया ढांचा दिनांक 29 दिसंबर, 2018 से लागू हुआ। नए ढांचे ने उपभोक्ताओं को केवल उन चैनलों को चुनने की आजादी दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं और अन्य चैनलों को अपनी मौजूदा सब्सक्रिप्शन से हटा सकते हैं।

चैनलों के चयन (जोड़ने/हटाने) में आसानी के लिए उपभोक्ताओं की मदद करने हेतु, भादूविप्रा ने दिनांक 16 जून, 2021 को टीवी चैनल सेलेक्टर पोर्टल (चैनल चयनकर्ता पोर्टल) लॉन्च किया, ताकि उन सब्सक्राइबरों को सुविधा मिल सके जिनके पास या तो स्मार्ट फोन नहीं है या वे वेब ब्राउजर का उपयोग करना चाहते हैं। भादूविप्रा ने इससे पहले दिनांक 25 जून, 2020 को चैनल सेलेक्टर ऐप भी लॉन्च किया था। ऐप और पोर्टल दोनों की प्रमुख विशेषता डीटीएच/केबल ऑपरेटर को भेजे जाने से पहले सब्सक्रिप्शन का अनुकूलन है, ताकि ग्राहकों को पैसे का सर्वोत्तम मूल्य मिल सके। पोर्टल में डाउनलोड सुविधा के साथ ऐप की सभी मौजूदा विशेषताएं हैं, जो ग्राहकों को निम्नलिखित रूप में मदद करता है:–

(i) उनकी स्वयं के सब्सक्रिप्शन को जांचे

(ii) उनके डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए सभी चैनल और बुके देखें

(iii) केवल रुचि के चैनल का चयन करें और अन्य चैनलों को हटा दें

(iv) अनुकूलित समाधान प्राप्त करें

(v) लागू एनसीएफ में चैनल जोड़ने की सुविधा

(vi) उपयोगकर्ताओं को मौजूदा सब्सक्रिप्शन को संशोधित करने दें

(vii) अपने सब्सक्रिप्शन अनुरोध की वास्तविक समय स्थिति जांचें

(viii) वर्तमान सब्सक्रिप्शन, पेशकश और निर्धारित सब्सक्रिप्शन अनुरोध को डाउनलोड और प्रिंट करें

2.21.2 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले के विनियम, 2019 के कार्यान्वयन के संबंध में टीवी चौनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों को दिनांक 08 दिसंबर, 2021 का पत्र

भादूविप्रा ने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 को पत्र जारी किया था, जिसके तहत टीवी चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों से अनुरोध किया गया था कि वे दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले विनियम, 2019 के प्रावधानों को तुरंत लागू करें और अनुपालन प्रस्तुत करें; और इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंय विफल होने पर, उक्त विनियमों और भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.21.3 प्रसारण एवं केबल सेवाए क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल बनाना

वर्ष 2021–22 के दौरान, भादूविप्रा ने अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के संशोधित विनियम 15 के प्रावधान के अनुपालन में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा करने के लिए 7 नए लेखापरीक्षकों को सूचीबद्ध किया है। वर्ष 2021–22 के दौरान, भादूविप्रा ने डीएएस का लेखापरीक्षा करने के लिए 14 मौजूदा पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों को दो वर्ष की अधिक अवधि के लिए पैनल में शामिल करने की अनुमति भी दी है। हितधारकों के संदर्भ के लिए सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों की अद्यतन सूची भादूविप्रा की वेबसाइट के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों और बेसिल से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021–22 के दौरान, उनके द्वारा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के कुल 520 लेखा परीक्षाएँ की गई। वर्ष के दौरान इन 520 लेखापरीक्षाओं में से, डीपीओ के कारण 332 लेखापरीक्षाएँ हुई और प्रसारकों के कारण 188 लेखापरीक्षाएँ हुई थी।

2.22 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.22.1 सहयोगी विनियामक व्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति

इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) (आईटीयू) द्वारा जी 5 बेंचमार्क इंडेक्स के विकास को डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश एक समग्र डिजिटल सहयोगी विनियमन और नीति निर्माण में कैसे परिवर्तन करते हैं। यह मापने की आवश्यकता से प्रेरित किया गया था। इस संदर्भ में, आईटीयू ने एक मैट्रिक्स को परिभाषित किया है जो देशों को विनियामक और नीति–निर्माण परिवेश में अगली सीमा तक संक्रमण में अपनी स्थिति को समझने की अनुमति देता है।

भादूविप्रा हर वर्ष आईटीयू द्वारा किए जा रहे आईसीटी विनियामक सर्वेक्षण के लिए डेटा जमा करता रहा है। वर्ष 2020 में, भारत को 55.77 के जी5 अंकों के साथ सहयोगात्मक विनियमन के जी5 बेंचमार्क पर संक्रमण चरण में एक देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 2021 के लिए विभिन्न देशों के नवीनतम आईटीयू जी5 बेंचमार्क स्कोरकार्ड के अनुसार, भारत का जी5 स्कोर 76.85 है और इसे सहयोगी विनियमन के उन्नत चरण वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.22.2 भादूविप्रा द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते (आशय पत्र)

भादूविप्रा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का एक सेक्टर सदस्य है और न केवल आईटीयू संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, बल्कि एपीटी (एशिया पैसिफिक टेली–कम्युनिटी), एसएटीआरसी (साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल), आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) आदि जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय प्लेटफार्मों से संबंधित गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने और भादूविप्रा और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, भादूविप्रा ने अतीत में अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों के साथ आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) और समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैन्डींग) के रूप में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

द्विपक्षीय समझौते विचारों, सूचनाओं, कर्मियों, कौशल के आदान–प्रदान के माध्यम से आपसी हित के मामलों में सहयोग में मदद करते हैं और इसमें हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ होता है।

वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने निम्नलिखित द्विपक्षीय समझौतों (आशय पत्र) पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र.सं.	विनियामक/संगठन का नाम	हस्ताक्षर तिथि
1	टेलेकम्युनिकशन्स एंड पोस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीपीआरए), सूडान	06 अप्रैल, 2021
2	टेलेकम्युनिकशन्स रेगुलेटर ऑफ कंबोडिया (टीआरसी), कंबोडिया	17 जून, 2021
3	बोत्सवाना कम्युनिकेशन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (बीओसीआरए), बोत्सवाना	22 जून, 2021
4	इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीज (आईसीटी) प्राधिकरण, मॉरीशस	07 जुलाई, 2021

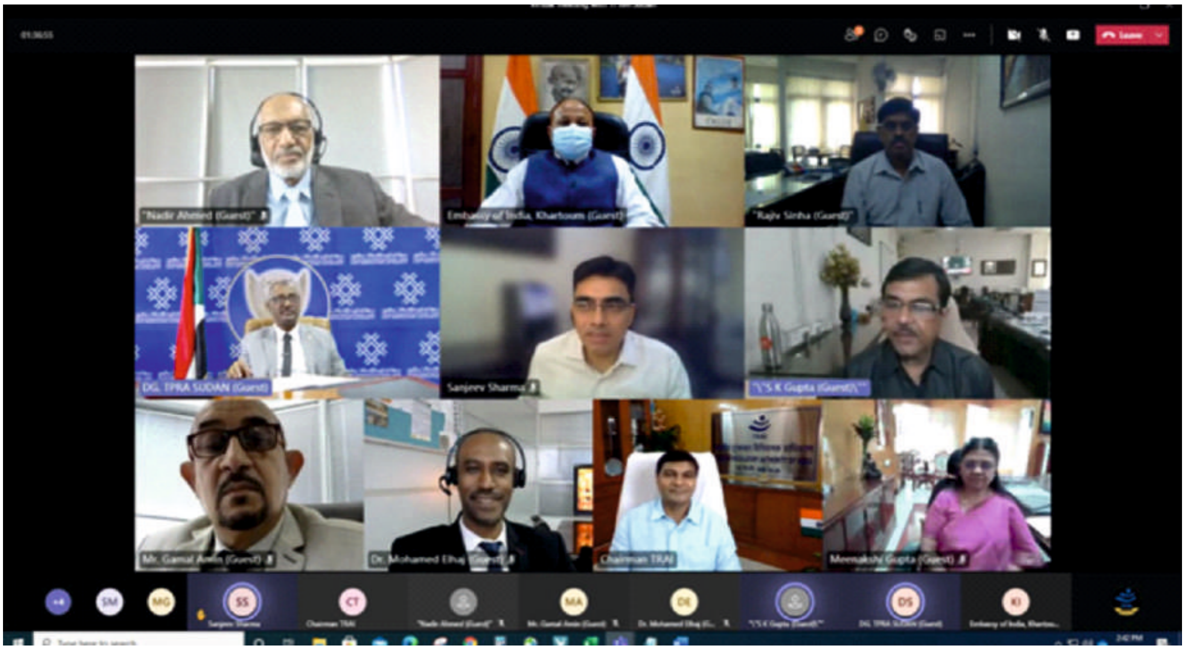

भारत और सूडान के दूरसंचार विनियामकों के बीच आशय–पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) पर हस्ताक्षर किए गए। सूडान में भारतीय राजदूत माननीय डॉ. रवींद्र पी. जायसवाल, भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ. पीडी वाघेला और टीपीआरए के अध्यक्ष माननीय डॉ. एल्सडिग गमालडेन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

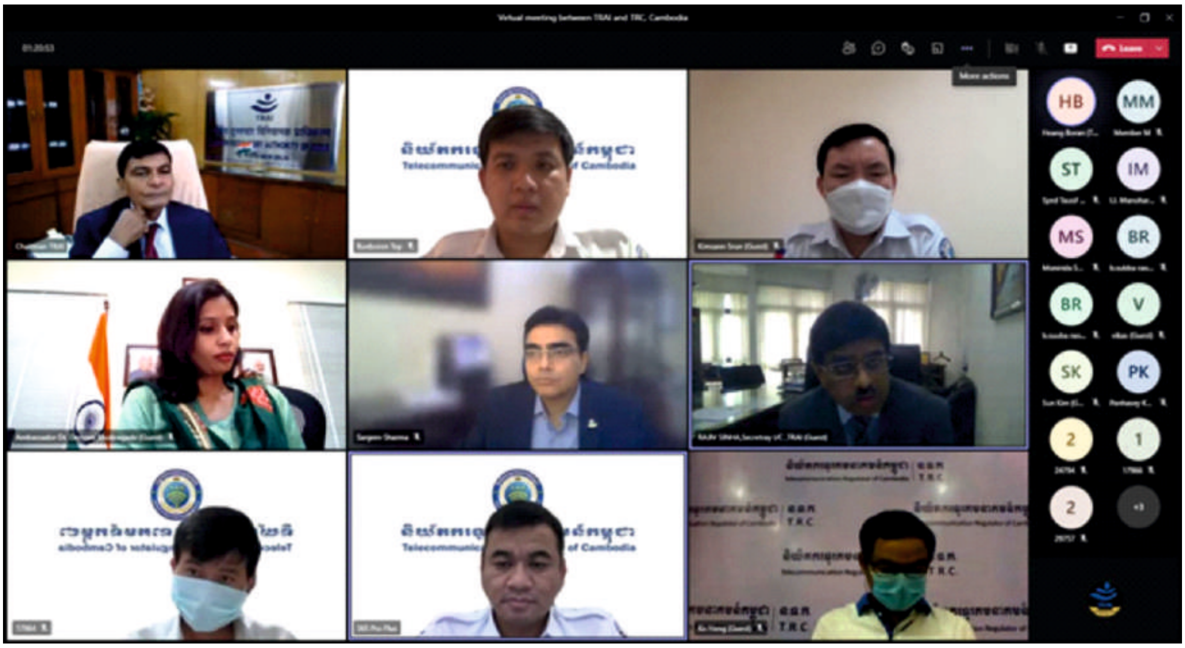

भारत और कंबोडिया के दूरसंचार नियामकों के बीच आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉ. पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा और माननीय चेंडा थोंग, अध्यक्ष, टीआरसी ने कंबोडिया में भारतीय राजदूत माननीय डॉ. देवयानी उत्तम खोबरागड़े की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

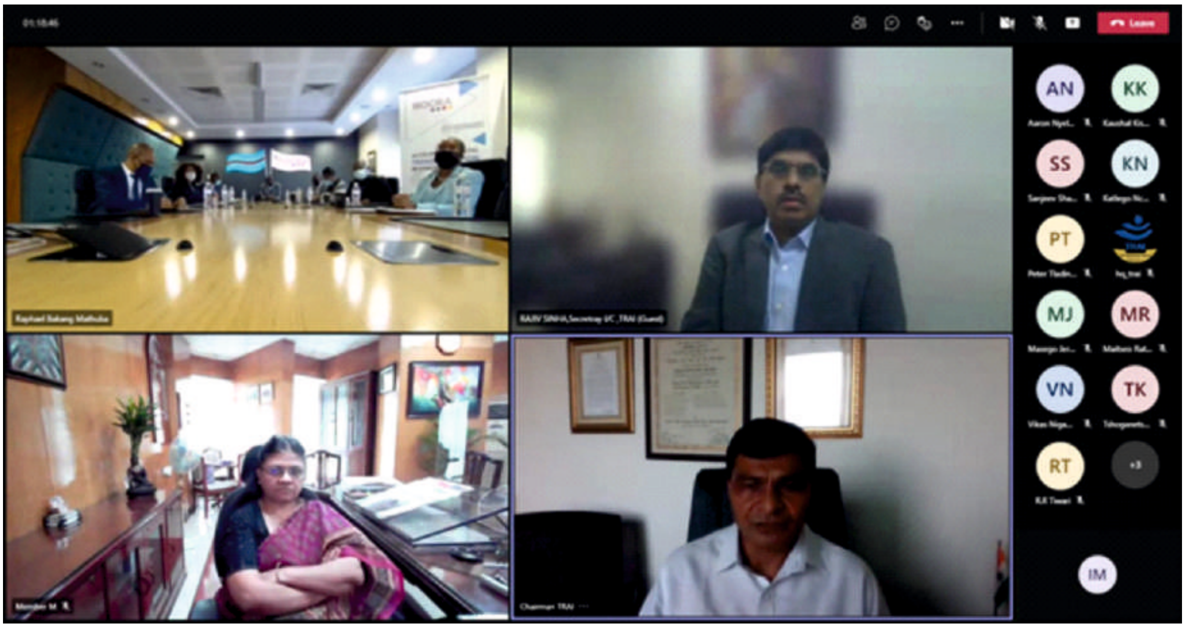

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और बोत्सवाना कम्युनिकेशन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (बीओसीआरए) के बीच आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉ. पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा और माननीय त्साओने रूथ थेबे, बोर्ड अध्यक्ष, बीओसीआरए ने आभासी रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीज (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण) (आईसीटीए), मॉरीशस के बीच आशय–पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉ. पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा और श्री डिक क्रिस्टोफ एनजी सुई डब्ल्यूए, अध्यक्ष, आईसीटीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

2.22.3 बीआईसीएमए (भूटान इन्फोकॉम एंड मीडिया अथॉरिटी) और सूचना और संचार मंत्रालय (एमओआईसी), भूटान की शाही सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दिनांक 26 जुलाई से 30 जुलाई, 2021)

भादूविप्रा ने दिनांक 26 से 30 जुलाई, 2021 तक बीआईसीएमए और एमओआईसी के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, 10 बीआईसीएमए से और 2 एमओआईसी, भूटान की शाही सरकार से थे। उभरती प्रौद्योगिकियों पर सत्र के लिए, एमओआईसी से 8 और प्रतिभागी शामिल हुए। भादूविप्रा के अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति थे।

मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम को भूटान द्वारा सुझाए गए विषयों को शामिल करते हुए बनाया व तैयार किया गया था:–

मॉड्यूल 1 – 5जी स्पेक्ट्रम योजना और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन

मॉड्यूल 2 – मोबाइल (वॉइस और डेटा) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियम, बेंचमार्किंग और निगरानी।

मॉड्यूल 3 – लेखा पृथक्करण

प्रतिभागियों ने सभी सत्रों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र अत्यधिक संवादात्मक और सूचनात्मक थे। इस पाठ्यक्रम के सभी प्रतिभागियों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

2.22.4 दूरसंचार और डाक विनियामक प्राधिकरण (टेलेकम्युनिकशन्स एंड पोस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी (टीपीआरए), सूडान के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दिनांक 20 सितंबर से दिनांक 27 सितंबर, 2021)

भादूविप्रा ने दिनांक 20 से 27 सितंबर, 2021 तक आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत टीपीआरए (दूरसंचार और डाक विनियामक प्राधिकरण), सूडान के अधिकारियों के लिए एक वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भादूविप्रा के अधिकारियों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में सभी सत्रों को संभाला।

प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉड्यूल–वार डिजाइन किया गया था, जिसमें टीपीआरए, सूडान द्वारा अनुरोधित विषयों को शामिल किया गया था, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:–

मॉड्यूल 1– अवसंरचना साझा करना

मॉड्यूल 2 – अंतर्संयोजन विनियमन और नीतियां

मॉड्यूल 3– दूरसंचार टैरिफ और मूल्य निर्धारण विनियमन

सभी सत्रों में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र अत्यधिक संवादात्मक और सूचनात्मक थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस पाठ्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने खूब सराहा।

सूडान के दूरसंचार और डाक विनियामक प्राधिकरण (टीपीआरए) के अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 20 सितम्बर, 2021 को किया गया

2.22.5 बीआईसीएमए, भूटान की रॉयल सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (दिनांक 10 और 11 मार्च, 2022)

भादूविप्रा ने दिनांक 10–11 मार्च, 2022 को बीआईसीएमए (भूटान इंफोकॉम एंड मीडिया अथॉरिटी), भूटान के अधिकारियों के लिए एक वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण में बीआईसीएमए के 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भादूविप्रा के अधिकारीयों ने संसाधन व्यक्ति के रूप में विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियाँ दीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम भादूविप्रा के विशेषज्ञों द्वारा बीआईसीएमए, भूटान द्वारा सुझाए गए विषयों को शामिल करके तैयार किया गया था, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:–

(i) दूरसंचार विनियमन (एमएनपी, अंतर्संयोजन और आईयूसी)

(ii) सेवा विनियमन की गुणवत्ता

(iii) दूरसंचार में सार्वभौमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iv) उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण सामाजिक प्रभाव और विनियमन

(v) विदेशी सैटेलाइट सेवा पर विनियम

(vi) टैरिफ विनियमन और लेखा पृथक्करण

प्रतिभागियों ने विषयों और सत्रों के प्रभावी संचालन के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दीं। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतियों की गुणवत्ता की भी सराहना की गई और सत्र का संचालन संवादात्मक तरीके से किया गया।

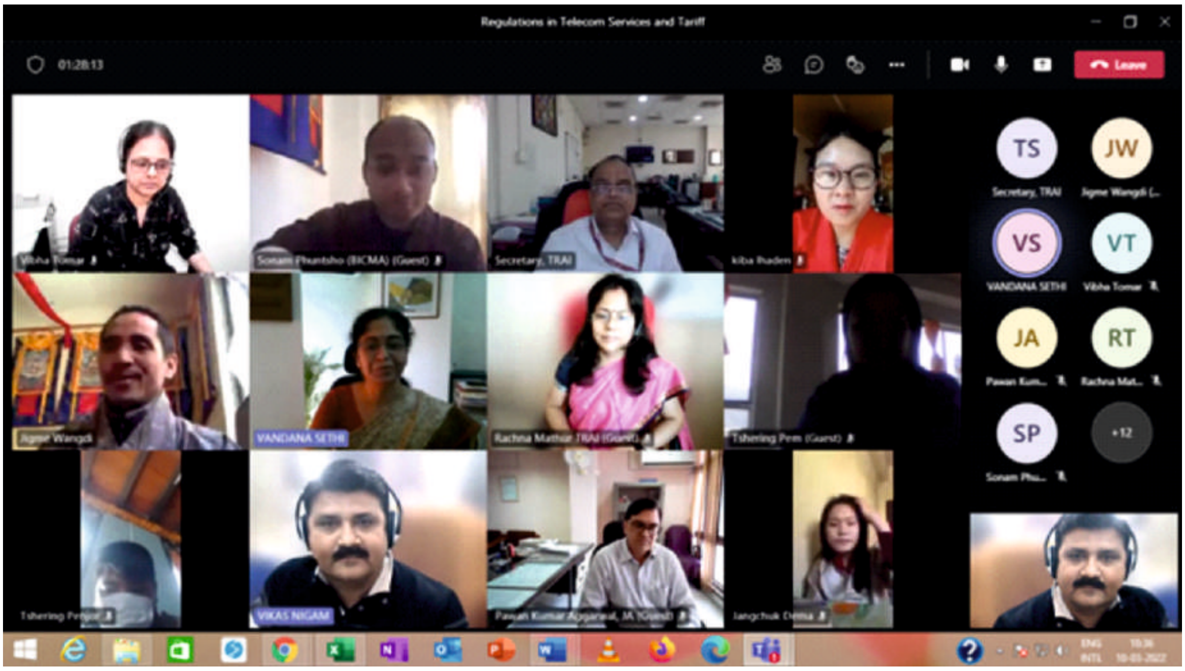

2.22.6 प्राधिकरण द्वारा आयोजित द्विपक्षीय बैठकें

i. प्राधिकरण–भादूविप्रा द्वारा दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च, 2022 तक बार्सिलोना, स्पेन में ''जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस'' में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं

- सुश्री एनीमेरी सिपकेस, प्रधानिका (चेयरवुमन) – बीईआरईसी (इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए यूरोपीय नियामकों का निकाय)
- सुश्री जेसिका रोसेनवर्सेल, प्रधानिका (चेयरवुमन) – एफसीसी (संघीय संचार आयोग), संयुक्त राज्य अमेरिका

प्राधिकरण–भादूविप्रा की प्रधानिका (चेयरवुमन) –बीईआरईसी (इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए यूरोपीय नियामक निकाय) के साथ द्विपक्षीय बैठक

प्रधानिका (चेयरवुमन), एफसीसी (संघीय संचार आयोग), यूएसए के साथ प्राधिकरण–भादूविप्रा की द्विपक्षीय बैठक

2.22.7 वर्चुअल द्विपक्षीय बैठकें

(i) भादूविप्रा और ऑफकॉम, यूके के अधिकारियों के बीच दिनांक 17 नवंबर, 2021 और 15 दिसंबर, 2021 को वर्चुअल द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं ।

(ii) दिनांक 12 जनवरी, 2022 को एनटीआरए और भादूविप्रा के दो अध्ययन समूह के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई।

2.22.8 एनटीआरए और भादूविप्रा के बीच दो संयुक्त अध्ययन समूहों का गठन किया गया– (i) स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त अध्ययन समूह (ii) विनियामक चुनौतियों और व्यापार विकास पर संयुक्त अध्ययन समूह

2.23 रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अलावा, दूरसंचार विभाग के विचाराधीन कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) भादूविप्रा अधिनियम 1997 में संशोधन का प्रस्ताव

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ ही साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। प्राधिकरण को इसके विनियामक कार्यों के निर्वहन में निर्देशों, विनियमों और आदेशों को जारी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु इसके पास इसके द्वारा किए गए विनियामक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई भी शक्ति नहीं है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत इसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग के साथ निरंतर पत्राचार किया गया और कैबिनेट के लिए दो मसौदा टिप्पणी भी दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गईं थीं। इसलिए, दिनांक

03 जून, 2016 को भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक वृहद संशोधन दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। तत्पश्चात् भादूविप्रा तथा दूरसंचार विभाग के बीच प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए अनेक बैठकें की गईं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 27 जून, 2017 को विस्तृत टिप्पणियां भी भेजी थी। इस संबंध में दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को अंतिम बैठक आयोजित हुई थी और दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, 10 अप्रैल, 2018, 21 अगस्त, 2019 तथा 09 दिसम्बर, 2019 को भी कुछ स्पष्टीकरण दूरसंचार विभाग को अग्रेषित किए गए थे। दिनांक 12 फरवरी, 2021 का एक और पत्र दूरसंचार विभाग से प्राप्त हुआ जिसमें भादूविप्रा से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के साथ–साथ दूरसंचार विधेयक के मसौदे पर प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव 02 जून, 2021 को फिर से दूरसंचार विभाग को भेजा गया। दिनांक 18 अगस्त, 2021 को दूरसंचार विभाग के साथ एक बैठक हुई और दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार विभाग को कुछ स्पष्टीकरण भेजे गए। प्रस्तावित संशोधनों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2022 को दूरसंचार विभाग को एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(ii) भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची–1 में संशोधन

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची–1 को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान शामिल करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी नियम, 2002 की अनुसूची–I को दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे 14 फरवरी 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संबंधी संशोधन नियम, 2002 के जारी होने के साथ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 11 फरवरी, 2022 की इस अधिसूचना के द्वारा, केंद्र सरकार ने अनुसूची–I के हिस्से में संशोधन किया है और स्टाफ कार ड्राइवर के पद को चार ग्रेड में पुनर्गठित किया है, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर और डिस्पैच राइडर के पद को शामिल किया है और परिचर के पद को भी बहु–कार्य कर्मचारिवृन्द का पदनाम दिया है।

अनुलग्नक – I

दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) की सूची

क्र.सं.	ऑनलाइन सीओपी का लक्षित क्षेत्र	दिनांक
1.	राजस्थान	06.07.2021
2.	कर्नाटक	14.07.2021
3.	छत्तीसगढ़	15.07.2021
4.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	16.07.2021
5.	आंध्र प्रदेश	22.07.2021
6.	उत्तराखंड	05.08.2021
7.	महाराष्ट्र	06.08.2021
8.	झारखंड (धनबाद सिटी)	10.08.2021
9.	गुजरात	13.08.2021
10.	तेलंगाना	17.08.2021
11.	पश्चिम बंगाल (मालदा टाउन)	24.08.2021
12.	हरियाणा	27.08.2021
13.	गोवा	03.09.2021
14.	महाराष्ट्र	08.09.2021
15.	अगरतला, त्रिपुरा	14.09.2021
16.	ओडिशा	15.09.2021
17.	केरल	23.09.2021
18.	सिक्किम (गंगटोक)	28.09.2021
19.	पंजाब	29.09.2021
20.	उत्तर प्रदेश	30.09.2021
21.	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	08.10.2021
22.	तमिलनाडु	21.10.2021
23.	बिहार (पटना)	26.10.2021
24.	राजस्थान	29.10.2021
25.	मध्य प्रदेश	29.10.2021
26.	अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर)	12.11.2021
27.	केरल	17.11.2021
28.	कर्नाटक	24.11.2021
29.	आंध्र प्रदेश	26.11.2021
30.	छत्तीसगढ	29.11.2021
31.	नागालैंड और मणिपुर	01.12.2021
32.	गुजरात	08.12.2021
33.	उत्तराखंड	10.12.2021
34.	तेलंगाना	15.12.2021
35.	मेघालय और मिजोरम	16.12.2021
36.	महाराष्ट्र	22.12.2021
37.	हरियाणा	30.12.2021
38.	उत्तर प्रदेश	12.01.2022

39.	असम	19.01.2022
40.	पंजाब	21.01.2022
41.	ओडिशा	28.01.2022
42.	केरल	28.01.2022
43.	राजस्थान	11.02.2022
44.	गोवा	22.02.2022
45.	मध्य प्रदेश	24.02.2022
46.	तमिलनाडु	25.02.2022
47.	भोपाल	23.03.2022
48.	आंध्र प्रदेश	25.03.2022
49.	गुजरात	30.03.2022

भाग - III

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, यथा संशोधित, की धारा–11 में उपबंध है कि –

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(क) निम्नलिखित मामलों पर स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता के अनुरोध पर संस्तुति करना, नामतः

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय।

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेन्स प्रदान करने के नियम और शर्तें।

(iii) लाइसेन्स के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्त करना।

(iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाने तथा दक्षता को प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना।

(vi) नेटवर्क में प्रयुक्त उपस्करों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर का प्रकार निर्धारित करना।

(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है।

(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन।

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन, नामतः

(i) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना।

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी समायोजनीयता तथा कारगर अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना।

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से मिलने वाले राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना।

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके।

(vi) *विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समयावधि निर्धारित और सुनिश्चित करना।*

(vii) *अंतर्संयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है।*

(viii) *खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखना, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध करना।*

(ix) *सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।*

(x) *ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूल करना जैसा कि विनियम में निर्धारित किया गया है।*

(xi) *इस तरह के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:*

बशर्ते यह भी कि इस उप–धारा के खंड(क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसारित करेगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है:

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय लेगी।

(2) *भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885(1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण समय–समय पर आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है:*

बशर्ते यह कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) *प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हित विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।*

(4) *प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।*

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए है; लाइसेन्स के नियम एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया गया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्तागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

(क) दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजने की दरें सम्मिलित हैं

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित, की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में ऐसी दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए लागू प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान प्रशुल्क विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, पे चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है।

3.1.1 वर्तमान प्रशुल्क फ्रेमवर्क के अनुसार, मोबाइल सेवाओं और डाटा सेवाओं के लिए प्रशुल्क प्रविरत रखे गए हैं। सेवा प्रदाता के पास अपने प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए मल्टीपल कॉम्बीनेशन के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल्स, एसएमएस या इंटरनेट डाटा पेशकश तय करने के विकल्प हैं। तथापि, प्रशुल्क पेशकश दूरसंचार प्रशुल्क आदेशों एवं दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम के अनुसार होने चाहिए।

भादूविप्रा प्रशुल्क विनियम द्वारा उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। प्रशुल्क विनियम, उपभोक्ताओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां प्रशुल्क प्रभार तय किए जाने के रूप में होता है।

(ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं की आवश्कयकता और समयय (ii) नए सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तें; तथा (iii) लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए लाइसेंस के प्रतिसंहरण पर सिफारिशें

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण के लिए स्वतः अथवा लाइसेंसप्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर सिफारिशें करना अपेक्षित है। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान सरकार को, की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) ''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ ।

(ii) ''लो बिट रेट एप्लीकेशन के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ।

(iii) "ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप" पर दिनांक 31 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ।

इन सिफारिशों के ब्योरे पर रिपोर्ट के भाग–II में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

(ग) तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना

3.3 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था लागू न हो तब तक दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं अथवा उन आवश्यक सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं। एक प्रभावी और कुशल अंतर्संयोजन करार दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भादूविप्रा ने 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020'' अधिसूचित किया, जो किसी भी दो सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित), और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाता है।

(घ) सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से प्राप्त किए गए उनके राजस्व की साझेदारी के लिए उनके बीच व्यवस्था का विनियमन

3.4 अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों को किसी अन्य सेवा प्रदाता के सब्सक्राइबरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है। अंतर्संयोजन प्रदान करने के लिए लागत आती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। आईयूसी प्रणाली न केवल सेवा प्रदाताओं पर अर्जित राजस्व का निर्धारण करती है बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि यह राजस्व उनके बीच किस प्रकार संवितरित किया जाना है। एक कुशल अंतर्संयोजन और प्रभार व्यवस्था विभिन्न नेटवर्कों के बीच कुशल और निर्बाध संपर्क के लिए प्रमुख शर्त है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहली बार आईयूसी को विनिर्दिष्ट किया था। तत्पश्चात, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से इन प्रभारों में संशोधन किया गया है। इन शुल्कों को दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जारी ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' के माध्यम से संशोधित किया गया था। इन विनियमों के माध्यम से, ₹ 0.30 प्रति मिनट की दर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समापन शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को ₹ 0.35 प्रति मिनट

से ₹ 0.65 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर संशोधित किया गया है। इसके अलावा, स्टैंडअलोन और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लॉन्ग–डिस्टेंस ऑपरेटर्स (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर सभी को आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा, यानी अपने स्वयं के संबंध आईएलडीओ के साथ–साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ को भी। ये विनियम 01 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

ङ. विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा

3.5 पीओआई पर प्रारंभिक अंतर्संयोजन और पोर्ट्स के संवर्द्धन के लिए पोर्ट्स के प्रावधान की समय सीमा को वर्ष 2018–19 में ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' दिनांक 05 जुलाई, 2018 के माध्यम बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है।

च. लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 भादूविप्रा द्वारा बहु–आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समय–समय पर इस कार्य का निर्वहन किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से विश्लेषण करना है और दूसरा दृष्टिकोण उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त फीडबैक/अभ्यावेदन के माध्यम से है।

छ. दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु किए गए उपाय

3.7 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए भादूविप्रा के पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों के क्षमता निर्माण पर उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षण सामग्री प्रकाशित करता है तथा मीडिया अभियान चलाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, आयोजित कार्यक्रमों और चलाए गए अभियानों का विवरण रिपोर्ट के भाग–II में दिया गया है। इसके अलावा, दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

3.7.1 मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने (i) मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; (ii) बिलिंग के मापन में सटीकता और विश्वसनीयता से संबंधित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करने; (iii) सेवा प्रदाताओं द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली बिलिंग की सटीकता का मापन करने तथा उनकी तुलना मानदण्डों से करना ताकि निष्पादन के स्तर का आंकलन किया जा सके; (iv) बिल संबंधी शिकायतों का न्यूनीकरण करने; और (v) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा की तथा दिनांक 25 मार्च, 2013 को सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम, 2013 जारी किए।

विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए अधिदेशित किया गया है कि वे भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखापरीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के अपश्चात् उसके संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र भादूविप्रा को प्रेषित करें।

विनियमों में यह उपबंध भी है कि सेवा प्रदाताओं को एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी अपर्याप्तता, यदि कोई है, के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 नवम्बर तक भादूविप्रा को उस

पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भादूविप्रा ने ऑडिट रिपोर्टों और की गई कार्रवाई की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए ₹ 1,00,000/– प्रति सप्ताह की दर से वित्तीय निरूत्साहन तथा गलत या अपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रति कार्रवाई की गई रिपोर्ट ₹ 10,00,000/– से अनधिक का वित्तीय निरुत्साहन भी प्रवर्तित किया है।

सेवा प्रदाताओं ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टें और की गई कार्रवाई रिपोर्टें को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किया है। लेखापरीक्षा ने बिलिंग और चार्जिंग में कमियों की पहचान करने में मदद की है जिसके फलस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं से उद्गृहीत अतिरिक्त प्रभारों की वापसी की गई है और मुद्दों का व्यवस्थित रूप से हल करने में मदद मिली है।

3.7.2 कॉल अलर्ट की अवधि विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम

सब्सक्राइबर को कॉल उठाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने और कॉल अलर्ट की अनुपयुक्त लंबी अवधि के कारण सब्सक्राइबर को असुविधा न हो इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सातवां संशोधन) विनियमों की सेवा की गुणवत्ता के मानकों को अधिसूचित किया, ताकि कॉल के लिए अलर्ट की अवधि को विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

एक्सेस सेवा प्रदाता को इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए अलर्ट की समयावधि को बनाए रखना होगा, जिसका कॉल करने वाले पक्ष द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में 30 सेकंड और मूलभूत टेलीफोन सेवा के मामले में 60 सेकेंड तक न तो उत्तर दिया जाता है और न ही उसे अस्वीकार किया जाता है।

टर्मिनेटिंग नेटवर्क, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में 30 सेकंड और मूलभूत टेलीफोन सेवा के मामले में 60 सेकेंड तक, आने वाली वॉयस कॉल को 'कॉल रिलीज' करेगा और कॉल आरंभ करने वाले नेटवर्क पर 'कॉल रिलीज' संदेश संचारित करेगा । हालांकि, प्रारंभिक नेटवर्क समाप्त नेटवर्क से कॉल रिलीज संदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 90 सेकंड के बाद एक अनुत्तरित कॉल जारी कर सकता है।

3.7.3 स्पैम नियंत्रण

अवांछित वाणिज्यिक संम्प्रेषण(यूसीसी) की समस्या की रोकथाम के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म अर्थात् 'डिस्ट्रीब्यूटिड लेजर टेक्नालाजी (डीएलटी) को अपनाने को अधिदेशित करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2018 के ढांचे की समीक्षा की है और दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। विनियम, प्रेषकों (व्यवसायों और टेलीमार्केटर्स), हेडर, सब्सक्राइबरों की सहमति, संदेश टेम्पलेट आदि के पंजीकरण और वरीयताओं पर सूक्ष्म नियंत्रण का उपबंध करता है। यह एक सह–विनियम है जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता/एक्सेस प्रदाता ढांचे की स्थापना और व्यवस्था करते हैं, जो विधिक रूप से विनियम द्वारा समर्थित है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन नियमों के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

3.7.4 ट्राई डीएनडी ऐप

यह मोबाइल एप्लिकेशन ग्राहकों को एक सामान्य मोड के माध्यम से किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अपनी डू–नॉट–डिस्टर्ब (डीएनडी) वरीयता और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक इंटेलीजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन का उपयोग करके ग्राहकों को उनकी शिकायतों की रिपोर्ट करने में सहायता करता है और ऐप के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में अपडेट करता है।

3.7.5 हेडर इंफॉर्मेशन पोर्टल

हेडर इंफॉर्मेशन पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार भेजने वाले को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि क्या कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हैडर के बारें में पूछताछ कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यवसाय या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

3.7.6 सरकारी संस्थाओं को जनहित में जारी किए जाने वाले एसएमएस पर छूट

एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टलरू यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियम 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को एसएमएस समाप्ति शुल्क से 5 पैसे की छूट से संबंधित नवीनीकरण तिथियों और अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है।

3.7.7 भवनों के अंदर सेवा की गुणवत्ता में सुधार

भादूविप्रा ने 22 सितंबर 2020 को ''बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज'' विषय पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। मोनोग्राफ नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण का सुझाव देता है, यानी सामान्य हस्तक्षेप और समाधान दोनों जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं। यह अपने लिए इष्टतम परिणामों को परिभाषित करने और प्राप्त करने में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी का भी समर्थन करता है। मोनोग्राफ मौजूदा नियमों और प्रथाओं, उभर रहे तकनीकी समाधान, और भारत के लिए आगे का रास्ता सुझाने हेतु दुनिया के अन्य हिस्सों में नीतियों के अनुभव की प्रभावशीलता का आकंलन करता है।

भादूविप्रा ने 5 मार्च 2019 को धौलाकुआं, एयरपोर्ट टर्मिनल, रनवे और एप्रन क्षेत्र, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और टर्मिनल क्षेत्र को शामिल करते हुए हवाई अड्डे और धौलाकुआं में सेवा की मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। विस्तृत रिपोर्ट भादूविप्रा की वेबसाइट लिंक https://trai-gov-in/sites/default/files/QoS_PMO_Airport_Report_06032019.pdf पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में विभिन्न प्रणालीगत मुद्दों, बुनियादी ढांचे की कमियों और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को दिनांक 6 मार्च, 2019 को दूरसंचार विभाग को भी भेज दिया गया है।

उपयोगकर्ताओं द्वारा देखी गई गुणवत्ता में अंतर पैदा करते हैं और मूल्यांकन के दौरान गुणवत्ता परिलक्षित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए, भादूविप्रा ने भवनों के अंदर गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2019–2020 के दौरान आगे के मामलों का अध्ययन किया है। इन केस स्टडीज के लिए विश्लेषण का दायरा बहुमंजिला अपार्टमेंट तक सीमित था। विभिन्न परिदृश्यों को पूरा करने के लिए, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, इंदौर और जबलपुर जैसे विभिन्न शहरों से कई आवासीय सोसायटियों का चयन किया गया था। मामले के अध्ययनों से पता चला है कि भवन के अंदर खराब गुणवत्ता का कारण अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की अनुपलब्धता है जो विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे अच्छी डिजाइन, तैनाती के समय टीएसपी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए उपलब्ध अच्छे विकल्प, समाधानों को तैनात करने के लिए व्यावसायिक मामले आदि।

यह भी पता चला है कि निर्माण समाधान न तो महंगे हैं और न ही असाध्य, हालांकि उन्हें कई एजेंसियों के बीच कुछ समन्वय की आवश्यकता होती है। अपार्टमेंट या भवन क्षेत्रों के अंदर मोबाइल नेटवर्क की तैनाती में एक और बड़ी बाधा सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तैनात करने की अनुमति न देना और कुछ निवासियों या

निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) द्वारा व्यक्त की गई ईएमएफ संबंधी हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा अवैध जैमर और बूस्टर लगाने से भी सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (वाणी): दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा की सिफारिशों के आधार पर आवाज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने हेतु वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क और सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के प्रवेश पर ढांचा और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भवन के भीतर कवरेज में सुधार के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रमुख पहल मोबाइल नेटवर्क के कवरेज में सुधार करने और फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए टीएसपी ने वॉयस ओवर वाई–फाई (वॉयस–ओवर वाई – फाई) लॉन्च किया है। प्रमुख टीएसपी या तो इसे पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, या उनकी इसे लॉन्च करने की योजना है। इसके साथ, उपयोगकर्ता किसी भी आईएसपी के वाई–फाई नेटवर्क से वॉयस कॉल कर सकते हैं और इस प्रकार उन भवनों के अंदर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है बाहरी एंटेना से मोबाइल सिग्नल का प्रवेश मुश्किल है। किसी भी प्रकार की डेटा कनेक्टिविटी हमें मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके वॉयस कॉल करने में भी सक्षम बनाती है।

हाल ही में, भादूविप्रा ने दिनांक 25 मार्च, 2022 को, हितधारकों से टिप्पणियोंध्प्रति टिप्पणियों को आमंत्रित करने हेतु डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर परामर्श पत्र जारी किया है।

यह परामर्श पत्र नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार–विमर्श करने और नए विनियामक ढांचे की संभावना का पता लगाने के लिए जारी किया गया है, जो इमारतों, विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट परिवहन गलियारों, सार्वजनिक परिवहन हब आदि के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टीएसपी और आईपी की सुविधा के लिए आवश्यक हो सकता है। हितधारकों के विचारों/टिप्पणियों को देखते हुए भादूविप्रा देश में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समग्र ढांचा विकसित करने हेतु सिफारिश करेगा।

3.7.8 प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु लिए गए कदम

भादूविप्रा सक्रिय रूप से टैरिफ विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। प्रशुल्क विनियमन प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। प्राधिकरण ने प्रसारण क्षेत्र में, उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसारण शुल्क को विनियमित करने के लिए डीएएस, डीटीएच आदि के लिए विभिन्न टैरिफ आदेश अधिसूचित किए।

(ज) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदम जिससे इस तरह की सेवाओं के विकास को सुगम बनाया जा सके

3.8 भादूविप्रा ने सदैव ही ऐसी नीतियां तैयार करने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों, वर्तमान घटनाक्रमों के अनुकूल हों, सरल और व्यावहारिक हों। उनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव होना चाहिए। प्राधिकरण, इस तथ्य के बारे में सतर्क है कि उपयुक्त व्यवसाय कार्यनीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करने और इसके द्वारा अभिनवता का लाभ उपभोक्ता को देने के लिए एक विनियामक निश्चितता अनिवार्य है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा समस्त गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया है। सिफारिशों/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

दूरसंचार के संचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जारी ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' के माध्यम से संशोधित किया गया था। इन विनियमों के माध्यम से, ₹ 0.30 प्रति मिनट की दर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समापन

शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को ₹ 0.35 प्रति मिनट से ₹ 0.65 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टैंडअलोन और इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल लॉन्ग–डिस्टेंस ऑपरेटर्स (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर हर किसी के लिए आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा, यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ स्टैंडअलोन आईएलडीओ के लिए भी। ये विनियम 01 मई, 2020 से लागू हुए।

(झ) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्कों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रशुल्क नीतियों का निर्णय लेने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा प्रशुल्क के विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखता है। प्रशुल्क विनियम, उपभोक्ताओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा वहां प्रशुल्क प्रभार निर्धारित करने का स्वरूप लेता है, जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है।

(ञ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 सरकार ने ब्रॉडबैंड के प्रसार और आम लोगों तक इंटरनेट पहुंच में सुधार करने हेतु यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा इसके निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए रोडमैप'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया और दिनांक 31 अगस्त, 2021 को सरकार को अपनी सिफारिशें भेजीं।

इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा के अध्यक्ष ने माह अगस्त, 2021 में सिक्किम राज्य का दौरा किया और राज्य में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान, यूएसओएफ और राज्य सरकार द्वारा एक वित्त पोषित भारतनेट परियोजना के लिए एसपीवी, टीएसपी और बीबीएनएल से भागीदारी हुई।

राज्य में दूरसंचार नेटवर्क की वर्तमान स्थिति तथा यूएसओ वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के दूरसंचार नेटवर्क में अधिक सुधार के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई और निम्नलिखित व्यापक कार्य प्रस्तावित किए गए:

(i) सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों जैसे विशेष रूप से आरओडब्ल्यू से संबंधित, जीपी में टावरों/फाइबर आधारित उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान की अनुमति और बिजली का प्रावधान की मंजूरी हेतु राज्य स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली का निर्माण।

(ii) बीएसएनएल और बीबीएनएल दोनों अपने मुद्दों को सुलझाएं और भारतनेट परियोजना को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लें।

(iii) न केवल नेटवर्क के त्वरित रोल आउट के लिए बल्कि प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा समान प्रकार के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होने वाले कई खर्चों से बचने के लिए भी बुनियादी ढांचे को साझा करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

(iv) टीएसपी द्वारा पीजीसीआईएल फाइबर/बैंडविड्थ अवसंरचना के उपयोग और उत्तोलन की भी खोज की जानी चाहिए।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि असंबद्ध लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोई भी संचार सुविधा से वंचित न रहे। अगर सरकार से किसी प्रकार के सहायता की आवश्यकता हो तो उसके बारे में सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

भादूविप्रा समय–समय पर यूएसओएफ परियोजना कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों का मूल्यांकन और प्रस्ताव करता है।

(ट) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित मामलों में तथा सामान्यतः दूरसंचार उद्योग से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को प्रदान किए गए परामर्श का विवरण

3.11 भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के विकास से संबधित मामलों में केन्द्र सरकार को प्रदान किए गए परामर्श का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) ''विभिन्न लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों की अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर दिनांक 19 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ ।

(ख) ''लो बिट रेट एप्लीकेशन के लिए सैटेलाइट–आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ।

(ग) ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उन्नत ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप'' पर दिनांक 31 अगस्त, 2021 की अनुशंसाएँ।

(घ) ''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 27 नवंबर, 2021 की प्रतिक्रिया।

इस संबंध में आगे के ब्योरे के बारे में पहले ही रिपोर्ट के भाग–II में चर्चा की गई है।

(ठ) सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के संवर्धनात्मक सर्वेक्षण का विवरण

3.12 सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्ट

3.12.1 मूलभूत और सेल्युलर सेवाएं

भादूविप्रा मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन की निगरानी उपरोक्त निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने मूलभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के माध्यम से मूलभूत टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित किए हैं।

इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय निरुत्साहन के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

3.12.2 ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा इसके द्वारा निर्धारित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम दिनांक 06 अक्तूबर, 2006 के तहत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण सेवा की गुणवत्ता मानदंड के संबंध में उनके निष्पादन के आंकलन हेतु किया जाता है। मानदंडों का स्तर और ऊंचा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड के गति सुधार के लिए दिनांक 25 जून, 2014 को ''ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012'' जारी किए गए।

3.12.3 नेटवर्क / अंतर्संयोजन का बिन्दु (पीओआई) रिपोर्ट्स

भादूविप्रा मासिक आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर व्यस्तता के स्तर का निगरानी कर रहा है। यह मानदंड एक नेटवर्क के उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संचार करने की आसानी को दर्शाता है। यह मानदंड यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन कितना प्रभावी है। इस मानदंड के लिए भादूविप्रा द्वारा सेवा की गुणवत्ता विनियम में अधिसूचित मानदंड <0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा सेवा की गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के निष्पादन के आंकलन हेतु उनसे मासिक पीओआई व्यस्तता रिपोर्ट प्राप्त करता है।

3.12.4 ट्राई माईकॉल ऐप

''ट्राई माईकॉल ऐप" का उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से कॉल की गुणवत्ता को मापना है। ट्राई माईकॉल ऐप क्राउड सोर्स्ड वॉइस कॉल मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एंड्रायड तथा आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन फोन उपयोगकर्ताओं की 'रीयल टाइम' में वॉइस कॉल की क्वालिटी के बारे में अपने अनुभव का मूल्यांकन करने और भादूविप्रा के नेटवर्क डाटा के साथ उपभोक्ताओं के अनुभव संबंधी डाटा एकत्रित करने में मदद करता है।

3.12.5 ट्राई माई स्पीड ऐप

यह एप्लिकेशन सब्सक्राइबर को वायरलेस डेटा स्पीड अनुभव को मापने की अनुमति देता है और भादूविप्रा को परिणाम भेजता है। एप्लिकेशन, डिवाइस और परीक्षणों के स्थान के साथ कवरेज, डेटा गति और अन्य नेटवर्क जानकारी को इकट्ठा करता है और भेजता है। माईस्पीड पोर्टल प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे नमूनों से वायरलेस डेटा गति की तुलना प्रदर्शित करता है।

(ड) नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का निरीक्षण और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार के संबंध में की गई सिफारिश

3.13 इस शीर्ष के तहत उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:

''वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण'' पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें ।

प्राधिकरण ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और इसे दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को दूरसंचार विभाग को उसके विचारार्थ अग्रेषित कर दिया।

भाग - IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 यह खंड विशेष रूप से संगठन संरचना, वित्त पोषण, मानव संसाधन के क्षेत्रों जिसमें भर्ती, क्षमता निर्माण और अन्य सामान्य मुद्दों से संबंधित भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों पर जानकारी प्रदान करता है।

4.2 संगठन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय है, जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल एवं अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण तथा निपटान करने और अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है, और उक्त नाम से, मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति है। भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो–अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 31 मार्च, 2022 को प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी :

डॉ. पी.डी. वाघेला
अध्यक्ष

सुश्री मीनाक्षी गुप्ता
सदस्य (पूर्णकालिक)

सदस्य (पूर्णकालिक)
रिक्त

सदस्य (अंशकालिक)
रिक्त

सदस्य (अंशकालिक)
रिक्त

4.3 भादूविप्रा का सचिवालय (मुख्यालय)

प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है तथा इस कार्य में उनकी सहायता, सात प्रभागों द्वारा की जाती है जो इस प्रकार हैं:

(I) प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (एडमिन एंड आईआर); (ii) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस); (iii) वित्त और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए); (iv) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल); (v) सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) (vi) विधि, और (vii) उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी और टीडी)।

4.4 प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग

प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है जिसमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना और नियंत्रण के साथ–साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग के पास प्रशासन और कार्मिक अनुभाग (ए एंड पी), सामान्य प्रशासन अनुभाग (जीए), संचार और जनसंपर्क (कॉम एंड पीआर) अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, प्रबंधन प्रतिनिधि और आरटीआई (एमआर एंड आरटीआई) अनुभाग की गतिविधियों के प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। प्रभाग ने एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय का प्रबंधन किया है जिसमें ज्ञान का एक अच्छा संग्रह है, जिसमें तकनीकी पुस्तकें, कानूनी पुस्तकें, साहित्य पुस्तकें इत्यादि शामिल हैं। इसके पास संसाधनों को साझा करने के लिए इसमें डेलनेट की संस्थागत सदस्यता भी है। यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी संभालता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे आईटीयू, एपीटी, वर्ल्ड बैंक, सीटीओ, डब्ल्यूटीओ, एसएटीआरसी, ब्रिक्स, आईआईसी और अन्य देशों में विनियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल हैं।

4.5 प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग

प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग प्राधिकरण को टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवाओं की गुणवत्ता के पहलुओं को शामिल करना; उपग्रह टीवी चैनलों के प्रसारण, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं, केबल टीवी सेवाओं, हेड–एंड इन द स्काई (एचआईटीएस) सेवाओं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं, एफएम रेडियो प्रसारण आदि प्रसारण क्षेत्रें के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने में परामर्श प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अनुशंसाएं करने और प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति के नियमों तथा शर्तों पर अनुशंसाएं करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्राधिकरण को प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों के हितों की संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देता है, जिनमें उपभोक्ता विकल्पों को सुगम बनाना, सस्ती कीमतों पर वांछनीय गुणवत्ता की सेवाओं की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

4.6 वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग

एफ एंड ईए प्रभाग मुख्य रूप से दूरसंचार टैरिफ आदेशों में निहित प्रावधानों, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में निहित कुछ प्रावधानों और समय–समय पर संबंधित पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, एफ एंड ईए प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन पहलुओं पर सलाह प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे टैरिफ विनियमन (जहां भी आवश्यक हो, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों को निर्धारित करना, टैरिफ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और विनियामक ढांचे के अनुरूप उनकी जांच करना आदि), लागत आधारित इंटरकनेक्शन शुल्क का निर्धारण, मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क का निर्धारण, दूरसंचार सेवाओं के लिए लागत पद्धति तथा लागत आदि। एफ एंड ईए प्रभाग मौजूदा विनियामक ढांचे के साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों, लेखा पृथक्करण रिपोर्ट, एजीआर रिपोर्ट आदि की समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी है। एफ एंड ईए प्रभाग ''भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट'' भी संकलित करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

4.7 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग, इंटरकनेक्शन के नियमों तथा शर्तों को तय करने, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने, इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) के निर्धारण सहित सभी इंटरकनेक्शन मुद्दों को संभालने तथा उसकी नियमित समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के एक्सेस फैसिलिटेशन और को–लोकेशन चार्ज से संबंधित मुद्दों को भी प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, प्रभाग इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सहित एक्सेस सेवाओं की लाइसेंस शर्तें, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा, सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (पीएमआरटीएस), मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे आडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल और मशीन टू मशीन (एम 2 एम) संचार सेवा से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएं करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन पर अनुशंसाएं भी प्रदान करता है जिसमें इसके बंटवारे, व्यापार और री–फॉर्मिंग शामिल है। यह प्रभाग नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरूआत से संबंधित मामलों पर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। क्रास सेक्टर को–आर्डिनेशन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, सस्टेनेबल टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (पीपीडीआर) के लिए रेडियो कम्युनिकेशंस सिस्टम्स से जुड़े मामले भी देखे जाते हैं। यह प्रभाग राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा, कॉलिंग कार्ड और सैटकाम नीति से संबंधित मुद्दों को भी देखता है।

प्रभाग ऊपर उल्लिखित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शर्तों के अनुपालन की निगरानी भी करता है। यह प्रभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) से संबंधित मुद्दों और सभी संबंधित मामलों पर अनुशंसाओं को संभालता है। यह प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को भी नियंत्रित करता है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। कन्वर्जेंस, राइट ऑफ वे और स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग की नीति जैसे मुद्दों को भी संभाला जाता है। यह प्रभाग देश में वायरलाइन, वायरलेस इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन की निगरानी भी करता है।

4.8 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

क्यूओएस प्रभाग सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता (मूल टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, वायरलेस डेटा सेवा और ब्राडबैंड सेवा) के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को निर्धारित करने, दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), स्पैम को रोकने के लिए उत्तरदायी है।

प्रभाग विभिन्न निष्पादन संकेतकों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवधिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता का भी देश भर में किए गए फील्ड मापन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से पहले प्राप्त संदर्भों पर अनुशंसाओं को संभालता है। प्रभाग इंटरकनेक्ट समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है जो कि विनियमों में प्रदान किए गए हैं।

4.9 विधि प्रभाग

विधि प्रभाग सभी विनियामक मुद्दों पर प्राधिकरण को विधिक परामर्श प्रदान करने, सभी विधिक दस्तावेजों को तैयार करने और पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्षकार होता है।

4.10 उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी एंड टीडी) प्रभाग

सीए प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता परामर्श के विकास और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत होने की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ बातचीत करता है। प्रभाग की अन्य गतिविधियों में उपभोक्ता शिक्षा/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण, प्रासंगिक विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन, मीडिया अभियान चलाना, उपभोक्ता शिक्षा आदि को बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता शिक्षा सामग्री का विकास और प्रकाशन करना शामिल है।

भादूविप्रा में आईटी प्रभाग विभिन्न प्रभागों की आईटी संबंधी आवश्यकताओं जैसे डेटा के विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, विभिन्न पोर्टलों के कार्यान्वयन और रखरखाव और भादूविप्रा वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। भादूविप्रा का आईटी प्रभाग कंप्यूटर हार्डवेयर एसेट्स और भादूविप्रा के लैन सेटअप का रखरखाव भी करता है।

टीडी प्रभाग समय–समय पर अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से तकनीकी सत्र आयोजित करता है, ताकि भादूविप्रा के अधिकारियों के बीच नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। यह प्रभाग दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए समय–समय पर 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट' के रूप में तकनीकी सूचना पत्र भी प्रकाशित करता है।

4.11 मानव संसाधन

भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु कुल 186 कर्मचारी (31 मार्च, 2022 को) काम कर रहे हैं, जो प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में उसे सौंपे कार्यों को करता है।

4.12 भादूविप्रा मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च, 2022 को)

31 मार्च, 2022 को, भादूविप्रा (मुख्यालय) के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

एस.एन.	पद	स्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार	14	13
3.	सलाहकार		
4.	संयुक्त सलाहकार	25	25
5.	उप सलाहकार	10	10
6.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	30**	22
8.	प्रधान निजी सचिव	05	04
9.	तकनीकी अधिकारी	17**	16
10.	तकनीकी अधिकारी (अभियांत्रिकी)	5	0
11.	अनुभाग अधिकारी	20	12
12.	निजी सचिव	12	11

13.	सहायक	48	38
14.	निजी सहायक	18	09
15.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	00
16.	अवर श्रेणी लिपिक	07	00
17.	स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड	01	00
18.	स्टाफ कार चालक ग्रेड–I	04	02
19.	स्टाफ कार चालक ग्रेड– II	04	04
20.	स्टाफ कार चालक साधारण ग्रेड	04	04
21.	पीसीएमओ	02	02
22.	डिस्पैच राइडर	01	01
23.	बहु–कार्य कर्मचारिवृंद	05	08
	कुल	**237**	**186**

**** एसआरओ के पांच (05) पद तकनीकी अधिकारी के रूप में संचालित किए जा रहे हैं।**

4.13 दिनांक 31 मार्च, 2022 को भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण :

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1	श्री वी. रघुनंदन	सचिव	
2	डॉ. एम.पी. तंगीराला	प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)	
3	श्री राजीव सिन्हा	प्रधान सलाहकार (एनएसएल)	
4	श्री महेंद्र श्रीवास्तव	प्रधान सलाहकार (सीए, क्यूओएस, आईटी)	

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
5	सुश्री वंदना सेठी	सलाहकार (प्रशासन और आईआर)	
6	श्री अनिल कुमार	सलाहकार (बी एंड सीएस)	
7	श्री संजीव कुमार शर्मा	सलाहकार (बीबी एंड पीए)	
8	श्री एस.टी. अब्बास	सलाहकार (एनएसएल)–II	
9	श्री राजीव रंजन तिवारी	सलाहकार (विधि)	
10	श्री असित कादयान	सलाहकार (क्यूओएस)	
11	श्री कौशल किशोर	सलाहकार (एफ एंड ईए)–I	

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
12	श्री अमित शर्मा	सलाहकार (एफ एंड ईए)–II	

4.14 भादूविप्रा के अधिकांश कार्मिकों को प्रारंभ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले इन पदाधिकारियों को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात, यदि अपेक्षित होता है, तो संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों से उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का प्रयास प्रायः कठिन होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों के दायरे, स्तर और जटिलता में लगातार वृद्धि हो रही है, प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति पर आए इन कार्मिकों को उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भादूविप्रा में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ कुशल और विशेषज्ञता वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के एक संवर्ग का गठन किया है।

4.15 भर्ती

प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को समाहित करके अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना स्वयं का विशिष्ट संवर्ग का गठन किया है। हालांकि, अधिकांश प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कार्मिक स्थायी नियुक्ति के विकल्प का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए, इसके मुख्यालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के द्वारा कार्मिकों की भर्ती अभी भी जारी है। इसका कारण यह है कि अपेक्षित विशेषज्ञता वाले सरकारी कार्मिक मुख्य रूप से मंत्रालयों में या सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध हैं।

4.16 प्रशिक्षण

भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेष रूप से टैरिफ और सेवा मानकों की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता तथा अन्य उपभोक्ता से संबंधित मामलों पर सर्वेक्षण के संचालन के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहल को अत्यधिक महत्व देता है। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संरचित प्रशिक्षण नीति बनाई गई है। भादूविप्रा के कर्मचारियों को निम्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं:–

I. ओरिएंटेशन / प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण

ii. अल्पावधि विषयगत प्रशिक्षण

iii. दीर्घकालिक प्रशिक्षण – अधिकतर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

iv. कैरियर मध्य वृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम

v. अन्य – अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण

यह पहल प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए, परामर्श पत्र तैयार करने और प्राप्त फीडबैक और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने और ओपन हाउस चर्चा के दौरान भी उपयोगी साबित हुई है। इसके कारण दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने में भी मदद मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन तथा तैयार करने में, भादूविप्रा का प्रयास मैक्रो–स्तरीय नीति के लिए विविध कौशल प्रदान करना और नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रासंगिक तकनीकी आर्थिक कार्य विवरण के संचालन को संभालना है। भादूविप्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान/डिजाइन और संचालित किए जा रहे हैं । प्राधिकरण संगठन में अपने अधिकारियों को उनकी विशेषता को और विकसित करने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित करता है।

कोविड–19 महामारी के कारण आमने–सामने का प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जा सका, हालाकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), एनपीसी, आईएसटीएम, एनआईएफएम, आईआईएम आदि द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भादूविप्रा के कई अधिकारियों को नामित किया गया था। वर्ष के दौरान 155 अधिकारियों/कर्मचारियों ने 34 ऑनलाईन प्रशिक्षण में भाग लिया। अधिकारियों ने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से मूल्यवान इनपुट प्राप्त किए हैं और इनपुट्स ने उनके संबंधित क्षेत्र के विनियामक कार्य में उनके कौशल को समृद्ध किया है। इनमें सूक्ष्म–अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा कानून और बाजार विनियमन, व्यापार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई–मशीन लर्निंग, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, उभरते डिजिटल युग में विनियमों के भविष्य को आकार देना, 5 जी में सर्टिफिकेट कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एप्लिकेशन, विनियमों का डिजाइन और प्रारूपण और इसका प्रबंधन आदि शामिल हैं।

4.17 संगोष्ठियां / कार्यशालाएं

विश्वभर में हो रहे विकास के साथ तालमेल रखने के लिए, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों में से कुछ सदस्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बैठकों और सेमिनार के लिए नामित किया है, जो कि कोविड–19 महामारी के कारण वर्चुअल प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों ने न केवल अपने स्वयं के नीति निर्माण के लिए बहुमूल्य सुझाव/जानकारी इकट्ठा करने में मदद की बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ–साथ भारत और कई अन्य देशों में प्रमुख विनियामक चिंताओं के मुद्दों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भी योगदान दिया है और भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।

4.18 कार्यालय के लिए स्थान

सन् 1997 में स्थापना के बाद से ही भादूविप्रा किराए के परिसर में कार्य कर रहा है। भारत सरकार (जीओआई) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के दिनांक 26 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से नौरोजी नगर, नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) के रूप में विकसित किए जा रहे एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर में भादूविप्रा के कार्यालय परिसर के लिए बिल्ट–अप ऑफिस स्पेस की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने दिनांक 26 फरवरी, 2021 के आवंटन पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान के साथ टॉवर–एफ (चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल) पर कुल 1,15,982 वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप एरिया (85,545 कारपेट एरिया) आवंटित किया है। 31 मार्च 2022 तक एनबीसीसी को 225.95 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है और साइट पर निर्माण पूरे जोरों पर है और उम्मीद है कि वर्ष 2023 की दूसरी छमाही तक इसे भादूविप्रा को सौंप दिया जाएगा।

4.19 भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर

भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है, प्राधिकरण कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क ले सकते हैं। प्रतिधारण की अनुमेय अवधि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक या प्राधिकरण के साथ उनके कार्यकाल की अवधि तक, जो भी पहले हो, तक होगी। सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था के आवंटन की पात्रता दिल्ली में प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में तैनात उन अधिकारियों तक ही सीमित है, जो संपदा निदेशालय को भादूविप्रा द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर प्राधिकरण में शामिल होने से पहले सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए पात्र थे। पूर्ववर्ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संपदा निदेशालय न तो सामान्य पूल आवास आवंटित कर रहा है और न ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भादूविप्रा में समाहित होने के बाद पहले से आवंटित आवास को बनाए रखने की अनुमति दे रहा है।

एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन करके भादूविप्रा के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत एमटीएनएल/बीएसएनएल अपने आवासीय क्वार्टरों को पट्टे के आधार पर भादूविप्रा को प्रदान करने के लिए चिन्हित करेगा ताकि भादूविप्रा उन्हें अपने कर्मचारियों को किराए पर दे सके।

4.20 ट्राई में विभिन्न दिवस / दिवस मनाना

(i) दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा कोरोना (कोविड–19) महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा–निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उद्देश्य से ट्राई कर्मचारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर एक सत्र का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत प्राधिकरण के सभी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया।

(ii) 21 जून, 2021 को ट्राई में सातवां "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" मनाया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर हाइब्रिड मोड में योग सत्रों में भाग लिया।

4.21 भादूविप्रा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा

भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा भादूविप्रा की अनुसूची II (अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ता और अन्य शर्तें) नियम, 2002, समय–समय पर संशोधित, द्वारा शासित है। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों, चिकित्सा सुविधाओं के हकदार हैं।

4.22 वित्तपोषण

भादूविप्रा संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक नियामक संस्था है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 21 के अनुसार, केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, प्राधिकरण को प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुदान दे सकती है। अधिनियम की धारा 22(1) (ए) और (बी) में कहा गया है कि एक कोष का गठन किया जाएगा जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि कहा जाएगा और इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क तथा प्रभार; और प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जाए, इस निधि में जमा की जाएंगी। वर्ष 2021-22 में भादूविप्रा द्वारा किया गया कुल खर्च 93.01 करोड़ रुपये था। अवधि के दौरान व्यय के प्रमुख शीर्ष 'वेतन', 'किराया', 'पेशेवर शुल्क' आदि थे।

4.23 यदि विनियामकों से वसूले जा रहे लाइसेंस शुल्क के एक छोटे से हिस्से को भादूविप्रा के परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक शुल्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो सहायता अनुदान के रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था से भादूविप्रा को एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलेगी। आईआरडीए, सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों को गैर–सरकारी स्रोतों से भी विभिन्न स्तरों पर नई प्रतिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस तरह की स्वस्थ प्रथाओं का

अनुकरण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भादूविप्रा को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हो सके।

4.24 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में देश भर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। प्राधिकरण ने 2014-15 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने की और संशोधित क्षेत्राधिकारों के साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर और दिल्ली में स्थित 6(छह) क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में योजना निधि के तहत पायलट परियोजना के आधार पर काम कर रहे हैं। भादूविप्रा ने क्षमता निर्माण परियोजना के एक भाग के रूप में 06 क्षेत्रीय कार्यालयों को 31 मार्च, 2025 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। संशोधित लाइसेंस सेवा क्षेत्रें के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्तिथि (2021-22 के दौरान) निम्नानुसार हैं: –

क्र. सं	भादूविप्रा के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
2	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
3	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित चेन्नई, उड़ीसा
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
6	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पूर्वोत्तर, असम, बिहार

4.25 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च 2022 को)

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्र. सं	पद	स्वीकृत	कार्यरत
1.	सलाहकार	06	05
2.	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	12	08
3.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	12	07
4.	सहायक	06	05
	कुल	**36**	**25**

4.26 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण (31 मार्च, 2022 को)

क्र. सं	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम	पद	फोटो
1.	हैदराबाद	श्री ए. मुनीशेखर	सलाहकार	
2.	बेंगलुरु	श्री ब्रजेंद्र कुमार	सलाहकार	
3.	भोपाल	श्री विनोद गुप्ता	सलाहकार	
4.	जयपुर	श्री श्याम सुंदर चांडक	सलाहकार	
5.	कोलकाता	डॉ. स्वदेश कुमार सामंथा	सलाहकार	
6.	दिल्ली*	रिक्त	सलाहकार	सलाहकार (उपभोक्ता मामले) भादूविप्रा मुख्यालय – प्रभार

*** भादूविप्रा (मुख्यालय) द्वारा संचालित है**

4.27 क. उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका और कार्य हैं:

(i) टैरिफ संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की प्रभावी निगरानी करना;

(ii) विनियामक और विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ उचित समन्वय करना;

(iii) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना;

(iv) भादूविप्रा के ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी)/उपभोक्ता पक्ष समर्थक समूहों (सीएजी) की बैठकों का आयोजन करना;

(v) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

(vi) जिला/ब्लॉक स्तर तक सीएजी का विकास और सीएजी के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(viii) दूरसंचार विभाग के टर्म सेल के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना;

(ix) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों और अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(x) पोर्टल पर एमएसओ/एलसीओ के पंजीकरण और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की निगरानी करना;

(xi) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं या जो भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(xii) सेवा प्रदाता पोर्टल (एसपीपी) पर एमएसओ और एलसीओ की सूचना की निगरानी करना। आरओ यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसओ के साथ संवाद करेंगे कि सभी एमएसओ और उनके एलसीओ द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए;

(xiii) एमएसओ और एलसीओ (एमआईए/एसआईए) के बीच समझौते का विश्लेषण और अनुपालन करना;

(xiv) एमएसओ के लिए क्यूओएस विनियमन की निगरानी और कार्यान्वयन करना;

(xv) बीसीसीएमएस पोर्टल में क्षेत्रीय कार्यालयों में डीटीएच ऑपरेटरों और मुख्य एमएसओ के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों को लॉग करना;

(xvi) टीसीसीएमएस पोर्टल में उनके द्वारा प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को अपलोड करना और उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के उचित संचालन के लिए सेवा प्रदाता के साथ समन्वय करना; तथा

(xvii) प्रत्येक तिमाही के लिए डीसीआर मापदंड का विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीएसपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

4.28 सूचना का अधिकार अधिनियम

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुल 655 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों पर तत्परता के साथ कार्रवाई की गई और निर्धारित समयावधि के भीतर उनका उत्तर दिया गया।

4.29 आईएस/आईएसओ 9001:2015 भादूविप्रा को प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) को दिसंबर 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। वर्ष 2007 और 2010 में प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया गया था। नवंबर 2010 में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करते समय, बीआईएस ने आईएस/आईएसओ 9001:2008 जारी किया और बाद में 2013 और 2016 में इसका नवीनीकरण किया गया। इसके बाद, बीआईएस ने 2016 में नवीनीकरण करते समय आईएसओ प्रमाणन की नवीनतम श्रृंखला जारी की है, अर्थात आईएसओ 9001:2015 और इस प्रमाणीकरण को सितंबर 2021 में नवीनीकृत किया गया था। प्रबंधन की प्रतिबद्धता के रूप में, भादूविप्रा ने गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता उद्देश्यों और कार्य प्रणालियों को निर्धारित किया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस प्रत्येक वर्ष सर्विलांस ऑडिट करता है। अंतिम बीआईएस सर्विलांस ऑडिट 28 और 29 जुलाई, 2021 को वर्चुअल माध्यम से किया गया था। भादूविप्रा को वर्ष में दो बार गुणवत्ता नियमावली में उल्लिखित तरीकों के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में, भादूविप्रा नियमित रूप से अपने अधिकारियों को आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में, भादूविप्रा के पास आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 32 आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षक (आईक्यूए) कर्मी हैं। इसके अलावा सचिव द्वारा, तिमाही आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन समीक्षा बैठकें की जाती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान चार बार गुणवत्ता प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। उपरोक्त बैठकों के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएसओ 9001:2015 की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, शीर्ष प्रबंधन द्वारा वार्षिक प्रबंधन समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है।

4.30 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में सचिव, भादूविप्रा की देखरेख में प्राधिकरण का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और इस विषय पर समय–समय पर राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। भादूविप्रा केंद्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा, जब कभी विनियम, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचनाएं, राजपत्र अधिसूचनाएं और अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाने होते हैं, तो राजभाषा अनुभाग विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

भादूविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। ओएलआईसी की बैठक नियमित रूप से हर तिमाही में आयोजित की जाती है। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग निरंतर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है और इस संबंध में भविष्य की कार्य योजना भी तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, ओएलआईसी की 4 बैठकें क्रमशः 5 जून, 2021, 30 सितंबर 2021, 30 दिसंबर, 2021 और 30 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) और दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भादूविप्रा में 16 अगस्त, 2021 से 14 सितंबर, 2021 तक "हिंदी माह–2021" का आयोजन किया गया। इस दौरान आठ हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी कविता, हिंदी लघु भाषण, हिंदी टंकण गति, हिंदी आशुलिपि गति, मासिक हिंदी कार्य, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, और ड्राइवरों और समूह–डी श्रेणी के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिता में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के

स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष, भादूविप्रा का संदेश अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया।

दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ाने के क्रम में पिछले दस वर्षों से भादूविप्रा में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "वार्षिक प्रोत्साहन योजना" चल रही है। इस योजना के तहत योजना की अवधि के दौरान हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है और इसने कर्मचारियों को वर्ष भर अपने अधिकांश कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन का कार्य करने में सुविधा प्रदान करने और उन्हें केंद्र सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने की दृष्टि से, प्रत्येक तिमाही में नियमित हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायता/संदर्भ पुस्तकें आदि वितरित की जाती हैं, जो हिंदी में अपना कार्य करते समय उन्हें उपयोगी सहायता प्रदान करती हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, छह (06) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः 30 अप्रैल, 2021, 27 मई, 2021, 04 जून, 2021, 14 जुलाई, 2021, 15 नवंबर, 2021 और 19 जनवरी, 2022 को किया गया।

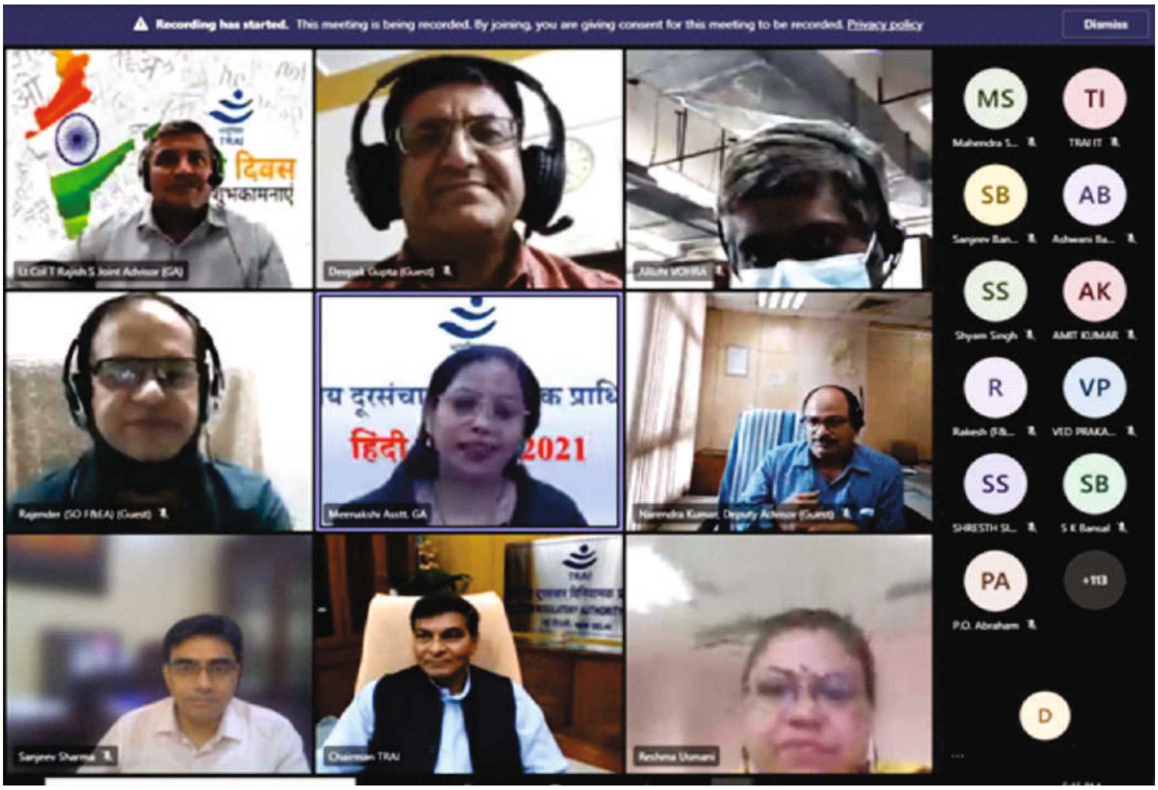

डॉ. पी. डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा की अध्यक्षता में आनलाइन माध्यम से हिंदी दिवस-2021 समारोह आयोजित किया गया।

4.31 आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण का क्रियान्वयन

भादूविप्रा पदोन्नति करते समय पात्र श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों का पालन करता रहा है। वर्ष के दौरान भादूविप्रा में सीधी भर्ती के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। आरक्षित वर्ग के विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित निर्देशों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

4.32 अन्य नियामकों के साथ सहयोग

4.32.1 फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स

ट्राई अगस्त, 2016 से फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (एफओआईआर) का सदस्य रहा है, जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) और अन्य क्षेत्र के नियामकों जैसे टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (टीएएमपी), एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए), पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) एवं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) आदि के सदस्यों से मिलकर बना एक संगठन है। ट्राई नियमित रूप से फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स (एफओआईआर) के सभी गतिविधियों जैसे एजीएम, जीबीएम एवं एफओआईआर के सदस्यों के कोल्लोकुइम्स आदि में भाग लेता रहा है।

4.32.2 नियामकों की संयुक्त स्थायी समिति

नियामकों की एक संयुक्त स्थायी समिति का गठन ट्राई की पहल पर डिजिटल दुनिया में भविष्य के नियामक निहितार्थों का अध्ययन करने और भविष्य के नियमों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और ट्राई के प्रतिनिधि समिति के सदस्य हैं।

ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2021–22 के लेखापरीक्षित लेखे

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संलग्न बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते/प्राप्तियां और भुगतान खातों का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (उचितता एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वे सभी जानकारीयां व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट और आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां एवं भुगतान खाते को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महा लेखानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'खातों के समान प्रारूप' में तैयार किया गया है।

   iii. हमारी राय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उचित बही–खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया है, जहां तक इस प्रकार के खातों के निरीक्षण से प्रतीत होता है।

   iv. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. बैलेंस शीट

स्थायी सम्पत्ति (अनुसूची 8)– ₹8,44,79,695

उक्त मद में ₹10.35 लाख की राशि को 2020-21 और 2021-22 के दौरान खरीदे गए मोबाइल हैंडसेट पर कम मूल्यह्रास अंकन के कारण अधिक दर्शाया गया था। प्राधिकरण द्वारा अंकन किया गया मूल्यह्रास इसके स्वयं के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 जनवरी, 2020 के अनुसार नहीं था। इसके कारण यह राशि अधिशेष में भी अधिक दर्शाई गई थी।

ख. आय एवं व्यय खाता

अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21)–₹ 42,51,74,455

उक्त मद में ₹ 30.35 लाख की राशि को अक्टुबर 2020 में लगी आग के दौरान राउटर सिस्को 2921, 1-3 स्विच, कैटालिस्ट 4500–एक्स और 10 जीबीएएसई–एसआर एसएफपी मॉड्यूल की क्षति की नॉन–बुकिंग के कारण कम दर्शाया गया था। इसके कारण इस राशि को स्थायी सम्पत्ति एवं अधिशेष में भी अधिक दर्शाया गया था।

ग. सहायता अनुदान

₹ 113-06 करोड़ के आय अनुदानों (जिसमें पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई 21.06 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है) में से भादूविप्रा ने ₹ 91.43 करोड़ की राशि का उपयोग किया था और 31 मार्च, 2022 को अप्रयुक्त पूंजी अनुदान के रूप में ₹ 21.63 करोड़ शेष था।

i. पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट और आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां एवं भुगतान खाता बही खातों के अनुरूप हैं।

ii. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं :

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है, तथा

ख. जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय खाते से है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक

ह०/-
(रोली शुक्ला मालगे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

दिनांकः 10.11.2022
स्थानः दिल्ली

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

हमें प्रदान की गई सूचनाओं और व्याख्याओं के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांचे गए बही खातों और अभिलेखों और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा

भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी और उसे सचिव, भादूविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया था। संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है। जहां भी कुछ कमियां दिखाई दी, उन्हें चालू वर्ष के लिए लेन–देन निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित किया गया।

3. अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल सम्पत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव मैन्युयल रूप से और साथ ही कंप्युटर के माध्यम से किया जाता है, भौतिक सम्पत्तियों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। हमारी राय में संगठन की अचल सम्पत्तियों के सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार और कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्टेशनरी और उपभोज्य वस्तुओं जैसे स्टोर आइटमों की सूची स्टॉक रजिस्टर में रखी जाती है और वर्ष के अंत में उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है।

हमारी राय में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त और इसके आकार तथा कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी।

ह०/-
(रोली शुक्ला मालगे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त नोट।

वर्ष 2021-22 के लिए भादूविप्रा के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक मूल्यांकन किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्ण–कालिक सदस्य और दो अंश–कालिक सदस्य होते हैं जिनके कार्यों में सचिव सहायता करते हैं। भादूविप्रा के सचिवालय का मुखिया सचिव होता है और वह सात कार्यात्मक प्रभागों अर्थात (i) प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (ए एण्ड आईआर) (ii) प्रसारण एवं केबल सेवा (बी एण्ड सीएस) (iii) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एण्ड ईए) (iv) नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (एनएसएल) (v) सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) (vi) विधि (vii) उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रोद्योगिकी (सीए एण्ड आईटी) के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का मुखिया एक प्रमुख सलाहकार होते हैं और वे सचिव को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक प्रमुख सलाहकार / सलाहकार की सहायता के लिए उप–सलाहकार या संयुक्त सलाहकार होते हैं और उनकी सहायता के लिए संबंधित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी होते हैं।

2. नीतियां एवं प्रक्रियाएं

कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण, परामर्श की शर्तों का विस्तार, व्यक्तिगत दावों के निपटान, यात्रा भत्तों के दावों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए यात्राओं के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं तथा विभिन्न मामलों पर विनियमों का निर्माण भादूविप्रा अधिनियम के अनुसार किया जाता है। जहां भी कुछ कमियां पायी जाती हैं उन्हें चालू वर्ष के लिए "लेन–देन लेखा परीक्षण" की निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित किया जाता है।

3. आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और स्वतंत्रता

भादूविप्रा के पास स्वयं का लेखा परीक्षण विभाग है जिसका प्रमुख तकनीकी अधिकारी(टीओ) होता है जो सीधे सचिव, भादूविप्रा को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए सचिव के पास भेजी जाती है और उन्हें उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अग्रेसित किया जाता है। विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों की निरंतर और नियमित निगरानी की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भादूविप्रा के सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. नकद प्राप्तियां और वितरण

नकद की प्राप्तियों और वितरण से संबंधित कार्य को उप–सलाहकार (वित्त) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कैशियर द्वारा किया जाता है। कैश बुक कैशियर के पास रहती है और नकदी का भौतिक सत्यापन नियमित आधार पर किया जाता है। नकद को प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई, अधिकतम सीमा के अनुसार रखा जाता है।

5. भादूविप्रा सामान्य निधि

भादूविप्रा सामान्य कोष का रखरखाव दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किया जाता है, भादूविप्रा को भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को इस कोष में अलग से क्रेडिट किया जाता है। भादूविप्रा का व्यय डीओटी से जारी अनुदानों से पूरा किया जाता है जारी किए गए अनुदानों के संबंध में भादूविप्रा डीओटी को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

6. स्थायी सम्पत्तियां

स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर का रख–रखाव हाथ से और कंप्युटरों के द्वारा किया जाता है। सम्पत्तियों/स्टोरों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

7. नकद प्राप्तियां और वितरण

भुगतान के लिए वित्तीय विभाग के पास अग्रेसित सक्षम प्राधिकार की सभी मंजूरियों का, वर्तमान नियमों/आदेशों, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, लेखा मदों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के साथ जांच की जाती है, तदनुसार भुगतान के अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकारी के आदेश जो कि भारत सरकार के निर्णयों/आदेशों के अनुसार नहीं हैं उन्हें वित्त विभाग द्वारा संशोधित किया जाता है।

8. कर्मचारियों के लिए वेतन निधियां/व्यक्तिगत ऋण और अग्रिम

भादूविप्रा के कर्मचारियों को वेतन/ऋण और अग्रिम समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और भुगतान किए जाते हैं।

9. बैंक में जमा/बैंक मिलान

संबंधित विभाग से मंजूरी के आधार पर चेक जारी किए जाते हैं। भादूविप्रा एक चेक इश्यू रजिस्टर का रखरखाव करता है जिसमें प्राप्त किए गए और जारी किए गए चेकों का विवरण लिखा जाता है। बैंक मिलान विवरणों को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सरकारी अनुदानों के माध्यम से प्राप्त निधियों को बैंक के चालू खातों में रखा जाता है।

10. एचबीए/एमसीए/कंप्युटर/स्कूटर अग्रिम का रजिस्टर

भादूविप्रा द्वारा अपने कर्मचारियों को एचबीए/एमसीए/कंप्युटर/स्कूटर अग्रिम का भुगतान किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों को इन अग्रिमों का भुगतान करते समय भादूविप्रा उन कर्मचारियों के पैरेंट/पिछले कार्योलयों के डेबिट शेष पर विचार करता रहा है।

ह०/-
(रोली शुक्ला मालगे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

अस्वीकृतिः ''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
बिक्री /सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13	92,00,00,000	90,00,00,000
शुल्क /अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	
अर्जित ब्याज	17	1,79,07,118	7,04,564
अन्य आय	18	5,34,403	193,488
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		**93,84,41,521**	**90,08,98,052**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	48,94,42,293	43,06,41,796
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	42,51,74,455	46,47,68,002
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		1,55,75,774	1,61,13,587
कुल (ख)		**93,01,92,522**	**91,15,23,385**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)			
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		**82,48,999**	**(1,06,25,333)**
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष	24		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां			

ह०/-	**ह०/-**	**ह०/-**	**ह०/-**
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राजस्व

		2021-22	2020-21
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(4,16,62,136)	(4,99,11,135)
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	4,96,390	226,198,520
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		-
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		-
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	**35,90,24,249**	**36,92,99,430**
कुल		**31,78,58,503**	**54,55,86,815**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	8,44,79,695	8,77,39,210
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश – अन्य	10		-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	23,33,78,808	45,78,47,605
विविध खर्चे (बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**31,78,58,503**	**54,55,86,815**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/-	**ह०/-**	**ह०/-**	**ह०/-**
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 - संग्रह/पूंजीगत निधि

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
वर्ष के आरंभ में शेष	(4,99,11,135)	(3,92,85,802)
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान		
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित	82,48,999	(1,06,25,333)
निवल आय / (व्यय) का शेष आय और व्यय खाता		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**(4,16,62,136)**	**(4,99,11,135)**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
1. **पूंजी आरक्षित:**	-	
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. **पुनर्मल्यांकन आरक्षित: विशेष आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. **विशेष आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. **सामान्य आरक्षित:**	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि - ₹)

निधि वार ब्रेकअप

	बिल्डिंग निधि	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड	कुल राजस्व चालू वर्ष 2021-22	कुल राजस्व पिछला वर्ष 2020-21
क) निधि का आरंभिक शेष	22,61,98,520					
ख) निधि में वृद्धिः						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधि के खाते में निवेश से आय						
(iii) अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)						
(iv) बिल्डिंग के लिए डीओटी से मिली निधि	113,00,00,000					
कुल (क + ख)	135,61,98,520					
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. **पूंजीगत व्यय**						
– स्थायी परिसंपत्ति					शून्य	शून्य
– अन्य						
– बिल्डिंग अग्रिम निधि एनबीसीसी	135,57,02,130					
कुल						
ii. **राजस्व व्यय**						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि					-	-
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल	135,57,02,130					
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	**4,96,390**					

टिप्पणियांः-

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) शेष राशि, भादूविप्रा के मौजूदा खाते में पड़ी हुई है जिसे चालू परिसम्पत्तिगत ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची 11 में दर्शाया गया है।

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के	-	-
उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-
1) भादूविप्रा सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	8,38,387	57,01,871
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	1,917	1,78,302
3) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	123	15,631
4) वत्तीय दंड	1,13,90,037	92,00,000
कुल (क)	**1,22,30,464**	**1,50,95,804**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	10,38,75,036	9,25,26,411
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	12,13,45,565	9,98,88,759
5. व्यापार वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
व्यय के लिए प्रावधान	12,15,73,184	16,17,88,456
कुल (ख)	**34,67,93,785**	**35,42,03,626**
कुल (क+ख)	**35,90,24,249**	**36,92,99,430**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि - ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ मे	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. वाहन	94,62,471		21,98,774	72,63,697	53,65,451	7,79,729	20,81,102	40,64,078	31,99,619	40,97,020
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,83,85,660	13,11,942		2,96,97,602	2,39,81,434	9,54,361	15,824	2,49,19,971	47,77,631	44,04,226
6. कार्यालय उपस्कर	4,31,73,359	23,93,613		4,55,66,972	3,62,83,411	24,21,714	4,81,519	3,82,23,606	73,43,366	68,89,948
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल	12,87,74,955	65,33,656		13,53,08,611	7,24,51,538	66,65,984	15,83,881	7,75,33,641	5,77,74,970	5,63,23,417
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	1,17,35,827	46,930		1,17,82,757	91,56,383	4,50,949		96,07,332	21,75,425	25,79,444
9. पुस्तकालय पुस्तकें	44,47,558	66,566		45,14,124	44,01,767	30,007		44,31,774	82,350	45,791
10 ऑडिटोरियम	2,20,90,493			2,20,90,493	86,91,129	42,73,030		1,29,64,159	91,26,334	1,33,99,364
चालू वर्ष का योग	**24,80,70,323**	**1,03,52,707**	**21,98,774**	**25,62,24,256**	**16,03,31,113**	**1,55,75,774**	**41,62,326**	**17,17,44,561**	**8,44,79,695**	**8,77,39,210**
पिछला वर्ष	**23,44,81,205**	**1,35,89,118**	**0**	**24,80,70,323**	**14,42,17,526**	**1,61,13,587**	**0**	**16,03,31,113**	**8,77,39,210**	**9,02,63,679**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह०/-

कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 - निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	25,844	26,385
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	21,37,59,848	3,00,801
बिल्डिंग फंड (भादूविप्रा के नए भवन के लिए)	5,42,113	
– चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	1,310	1,77,694
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	123	15,318
– बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर		
– बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	1,13,90,037	92,00,000
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	26,40,000	43,65,00,000
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर	-	-
– बचत पर	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-
	-	-
कुल (क)	**22,83,59,275**	**44,62,20,199**

जारी.......

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. <u>ऋण</u>		
क) स्टाफ	-	-
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	31,51,118	31,11,912
2. <u>अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः</u>		
क) पूंजीगत खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान	12,00,810	77,76,372
ग) अन्य	-	-
3. <u>प्रोद्भूत आय</u>		
क) निधार्रित/अक्षयनिधियों से निवेश पर	-	-
ख) निवेश – अन्य पर	-	-
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	6,67,605	7,39,122
घ) अन्य	-	-
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. <u>प्राप्तयोग्य दावे</u>	-	-
कुल (ख)	**50,19,533**	**1,16,27,406**
कुल (क + ख)	**23,33,78,808**	**45,78,47,605**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

	राजस्व	
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. केंद्र सरकार	92,00,00,000	90,00,00,000
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (स्वच्छ भारत)	-	-
कुल	**92,00,00,000**	**90,00,00,000**

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि - ₹)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
निर्धारित / अक्षयनिधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि - ₹)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. विविध आय	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सावधि जमा पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) फ्लैक्सी खाते	1,79,07,118	7,04,564
2. बचत खातों पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**1,79,07,118**	**7,04,564**

टिप्पणी: स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

ह०/-

कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय	5,34,403	2,84,667
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क		
6. टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क		
7. टेलीमार्किटर्स से जुर्माना		
8. वित्तीय निवर्तक		
कुल	**5,34,403**	**2,84,667**

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल	0	0
- प्रगतिशील कार्य	0	0
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल	0	0
- प्रगतिशील कार्य	0	0
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)	0	0

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

	गैर-योजना	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
क) वेतन एवं मजदूरी	38,26,08,775	35,23,25,335
ख) भत्ते एवं बोनस	4,52,459	4,70,913
ग) भविष्य निधि में योगदान	2,31,14,825	1,93,28,583
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) स्टाफ कल्याण खर्च	14,38,157	10,52,062
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	6,40,40,501	4,22,46,667
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,77,87,576	1,52,18,236
कुल	**48,94,42,293**	**43,06,41,796**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	28,40,809	19,75,235
ड़) जल प्रभार	-	-
च) बीमा और बैंक शुल्क	2,08,399	1,95,686
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	1,10,49,290	1,06,68,605
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	32,94,13,292	30,01,02,796
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	14,69,394	14,74,332
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	92,60,002	1,16,51,249
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	10,44,703	17,83,148
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	2,05,28,393	2,22,98,087
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	1,39,149	1,30,333
त) अंशदान व्यय	61,23,010	57,15,398
थ) पूर्व अवधि के खर्च	(3,71,13,704)	(528,240)
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक	2,03,100	1,90,000
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	3,05,329	4,90,794
न) पेशवेर शुल्क	2,82,49,435	4,22,04,312
प) परामर्श और प्रशिक्षण	14,50,134	2,63,19,680
फ) स्वच्छ भारत शुल्क	-	-
ब) संपत्तियों की बिक्री से हानि	-	-
भ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
म) सॉफ्टवेयर विकास व्यय	17,06,676	-
य) विज्ञापन एवं प्रचार	17,84,626	25,35,500
र) अन्य	-	-
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	4,65,12,418	3,75,61,087
कुल	**42,51,74,455**	**46,47,68,002**

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि - ₹)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

टिप्पणीः संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2021-22	**पिछला वर्ष 2020-21**
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

ह०/-
कंसल्टेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि - ₹)

प्राप्ति	राजस्व चालू वर्ष 2021-22	राजस्व पिछला वर्ष 2020-21
I. आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी	26,385	66,822
i) चालू खाते में	3,00,801	20,84,12,360
ii) बिल्डिंग फंड में जमा खाते में	22,61,98,520	-
iii) भादूविप्रा सामान्य निधि में	21,03,01,480	-
iv) बचत खाते पर जुर्माना	15,318	5,46,363
पंजीकरण शुल्क	1,77,694	1,78,302
ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
वित्तीय निवर्तक	92,00,000	7,93,30,015
II. प्राप्त अनुदान		
क) केंद्र सरकार से	92,00,00,000	90,00,00,000
ख) राज्य सरकार से	-	-
ग) बिल्डिंग फंड के लिए डीओटी से प्राप्त अनुदान	113,00,00,000	113,00,00,000
(पूंजी या राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाया गया है)		
III. निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	-	-
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)	1,79,07,118	7,04,564
IV. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	-	-
ख) ऋण, अग्रिम आदि	71,517	-
	-	-
ग) विविध		
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय को	5,34,403	7,21,728
VI. उधार ली गई राशि		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
प्रतिभूति जमा से	65,75,562	7,60,602
अन्य अग्रिम	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री से		-
वाहन की बिक्री पर अग्रिम	-	1,39,382
पंजीकरण शुल्क से	5,313	5,108
ग्राहक शिक्षा शुल्क से		
टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से	4,083	15,631
वित्तीय निवर्तक से	1,94,98,032	92,00,000
कुल	**254,08,16,226**	**233,00,80,877**

भुगतान	राजस्व चालू वर्ष 2021-22	राजस्व पिछला वर्ष 2020-21
I. व्यय		
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	47,04,43,332	41,30,18,567
ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	45,35,58,310	47,12,79,323
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
बिल्डिंग फंड के लिए एनबीसीसी को किया गया भुगतान	135,57,02,130	90,38,01,480
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/अक्षयनिधि से	-	-
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)	-	-
ग) भवन निधि में से सावधि जमा	5,42,113	22,61,98,520
घ) भादूविप्रा सामान्य निधि में से सावधि जमा	26,40,000	21,03,01,480
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1,03,41,519	1,35,89,118
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को	-	-
ख) राज्य सरकार को	-	-
ग) टेलीमोर्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	1,81,697	5,108
ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	-	-
टेलीमोर्टर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	19,278	5,46,363
वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	1,73,07,995	7,93,30,015
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	49,02,690	22,90,705
VIII. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी	25,844	26,385
ख) बैंक शेष	-	
1) चालू खाता में – भादूविप्रा सामान्य निधि	21,37,59,848	3,00,801
i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	1,310	1,77,694
ii) जमा खाता में	-	-
2) बचत खाता		
i) ग्राहक शिक्षा शुल्क	-	-
ii) टेलीमार्किटर्स से दंड	123	15,318
iii) वित्तीय निवर्तक	1,13,90,037	92,00,000
कुल	**254,08,16,226**	**233,00,80,877**

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 लेखा परंपराएं:

(क) वित्तीय विवरण को ''एक समान खाते के प्ररूप'' में तैयार किया गया है जैसा कि लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 23 जुलाई, 2007 के पत्रांक संख्या एफ.सं. F.No.19(1)/विविध/2005/टीए/450-490 के माध्यम से योजनागत तथा गैर–योजनागत दोनों क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से यथा अनुमोदित है

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2021-22 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

(ड़) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 स्थायी परिसंपत्तियां:

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुशंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 मूल्यह्रास:

(क) अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग ''सी'' की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00% *
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4 मई, 2007 के आदेश संख्या 2-1/97-एलएएन के तहत डीओटी के पैटर्न पर इन हैंडसेटों को तीन वर्षों में मुहैया /बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया है। तदनुसार, 2007-08 से मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से प्रभारित किया गया हैं।

(ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

(ग) ₹ 5000/- या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

4 विदेशी मुद्रा निष्पादन:

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5 **सेवानिवृत्ति लाभः**

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में दिनांक 31 मार्च 2022 के लिए समय–समय पर मौलिक नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों मे प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2021-22 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 **सरकारी अनुदानः**

(क) सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स और वित्तीय नवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त राशि का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1 **आकस्मिक देयताएंः**

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

2 **वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 **कराधानः**

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 **अनुदानः**

वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भादूविप्रा के दिन–प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए डीओटी से 92 करोड़ रुपये की राशि सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

5 **निर्धारित अनुदान**

भादूविप्रा समय–समय पर संचार मंत्रालय से ऑफिस स्पेस के लिए फंड आवंटित करने का अनुरोध कर रहा था। 26 नवंबर 2020 को, डीओटी ने पत्र संख्या 15-11/2012-रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से भादूविप्रा को कार्यालय स्थान के लिए 1,15,188 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में बताया। तत्पश्चात पत्र संख्या 1-15/2021-B/313 और संख्या 1-15/2020-B/208 दिनांक 14 जून, 2021 और संख्या 1-15/2020-B/456 दिनांक 1 नवम्बर, 2021 के माध्यम से ₹ 226 करोड़ की राशि भवन के लिए आवंटित की गई है। जिसमें से 225.95 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यानी 31 मार्च, 2022 तक एनबीसीसी को किया जा चुका है, उक्त बिल्डिंग फंड और इसके उपयोग का खुलासा बैलेंस शीट की अनुसूची 3 में किया गया है।

6 **पूर्व अवधि की वस्तुएंः**

1997-98 से 2017-18 तक बहीखातों में पड़े पुराने प्रावधानों की समीक्षा की गई है और जैसा कि सरकारी लेखा परीक्षकों ने अपनी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सुझाव दिया था, 3-71 करोड़ रुपये की राशि वापस लिखी गई है और आय और व्यय खाते के हिस्से के रूप में अनुसूची 21 में पूर्व अवधि शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

7 पिछले वर्ष के आंकड़े:

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय यानी पूर्व अवधि व्यय/आय पूंजीगत निधि के माध्यम से भेजी गई है।

8 विदेशी मुद्राओं में लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में व्ययः

(क) यात्रा : ₹36,41,597.00 की राशि विदेश यात्रा व्यय के रूप में खर्च की गई। जिसमें से ₹4,87,033.00 की राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया।

विदेशी मुद्रा में विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क के लिए ₹55,15,913.00 की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान : शून्य

(ग) अन्य व्ययः : शून्य

9 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ग) भादूविप्रा का वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. **परिचय**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के संलग्न तुलन–पत्र तथा भारत सरकार के दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अधीन जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाता की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटन मानदंडो आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखा पद्धतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं किः

I. हमने वे सभी जानकारीयाँ व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाता को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5 के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'लेखा के एक समान प्रपत्र' में बनाए गए हैं।

iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता द्वारा उचित लेखा पुस्तकों व अन्य संबंधित रिकार्ड का समुचित रख–रखाव किया गया है।

iv. हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/ प्राप्तियां और भुगतान लेखा, लेखा–पुस्तकों के अनुरूप हैं।

v. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में उल्लिखित अन्य मामलों तथा ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य तथा निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता के दिनांक 31 मार्च, 2022 के मामलों की स्थिति के तुलन–पत्र से संबंधित है; तथा

(ख) जहां तक ये उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु 'व्यय पर आय की अधिकता' के आय एवं व्यय खाते से संबंधित है।

-ह०/-
(अमन दीप चट्ठा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त एवं संचार)

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक - I

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-अंशदायी भविष्य निधि खाते।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों, लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई पुस्तकों व रिकॉर्ड और हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व विश्वास के अनुसार, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भादूविप्रा – सीपीएफ खातों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के लिए उपलब्ध है और इसे सचिव, भादूविप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2022 तक के सीपीएफ खातों को आंतरिक लेखा परीक्षा स्कन्ध द्वारा मई 2022 के महीने में सत्यापित किया गया था। संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

-ह०/-
(अमन दीप चट्ठा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त एवं संचार)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता वर्ष 2021-22 के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी।

वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) – सीपीएफ खाता के संबंध में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन दिनांक 30 जून, 2022 से 6 जुलाई, 2022 की अवधि के दौरान किया गया तथा इसके संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. परिचय

दिनांक 10 अप्रैल, 2003 की भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के नियम 3(1) के अनुपालन में दिनांक 05 मई, 2003 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)–अंशदायी भविष्य निधि (भादूविप्रा–सीपीएफ) खाता स्थापित की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भादूविप्रा में कर्मचारियों की कुल संख्या 237 है तथा वर्तमान में 186 कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के जीपीएफ/ईपीएफ/सीपीएफ, जैसा भी मामला हो, के लिए वेतन से कटौती कर उनकी नियुक्ति की निबंधन तथा शर्तों के अनुरूप उनके मूल कार्यालय को भेज दिया जाता है। भादूविप्रा के नियमित कर्मचारियों के मामले में, सीपीएफ नियमों के अनुरूप उनके वेतन से सीपीएफ हेतु कटौतियां की जाती हैं और भादूविप्रा द्वारा कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता के अंशदान का भुगतान, मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी की कटौती के ब्यौरे सहित भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में जमा किया जाता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते हेतु अलग से कोई कर्मचारी नहीं है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते का समग्र रखरखाव न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिनका गठन केवल भादूविप्रा के कर्मचारियों से ही किया जाता है। भादूविप्रा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उप. सलाहकार (एफ एण्ड ईए) न्यासी मंडल के सचिव हैं । मंडल के न्यासी निम्नलिखित हैं:

(i)	सलाहकार (प्रशासन)	:	अध्यक्ष (पदेन) भादूविप्रा सीपीएफ ट्रस्ट
(ii)	संयुक्त सलाहकार (मानव संसाधन)	:	न्यासी (पदेन)
(iii)	संयुक्त सलाहकार (एफ एंड ईए)	:	न्यासी (पदेन)
(iv)	उप सलाहकार (एनएसएल–II)	:	न्यासी
(v)	सहायक (क्यूओएस)	:	न्यासी
(vi)	उप सलाहकार (एफएंडईए)	:	सचिव (सीपीएफ)

न्यासी मंडल के सचिव भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के रखरखाव करने और न्यासी मंडल की बैठकों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। न्यासी मंडल के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3. आंतरिक लेखा का कार्यक्षेत्र तथा स्वतंत्रता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अपना स्वयं का लेखापरीक्षा प्रभाग है, जिसके प्रमुख तकनीकी अधिकारी (आईएयू) होते हैं। सीपीएफ खातों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाती है और तत्पश्चात् अपेक्षित सुधार उपायों के लिए संबंधित प्रभागों को अग्रेषित की जाती है। प्रभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाईयों पर निरंतर व नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

4. निधियों की प्राप्ति व वितरण

निधियों की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित कार्य न्यासी मंडल के सचिव के अधीक्षण में एक अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है। भादूविप्रा सीपीएफ खाते से में कोई नकदी का लेनदेन नहीं किया जाता है क्योंकि सभी प्राप्तियां और भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से सीपीएफ कटौतियों की प्राप्तियां तथा भादूविप्रा सीपीएफ– खाते के सदस्यों को सीपीएफ आहरण और अग्रिम के लिए, किए गए भुगतान, यदि कोई हों तो, को नियमित रूप से बैंक बही में दर्ज किया जाता है।

5. निवेश

भादूविप्रा सीपीएफ–खाते की निधियों को शासकीय मानदंडों के अनुरूप विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त/प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज आय में जमा किया जाता है। निवेश संबंधी निर्णय न्यासी मंडल की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

6. ब्याज

सदस्यों के सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्याज समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उनके निजी खातों में जमा किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज में यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति भादूविप्रा की सामान्य निधि से की जाती है।

7. सीपीएफ से आहरण/अग्रिम

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के सदस्य सीपीएफ नियमों के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खाते से आहरण अथवा अस्थायी अग्रिम राशि आहरित करने के पात्र हैं। सदस्यों को अग्रिम दिये जाने के मामलों में, भादूविप्रा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम की वसूली करने के लिए संबंधित सदस्यों के वेतन से की जाने वाली मासिक कटौती के संबंध में सूचित किया जाता है।

-ह०/-
(अमन दीप चट्ठा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त एवं संचार)

अस्वीकृतिः ''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
बिक्री /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान /सब्सिडी	13	-	-
शुल्क /अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	14,600,812.65	12,290,199.14
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	7,583,324.00	8,060,553.00
अन्य आय	18	-	188,763.00
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		**22,184,136.65**	**20,539,515.14**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	95,840.80	77,864.90
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	21,655,485.00	18,526,682.00
म्यचूअुल फंडों में निवेश मूल्य में कमी		-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		-	-
कुल (ख)		**21,751,325.80**	**18,604,546.90**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		432,810.85	1,934,968.24
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमातक अतंरित परंतु बटटे् खाते में नहीं डाला गया।			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		432,810.85	1,934,968.24
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25	-	-

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	रेशमा एस. उस्मानी सहायक (क्यूओएस) न्यासी	सोनिया मदान उप. सलाहकार (एनएसएल-II) न्यासी	मयूर गुप्ता संयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन न्यासी	मनीष जैन संयुक्त सलाहकार (मा.सं.) पदेन न्यासी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन न्यासी

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

कॉर्पस /पूंजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची	राजस्व चालू वर्ष 2021-22	राजस्व पिछला वर्ष 2020-21
संग्रह / पूंजीगत निधि			
ट्राई –सीपीएफ सदस्य खाता	1	353,895,741.00	292,965,139.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	6,821,024.35	6,388,213.50
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	-	
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4	-	
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5	-	
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	-	440,226.00
कुल		**360,716,765.35**	**299,793,578.50**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	-	
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	
निवेश – अन्य	10	346,600,000.00	280,600,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	14,116,765.35	19,193,578.50
विविध खर्च			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**360,716,765.35**	**299,793,578.50**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	रेशमा एस. उस्मानी सहायक (क्यूओएस) न्यासी	सोनिया मदान उप. सलाहकार (एनएसएल-II) न्यासी	मयूर गुप्ता संयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन न्यासी	मनीष जैन संयुक्त सलाहकार (मा.सं.) पदेन न्यासी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन न्यासी

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 - ट्राई - सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
वर्ष के आरंभ में शेष	292,965,139.00	260,833,399.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन	-	-
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	60,930,602.00	32,131,740.00
जोड़े/(कटौती): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**353,895,741.00**	**292,965,139.00**

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. पूंजी आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुर्नमुल्यांकन आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	6,388,213.50	4,453,245.26
वर्ष के दौरान जमा	432,810.85	1,934,968.24
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल	**6,821,024.35**	**6,388,213.50**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3 - निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) निधि का आरंभिक शेष		
ख) निधि में वृद्धि		
i. दान / अनुदान		
ii. निधि के खाते में निवेश से आय		
iii. अन्य जमा (विशेष प्रकृति)		
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
- स्थायी परिसंपत्ति		
- अन्य		
कुल		
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		
- किराया		
- अन्य प्रशासनिक व्यय		
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)		

टिप्पणियां:-

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)	-	-
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-	306,919.00
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटी / दावे	-	-
6. अन्य (विदेश मंत्रालय / भादूविप्रा को देय)	-	133,307.00
कुल (ख)	-	440,226.00
कुल (क+ख)	-	**440,226.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची - 8 स्थायी परिसंपत्तियां

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी संपत्तियां:										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़लोल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़लोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणीः उपरोक्त सहित किराया क्रय पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्ष्यनिधियों से निवेश

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 - निवेश अन्य

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	181,500,000.00	186,500,000.00
– दीर्घावधि निवेश		
– चालू निवेश		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) – दीर्घावधि	165,100,000.00	94,100,000.00
कुल	**346,600,000.00**	**280,600,000.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	-	-
– बचत खाते पर	45,83,363.29	50,14,663.09
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर		
– बचत खाते पर		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	**45,83,363.29**	**50,14,663.09**

जारी.......

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य		
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधारिंत/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर	95,33,402.06	1,41,78,915.41
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. दावे प्राप्तयोग्य		
कुल (ख)	**95,33,402.06**	**1,41,78,915.41**
कुल (क + ख)	**1,41,16,765.35**	**1,91,93,578.50**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 - अनुदान / सब्सिडी

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क / अंशदान

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशि ₹ में)

(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	14,600,812.65	12,290,199.14
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स		
2. लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3. किराया		
4. अन्य		
कुल	**14,600,812.65**	**12,290,199.14**
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	7,403,480.00	7,883,605.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	179,844.00	176,948.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल	**7,583,324.00**	**8,060,553.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय	--	188,763.00
कुल	--	**188,763.00**

अनुसूची 19 - निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
ख) घटाएं आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क - ख)		

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) खरीद		
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ) विद्युत एवं पॉवर		
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर		
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव		
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		
ड) यात्र एवं परिवहन व्यय		
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय		
त) अंशदान व्यय		
थ) शुल्क पर व्यय		
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक		
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क		
न) पेशवेर शुल्क		
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष		
भ) पैकिंग प्रभार		
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
य) वितरण व्यय		
र) विज्ञापन एवं प्रचार		
व) अन्य		
डीएलआईएस	60,000.00	
बैंक एवं वित्त प्रभार	35,840.80	77,864.90
कुल	**95,840.80**	**77,864.90**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	/	/
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
क) सावधि ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	21,655,485.00	18,526,682.00
वित्त प्रभार		
कुल	**21,655,485.00**	**18,526,682.00**

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 **लेखा परंपराएंः**

i) वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450-490 दिनांकित 23 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दिखाया गया निवेश कीमत पर लिया गया है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः

1 संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1 वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।

2 अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में दर्शाए गए निवेश में ₹ 18,15,00,000.00 की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य (बैंकों / सार्वजनिक उपक्रमों में एफडी) की राशि ₹ 16,51,00,000.00 शामिल हैं।

3 वर्ष के दौरान स्वीकृत निकासी/अग्रिम राशि ₹ 53,10,000.00 है। सदस्यों को दिया गया ब्याज ₹ 2,16,55,485.00 है और अग्रिम की वापसी ₹ 9,73,650.00 है।

4 पिछले वित्तीय वर्ष में अनुसूची 7 (वर्तमान देनदारियों और प्रावधान) में दर्शाए गए प्रावधान के अनुसार, श्री ओम प्रकाश गिरी, पूर्व चालक और ट्राई के मुख्य खाते में ₹ 3,06,919/- और ₹ 1,33,307/- श्री ओम प्रकाश गिरी, पूर्व चालक द्वारा भादूविप्रा को देय बकाया राशि और ब्याज के साथ उनके सीपीएफ खाते में उपलब्ध सदस्यता के रूप में शामिल किए गए हैं।

5 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	रेशमा एस. उस्मानी सहायक (क्यूओएस) न्यासी	सोनिया मदान उप. सलाहकार (एनएसएल-II) न्यासी	मयूर गुप्ता संयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन न्यासी	मनीष जैन संयुक्त सलाहकार (मा.सं.) पदेन न्यासी	वंदना सेठी सलाहकार (प्रशासन) पदेन न्यासी

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण - अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
I. आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते	5,014,663.09	9,874,490.93
II प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से		
ख) राज्य सरकार से		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)		
(पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)		
III निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)		
IV प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	11,885,381.00	5,184,262.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि		
ग) विविध	14,764,425.00	10,891,658.06
घ) बचतों पर ब्याज	179,844.00	176,948.00
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय के लिए	-	188,763.00
VI उधार ली गई राशि		
VII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
शुल्क		
पूंजीगत निधि		
प्रकाशन की बिक्री		
परिसंपत्तियों की बिक्री		
सदस्यों से अंशदान	38,356,765.00	37,987,081.00
ट्राई से अंशदान	10,924,029.00	9,909,214.00
शेष का अंतरण	-	440,226.00
अग्रिमों का पुनःभुगतान	973,650.00	642,450.00
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	98,900,000.00	33,302,274.00
कुल	**180,998,757.09**	**108,597,366.99**

भुगतान	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
I. व्यय		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक		359.90
ग) बैंक प्रभार	70.80	3,540.00
घ) वित्तीय प्रभार	35,770.00	75,735.00
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान		
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)	164,900,000.00	63,700,000.00
(निवेश – फ्लेक्सी खाता)		
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
अंतिम भुगतान	5,729,327.00	34,846,870.00
अग्रिम एवं निकासी	5,310,000.00	4,956,199.00
शेष राशि का स्थानांतरण	440,226.00	
VIII. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते मे	4,583,363.29	5,014,663.09
कुल	**180,998,757.09**	**108,597,366.99**

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	**रेशमा एस. उस्मानी** सहायक (क्यूओएस) न्यासी	**सोनिया मदान** उप. सलाहकार (एनएसएल-II) न्यासी	**मयूर गुप्ता** संयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) पदेन न्यासी	**मनीष जैन** संयुक्त सलाहकार (मा.सं.) पदेन न्यासी	**वंदना सेठी** सलाहकार (प्रशासन) पदेन न्यासी

अस्वीकृतिः ''यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट मान्य होगा।''

सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण